MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION 13th Session of 16th Lok Sabha

QUESTION DATE 18.12.2017

LOK SABHA
STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Impact of GST on MSMEs	AS&DC/ ADC(PS)	*28	8	
2	New Industrial Units in MSME Sector	AS&DC/ DDG(S&D)	*29	9	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	MSME Backward Districts	AS&DC/ ADC(PS)	242	
2	KVIC Units	JS (ARI)	294	
3	Revival of Closed MSMEs	AS&DC/ DDG(S&D)	300	
4	Coir Training Institutes	JS (ARI)	312	
5	Export of KVIC Products	JS (ARI)	327	
6	TADF for MSMEs	AS&DC/ ADC(PS)	360	
7	Promotion of Cottage Industries	JS (ARI)	387	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. †*28
TO BE ANSWERED ON: 18.12.2017

IMPACT OF GST ON MSMEs

†*28. SHRI GANESH SINGH:
SHRI ANANDRAO ADSUL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are reportedly facing difficulties due to various reasons after implementation of the Goods and Services Tax (GST) and if so, the details thereof, State-wise;

(b) whether the Small and Medium Entrepreneurs have raised concern over the impact of the GST on MSMEs and if so, the details thereof; and

(c) the corrective steps taken/proposed to be taken by the Government in this regard to boost the growth of MSMEs in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)to(c): A Statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *28

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2017

माल और सेवा कर का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर प्रभाव

*28. श्री गणेश सिंहः
श्री आनंदराव अडसुलः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या माल और सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद विभिन्न कारणों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कथित तौर पर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लघु और मध्यम उद्यमियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर अपनी चिंता व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास को गति देने के लिए इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

Statement referred to in the reply of Parts (a) to (c) of Lok Sabha Starred Question No. †*28for answer on 18th December, 2017

(a)&(b): There have been some reports of micro, small and medium enterprises facing difficulties after implementation of Goods & Services Tax (GST). Industry Associations and other stakeholders have expressed concern about some aspects of GST such as; GST on Khadi, many items in 28% tax bracket, low ceiling of Composition Levy Scheme, reverse charge mechanism, etc. The Ministry of MSME has not only been taking up these concerns with Ministry of Finance, it has also taken several steps for awareness creation, registration and facilitation.

(c): Government has taken several pro-active measures for smooth implementation of GST for MSMEs including:

i. Exemption to Khadi fabric sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions/outlets;
ii. Majority of items produced by the MSMEs in the band of 28% tax slab brought to lower slabs;
iii. Composition levy extended upto turnover worth Rs. 150 lakh per annum;
iv. Quarterly return to be filed by GST registered units having turnover of Rs. 150 lakh per annum or less.
v. Reverse Charge Mechanism kept in abeyance till March 2018.

******

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं *28, जिसका उत्तर 18 दिसंबर 2017 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा मुश्किलों का सामना करने की कुछ जानकारी हैं। उद्योग संघों और अन्य स्टेकहोल्डर ने जीएसटी के कुछ पहलुओं जैसे कि खादी पर जीएसटी, 28% की कर सीमा में कई वस्तुएं, कंपोजीशन लेवी योजना की कम सीमा, रिवर्स चार्ज प्रणाली, आदि पर चिंता व्यक्त की है। एमएसएमई मंत्रालय न केवल इन चिंताओं को वित्त मंत्रालय के सामने उठाता रहा है, बल्कि उसने जागरूकता, पंजीकरण और सुगमीकरण के लिए कई कदम भी उठाए हैं।

(ग) : सरकार ने एमएसएमई के लिए जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं:

i. खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केवीआईसी से प्रमाणित संस्थानों/बिक्री केंद्रों के जरिये बेचे जा रहे खादी कपड़ों पर छूट।
ii. एमएसएमई द्वारा उत्पादित 28% कर स्लैब समूह वाली अधिकांश वस्तुओं को निचले स्लैब पर लाना।
iii. कंपोजीशन लेवी को 150 लाख रुपये प्रतिवर्ष टर्नओवर तक के लिए बढ़ाया गया।
iv. 150 लाख रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम टर्नओवर वाली जीएसटी पंजीकृत इकाइयों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था करना।
v. रिवर्स चार्ज प्रणाली को मार्च 2018 तक रोक दिया गया है।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
STARRED QUESTION No. †*29
TO BE ANSWERED ON 18.12.2017

NEW INDUSTRIAL UNITS IN MSME SECTOR

†*29. SHRI RAM KUMAR SHARMA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether several new industrial units have been setup in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in the country from March, 2015 to March, 2017;

(b) if so, the details thereof, State/UT-wise;

(c) whether the said units have been provided with necessary capital investment and funds for their operations as per their demand; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor along with the gap in demand and supply for capital investment and funds for the purpose during the said period, year-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *29
उत्तर देने की तारीख : 18.12.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में नए औद्योगिक यूनिट

*29. **श्री राम कुमार शर्माः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में मार्च, 2015 से मार्च, 2017 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कई नई औद्योगिक यूनिटें स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त यूनिटों को उनके प्रचालन के लिए उनकी मांग के अनुरूप आवश्यक पूंजी निवेश तथा धनराशि मुहैया कराई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ पूंजी निवेश और निधि के लिए मांग और आपूर्ति में वर्ष-वार अंतर कितना है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

Statement referred to in reply to parts (a) to (d) of Lok Sabha Starred Question No. *29 for answer on 18.12.2017

(a): Yes Madam.

(b): 28.71 lakh units were registered on Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) portal, during 2015-17. The State wise data may be seen at Annexure-I and II. Under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) 44340 micro enterprises and 52912 micro enterprises have been set up in 2015-16 and 2016-17 respectively. The State/UT wise details are at Annexure III & IV.

(c): Banks and Micro Finance Institutions provide requisite capital to these units.

(d): As per the data available with Reserve Bank of India, the outstanding Credit to Micro, Small and Medium Enterprises by Scheduled Commercial Banks was Rs. 1216007.11 Cr. and Rs. 1296398.24 Cr. during 2015-16 and 2016-17, respectively.

****

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 जिसका उत्तर 18.12.2017 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : जी, हां ।

(ख) : 2015-17 के दौरान उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर 28.71 लाख इकाइयों ने पंजीकरण कराया है (राज्यवार आंकड़े अनुबंध I एवं II पर देखे जा सकते हैं)। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2015-16 और 2016-17 में क्रमश: 44340 सूक्ष्म उद्यम और 52912 सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं। (राज्यवार ब्यौरा अनुबंध III एवं IV पर दिया गया है)।

(ग) : इन इकाइयों को बैंकों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा आवश्यक पूंजी उपलब्ध करायी जाती है ।

(घ) : भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर बकाया ऋण 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रमश: 1216007.11 करोड़ रुपए एवं 1296398.24 करोड़ रुपए है।

***

Annexure-I referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 29 for answer on 18.12.2017

Table: Number of MSMEs registered during 2015-16

State Name	Total UAM Registered	Micro	Small	Medium
ANDHRA PRADESH	9736	6202	3432	102
ARUNACHAL PRADESH	60	37	21	2
ASSAM	36	17	11	8
BIHAR	98725	96540	2108	77
CHHATTISGARH	4760	3538	1189	33
GOA	784	485	274	25
GUJARAT	52023	40020	11510	493
HARYANA	4537	2866	1574	97
HIMACHAL PRADESH	990	726	246	18
JAMMU AND KASHMIR	58	37	20	1
JHARKHAND	20920	20325	569	26
KARNATAKA	14159	11160	2866	133
KERALA	11312	9657	1609	46
MADHYA PRADESH	39011	35740	3167	104
MAHARASHTRA	54058	41235	12297	526
MANIPUR	1712	1417	291	4
MEGHALAYA	1	0	1	0
MIZORAM	1	1	0	0
NAGALAND	12	6	6	0
ODISHA	9710	8287	1381	42
PUNJAB	4712	3277	1377	58
RAJASTHAN	33918	29127	4600	191
SIKKIM	49	42	7	0
TAMIL NADU	41651	35475	6019	157
TELANGANA	20524	12413	7982	129
TRIPURA	516	468	46	2
UTTAR PRADESH	45065	41446	3491	128
UTTARAKHAND	1770	1346	388	36
WEST BENGAL	16449	14933	1459	57
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	518	426	88	4
CHANDIGARH	273	206	64	3
DADAR AND NAGAR HAVELI	244	103	132	9
DAMAN AND DIU	179	60	109	10
DELHI	7586	5563	1990	33
LAKSHADWEEP	10	9	1	0
PUDUCHERRY	303	238	63	2
Total	**496372**	**423428**	**70388**	**2556**

Source: Udyog Aadhaar Memorandum

अनुबंध-I

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 जिसका उत्तर 18.12.2017 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

तालिका: वर्ष 2015-16 के दौरान पंजीकृत एमएसएमई की संख्या

राज्यों का नाम	कुल पंजीकृत यूएएम	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
आंध्र प्रदेश	9736	6202	3432	102
अरुणाचल प्रदेश	60	37	21	2
असम	36	17	11	8
बिहार	98725	96540	2108	77
छत्तीसगढ़	4760	3538	1189	33
गोवा	784	485	274	25
गुजरात	52023	40020	11510	493
हरियाणा	4537	2866	1574	97
हिमाचल प्रदेश	990	726	246	18
जम्मू एवं कश्मीर	58	37	20	1
झारखंड	20920	20325	569	26
कर्नाटक	14159	11160	2866	133
केरल	11312	9657	1609	46
मध्य प्रदेश	39011	35740	3167	104
महाराष्ट्र	54058	41235	12297	526
मणिपुर	1712	1417	291	4
मेघालय	1	0	1	0
मिजोरम	1	1	0	0
नागालैंड	12	6	6	0
ओडीशा	9710	8287	1381	42
पंजाब	4712	3277	1377	58
राजस्थान	33918	29127	4600	191
सिक्किम	49	42	7	0
तमिलनाडु	41651	35475	6019	157
तेलंगाना	20524	12413	7982	129
त्रिपुरा	516	468	46	2
उत्तर प्रदेश	45065	41446	3491	128
उत्तराखंड	1770	1346	388	36
पश्चिम बंगाल	16449	14933	1459	57
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	518	426	88	4
चंडीगढ़	273	206	64	3
दादर एवं नागर हवेली	244	103	132	9
दमन और दीव	179	60	109	10
दिल्ली	7586	5563	1990	33
लक्षद्वीप	10	9	1	0
पुडुचेरी	303	238	63	2
कुल	496372	423428	70388	2556

स्रोत: उद्योग आधार ज्ञापन

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 29 for answer on 18.12.2017

Table: Number of MSMEs registered during 2016-17

State Name	Total UAM Registered	Micro	Small	Medium
ANDHRA PRADESH	161663	153535	7834	294
ARUNACHAL PRADESH	249	143	101	5
ASSAM	916	692	200	24
BIHAR	551946	544383	7059	504
CHHATTISGARH	6512	4490	1957	65
GOA	1154	809	327	18
GUJARAT	194851	158897	34764	1190
HARYANA	23743	16607	6680	456
HIMACHAL PRADESH	1964	1237	661	66
JAMMU AND KASHMIR	2539	2222	301	16
JHARKHAND	49507	47465	1977	65
KARNATAKA	47703	37557	9663	483
KERALA	23216	19685	3379	152
MADHYA PRADESH	87077	80701	6134	242
MAHARASHTRA	209446	176052	31883	1511
MANIPUR	6525	5437	1077	11
MEGHALAYA	328	293	33	2
MIZORAM	385	268	112	5
NAGALAND	170	128	41	1
ODISHA	41961	39252	2607	102
PUNJAB	20965	15350	5408	207
RAJASTHAN	102101	89904	11778	419
SIKKIM	115	61	45	9
TAMIL NADU	267497	233726	32995	776
TELANGANA	57867	42030	15428	409
TRIPURA	1311	1129	176	6
UTTAR PRADESH	401389	381736	18734	919
UTTARAKHAND	4847	3560	1185	102
WEST BENGAL	81628	75750	5655	223
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	1060	850	194	16
CHANDIGARH	1403	1086	308	9
DADAR AND NAGAR HAVELI	711	433	261	17
DAMAN AND DIU	436	186	240	10
DELHI	20050	15044	4815	191
LAKSHADWEEP	18	16	2	0
PUDUCHERRY	1731	1335	373	23
Total	**2374984**	**2152049**	**214387**	**8548**

Source: Udyog Aadhaar Memorandum

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 जिसका उत्तर 18.12.2017 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

तालिका: वर्ष 2016-17 के दौरान पंजीकृत एमएसएमई की संख्या

राज्यों का नाम	कुल पंजीकृत यूएएम	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
आंध्र प्रदेश	161663	153535	7834	294
अरुणाचल प्रदेश	249	143	101	5
असम	916	692	200	24
बिहार	551946	544383	7059	504
छत्तीसगढ़	6512	4490	1957	65
गोवा	1154	809	327	18
गुजरात	194851	158897	34764	1190
हरियाणा	23743	16607	6680	456
हिमाचल प्रदेश	1964	1237	661	66
जम्मू एवं कश्मीर	2539	2222	301	16
झारखंड	49507	47465	1977	65
कर्नाटक	47703	37557	9663	483
केरल	23216	19685	3379	152
मध्य प्रदेश	87077	80701	6134	242
महाराष्ट्र	209446	176052	31883	1511
मणिपुर	6525	5437	1077	11
मेघालय	328	293	33	2
मिजोरम	385	268	112	5
नागालैंड	170	128	41	1
ओडीशा	41961	39252	2607	102
पंजाब	20965	15350	5408	207
राजस्थान	102101	89904	11778	419
सिक्किम	115	61	45	9
तमिलनाडु	267497	233726	32995	776
तेलंगाना	57867	42030	15428	409
त्रिपुरा	1311	1129	176	6
उत्तर प्रदेश	401389	381736	18734	919
उत्तराखंड	4847	3560	1185	102
पश्चिम बंगाल	81628	75750	5655	223
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1060	850	194	16
चंडीगढ़	1403	1086	308	9
दादर एवं नागर हवेली	711	433	261	17
दमन और दीव	436	186	240	10
दिल्ली	20050	15044	4815	191
लक्षद्वीप	18	16	2	0
पुडुचेरी	1731	1335	373	23
कुल	**2374984**	**2152049**	**214387**	**8548**

स्रोत: उद्योग आधार ज्ञापन

Annexure-III referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 29 for answer on 18.12.2017

PMEGP Figures for 2015-16

Sr. No.	State/UT	Margin money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu& Kashmir	4006.80	3781.19	2207	12115
2	Himachal Pradesh	1721.57	1767.26	1077	5134
3	Punjab	3026.80	2902.97	966	7762
4	UT Chandigarh	90.00	87.72	43	323
5	Uttarakhand	1909.93	1740.86	1136	6161
6	Haryana	3747.40	3112.09	1248	7232
7	Delhi	257.35	254.05	256	2048
8	Rajasthan	4188.14	4384.07	1988	14537
9	Uttar Pradesh	17535.32	14456.87	4365	43059
10	Bihar	7118.59	6588.55	2430	19624
11	Sikkim	227.38	186.11	110	397
12	Arunachal Pradesh	200.08	38.85	35	104
13	Nagaland	1255.83	1392.81	623	4998
14	Manipur	2855.92	1213.98	685	2715
15	Mizoram	924.99	1026.35	1134	9072
16	Tripura	2748.26	945.84	642	5355
17	Meghalaya	1250.62	1056.12	603	4824
18	Assam	4969.87	2869.74	3483	9026
19	West Bengal	4765.49	3400.65	1873	12746
20	Jharkhand	3462.64	3559.74	1839	12873
21	Odisha	6282.00	5736.32	2876	17629
22	Chhattisgarh	4303.80	2829.38	1277	9496
23	Madhya Pradesh	7729.40	8117.17	1979	16497
24	Gujarat*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	Maharashtra **	9718.42	5285.03	2497	20161
26	Andhra Pradesh	4496.85	2262.37	642	7740
27	Telangana	2094.00	2217.57	660	7761
28	Karnataka	10846.89	5898.01	2140	17284
29	Goa	159.40	165.43	91	500
30	Lakshadweep	90.00	0.00	0	0
31	Kerala	2731.60	2720.48	1369	9653
32	Tamilnadu	7110.80	5497.54	2463	20836
33	Puducherry	100.00	106.37	65	447
34	Andaman & Nicobar Islands	158.00	65.11	119	293
		128620.30	**102006.33**	**44340**	**323362**

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 जिसका उत्तर 18.12.2017 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

2015-16 के लिए पीएमईजीपी आंकड़ें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु.)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी # (लाख रु.)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	4006.80	3781.19	2207	12115
2	हिमाचल प्रदेश	1721.57	1767.26	1077	5134
3	पंजाब	3026.80	2902.97	966	7762
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	90.00	87.72	43	323
5	उत्तराखंड	1909.93	1740.86	1136	6161
6	हरियाणा	3747.40	3112.09	1248	7232
7	दिल्ली	257.35	254.05	256	2048
8	राजस्थान	4188.14	4384.07	1988	14537
9	उत्तर प्रदेश	17535.32	14456.87	4365	43059
10	बिहार	7118.59	6588.55	2430	19624
11	सिक्किम	227.38	186.11	110	397
12	अरुणाचल प्रदेश	200.08	38.85	35	104
13	नागालैंड	1255.83	1392.81	623	4998
14	मणिपुर	2855.92	1213.98	685	2715
15	मिजोरम	924.99	1026.35	1134	9072
16	त्रिपुरा	2748.26	945.84	642	5355
17	मेघालय	1250.62	1056.12	603	4824
18	असम	4969.87	2869.74	3483	9026
19	पश्चिम बंगाल	4765.49	3400.65	1873	12746
20	झारखंड	3462.64	3559.74	1839	12873
21	ओडिशा	6282.00	5736.32	2876	17629
22	छत्तीसगढ़	4303.80	2829.38	1277	9496
23	मध्यप्रदेश	7729.40	8117.17	1979	16497
24	गुजरात*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	महाराष्ट्र **	9718.42	5285.03	2497	20161
26	आंध्रप्रदेश	4496.85	2262.37	642	7740
27	तेलंगाना	2094.00	2217.57	660	7761
28	कर्नाटक	10846.89	5898.01	2140	17284
29	गोआ	159.40	165.43	91	500
30	लक्षद्वीप	90.00	0.00	0	0
31	केरल	2731.60	2720.48	1369	9653
32	तमिलनाडु	7110.80	5497.54	2463	20836
33	पुद्दुचेरी	100.00	106.37	65	447
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	158.00	65.11	119	293
	कुल	**128620.30**	**102006.33**	**44340**	**323362**

गत वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधि सहित

* दमन और दीव सहित

** दादर और नगर हवेली सहित

Annexure-IV referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 29 for answer on 18.12.2017

PMEGP Figures for 2016-17

Sr. No.	State/UT	Margin money annual targets(BE) (Rs. lakh)	Margin money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu& Kashmir	3541.26	2621.40	1492	11691
2	Himachal Pradesh	1970.11	2185.27	941	6916
3	Punjab	3504.09	3181.60	1266	9858
4	UT Chandigarh	100	82.84	47	376
5	Uttarakhand	2140.93	2122.33	1345	9890
6	Haryana	3371.31	3383.53	1377	11016
7.	Delhi	300	182.41	119	952
8	Rajasthan	5500.99	4641.6	1749	13408
9	Uttar Pradesh	12981.52	14271.05	4074	36315
10	Bihar	6909.77	8336.51	3234	25872
11	Sikkim	200	35.93	27	201
12	Arunachal Pradesh	500	440.34	301	1984
13	Nagaland	1751.68	2007.48	1018	7783
14	Manipur	1741.7	2162.78	1265	8419
15	Mizoram	1253.49	491.96	425	3400
16	Tripura	1578.62	3734.66	2297	17961
17	Meghalaya	1748.1	407.89	329	2632
18	Assam	5636.41	4910.38	6028	31498
19	West Bengal	3680.3	6270.32	3528	26604
20	Jharkhand	4165.73	2654.35	1300	10400
21	Odisha	5201.65	6848.96	3029	20392
22	Chhattisgarh	4493.3	4070.73	1598	12856
23	Madhya Pradesh	8527.32	8346.06	1940	15520
24	Gujarat*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	Maharashtra **	6111.29	6001.36	2325	17799
26	Andhra Pradesh	2336.59	4916.08	1357	14148
27	Telangana	2004.86	2561.72	664	6445
28	Karnataka	4941.62	11609.56	3575	30286
29	Goa	371.62	191.44	90	660
30	Lakshadweep	50	00	00	00
31	Kerala	2446.06	3350.68	1584	13068
32	Tamilnadu	5291.23	8213.92	2941	25764
33	Puducherry	150	103.65	66	699
34	Andaman & Nicobar Islands	100	193.46	195	1398
		110000	**128093.86**	52912	407840

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 जिसका उत्तर 18.12.2017 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-IV

2016-17 के लिए पीएमईजीपी आंकड़ें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्जिन मनी वार्षिक लक्ष्य (ब.अ.) (लाख रु.)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी # (लाख रु.)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सं.	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	3541.26	2621.40	1492	11691
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916
3	पंजाब	3504.09	3181.60	1266	9858
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100	82.84	47	376
5	उत्तराखंड	2140.93	2122.33	1345	9890
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016
7.	दिल्ली	300	182.41	119	952
8	राजस्थान	5500.99	4641.6	1749	13408
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872
11	सिक्किम	200	35.93	27	201
12	अरुणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984
13	नागालैंड	1751.68	2007.48	1018	7783
14	मणिपुर	1741.7	2162.78	1265	8419
15	मिजोरम	1253.49	491.96	425	3400
16	त्रिपुरा	1578.62	3734.66	2297	17961
17	मेघालय	1748.1	407.89	329	2632
18	असम	5636.41	4910.38	6028	31498
19	पश्चिम बंगाल	3680.3	6270.32	3528	26604
20	झारखंड	4165.73	2654.35	1300	10400
21	ओडिशा	5201.65	6848.96	3029	20392
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856
23	मध्यप्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520
24	गुजरात*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	महाराष्ट्र **	6111.29	6001.36	2325	17799
26	आंध्रप्रदेश	2336.59	4916.08	1357	14148
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445
28	कर्नाटक	4941.62	11609.56	3575	30286
29	गोआ	371.62	191.44	90	660
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00
31	केरल	2446.06	3350.68	1584	13068
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764
33	पुदुचेरी	150	103.65	66	699
34	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	193.46	195	1398
	कुल	110000	**128093.86**	52912	407840

गत वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधि सहित

* दमन और दीव सहित

** दादर और नगर हवेली सहित

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 242
TO BE ANSWERED ON 18.12.2017

MSME BACKWARD DISTRICTS

242. SHRI LAKHAN LAL SAHU:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government has identified small scale industrially backward districts of various States including Madhya Pradesh and Chhattisgarh and if so, the details thereof;
(b) whether the Government has any proposal to promote Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the said districts, particularly in scheduled caste/ scheduled tribe dominated areas and if so, the details thereof; and
(c) the targets set and fund sanctioned for the said purpose for the next three years?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (c): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises implements various schemes and programmes for promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at all India level including industrially backward districts. The major schemes / programmes of the Ministry include Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme, Cluster Development Programme, Marketing Development Assistance and Skill Development Programme. Schemes/programmes of the Ministry of MSME have Scheduled Caste/ Scheduled Tribe sub plans and a special component for North Eastern Region (NER). As per the existing norms, the Ministry has earmarked 12%, 8.2% & 10% of the annual budget for the Schedule Caste Component, Schedule Tribe Component & NER component respectively.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 242

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2017

एमएसएमई पिछड़े जिले

242. श्री लखन लाल साहूः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के लघुस्तरीय उद्योग दृष्टि से पिछड़े जिलों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले तीन वर्षों हेतु उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य और स्वीकृत निधियां कितनी हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों सहित पूरे भारतवर्ष में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है । मंत्रालय की प्रमुख स्कीम/कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, कलस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन विकास सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं । एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए विशेष घटक शामिल हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, मंत्रालय ने अनुसूचित जाति घटक, अनूसचित जनजाति घटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक के लिए वार्षिक बजट का क्रमशः 12 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत और 10 प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 294
TO BE ANSWERED ON 18.12.2017

KVIC UNITs

294. SHRI RAJESHBHAI CHUDASAMA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the number of Khadi and Village Industry Commission (KVIC) units functioning in the country at present, State/UT-wise including Gujarat;
(b) whether the Government has undertaken skill development programme for workers in these units;
(c) if so, the details thereof, State/UT-wise including Gujarat and if not, the reasons therefor; and
(d) the steps taken by the Government for promoting KVIC products abroad?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): The number of Khadi and Village Industry (KVI) units functioning in the country at present, State/UT-wise including Gujarat is placed at **Annexure-I**.

(b)&(c): Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has conducted skill development programme through its Departmental & Non Departmental training centres to the interested persons including Khadi artisans. 86686 persons were trained through these training centres during the year 2016-17. State-wise details are placed at **Annexure-II**.

(d): Ministry of MSME is providing special incentives for promotion and introduction of Khadi & Village Industries products in international markets. KVIC has obtained the status of Deemed Export Promotion Council (DEPC) from the Ministry of Commerce & Industry. 1077 Khadi and Village Industries Institutions and Rural Employment Generation Programme (REGP)/Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) units have taken its membership to enter the field of export. The following steps have been taken to boost the export of Khadi and Village Industries products:

भारत सरकार

सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .294

उत्तर देने की तारीख 18.12.2017

केवीआईसी इकाई

294. श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात सहित देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की वर्तमान में कार्यरत तथा कुल इकाइयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन इकाइयों में कामगारों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विदेश में केवीआईसी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान में देश में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) इकाइयों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी कारीगरों सहित इच्छुक व्यक्तियों के लिए अपने विभागीय एवं गैर विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 86686 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। राज्यवार ब्योरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के संवर्धन और शुरूआत के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मानद निर्यात संवर्धन परिषद (डीईपीसी) का दर्जा प्राप्त किया है। 1077 खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों ने निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसकी सदस्यता ली है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. Assistance would be provided under the Market Promotion and Development Assistance (MPDA) Scheme to the eligible Khadi and Village Industries (KVI) Institutions for participation in International Exhibitions/Trade Fairs held in foreign countries in order to showcase KVI products to foreign countries, access international buyers and sellers and forge business alliances, etc.

   The eligible items for such participation and the scale of assistance would be as under:

S.No.	Eligible items	Scale of assistance
i)	Space Rent	For KVIs – 100% of the space rent subject to a maximum of Rs.1.00 lakh or actual rent paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)
ii)	Air Fare	For KVIs – 100% of the Economy Class air fare subject to a maximum of Rs.1.50 lakh or actual fare paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)

2. Participation in domestic international exhibitions at State and National levels wherein KVIs are allowed to participate and market their products. Assistance is also provided to Exporters participating in International Trade Fairs held in India like India International Trade Fair (IITF) New Delhi where stall rentals are subsidized for the exporting institutions.

3. Organizing Export promotion workshops at Chandigarh and Bangalore for KVI institutions/REGP/PMEGP units for acquainting with the procedure and documentation of export.

4. KVIC has applied to register "Khadi" as a word mark and "Khadi India" as a Trade mark in 27 classes for various products among 45 classes listed out in the IPR Act at National Level as well as has filed an online application for registering "Khadi" as a trade mark under International bureau in European Union and other countries under 16 different class.

5. Khadi and Village Industries Units participated in India International Trade Fair (IITF) at Pragati Maidan, New Delhi organized by ITPO.

* * *

1. विदेशों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रदर्शित करने, अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं तक पहुँचने तथा व्यवसाय संबंध आदि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए पात्र खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) संस्थाओं को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए) स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसी भागीदारी के लिए पात्र मदों तथा सहायता पैमाना निम्नवत् होगाः-

क्र.सं.	पात्र मद	सहायता पैमाना
(i)	स्थान किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.00 लाख रुपये के अधीन स्थान किराया का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो, (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
(ii)	हवाई किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.50 लाख रुपये के अधीन इकोनोमी क्लास हवाई किराये का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)

2. राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना जिसमें खादी और ग्रामोद्योग को भाग लेने तथा अपने उत्पाद बेचने की अनुमति है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) नई दिल्ली जहाँ निर्यातक संस्थाओं के लिए स्टॉल किराये के लिए सब्सिडी दी जाती है, जैसे भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले निर्यातकों को भी सहायता दी जाती है।

3. निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन से परिचित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं/आरईजीपी/पीएमईजीपी इकाइयों के लिए चंडीगढ़ एवं बैंगलुरू में निर्यात संवर्धन कार्यशालाएं आयोजित करना।

4. केवीआईसी ने राष्ट्रीय स्तर पर आईपीआर अधिनियम में सूचीबद्ध 45 वर्गों में विभिन्न उत्पादों के लिए 27 वर्गों में शब्द चिन्ह के रूप में ''खादी'' तथा व्यापार चिह्न के रूप में ''खादी इंडिया'' को पंजीकृत कराने के लिए आवेदन दिया है तथा यूरोपीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अंतर्गत तथा 16 विभिन्न वर्गों के अधीन अन्य देशों में व्यापार चिह्न के रूप में ''खादी'' को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल किया है।

5. खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों ने आईटीपीओ द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलें (आईआईटीएफ) में भाग लिया।

****

Annexure-I referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 294 for answer on 18.12.2017

State/UT-wise details of functioning Khadi Institutions and PMEGP Units

Sl. No.	Name of State/UTs	Khadi Institutions established upto 2016-17	PMEGP Units set up during 2016-17
1	Jammu & Kashmir	94	1492
2	Himachal Pradesh	16	941
3	Punjab	32	1266
4	UT Chandigarh	0	47
5	Haryana	108	1377
6	Delhi	11	119
7	Rajasthan	138	1749
8	Uttarakhand	64	1345
9	Uttar Pradesh	640	4074
10	Chhattisgarh	22	1598
11	Madhya Pradesh	27	1940
12	Sikkim	1	27
13	Arunachal Pradesh	2	301
14	Nagaland	2	1018
15	Manipur	13	1265
16	Mizoram	1	425
17	Tripura	1	2297
18	Meghalaya	2	329
19	Assam	24	6028
20	Bihar	96	3234
21	West Bengal	363	3528
22	Jharkhand	21	1300
23	Odisha	86	3029
24	Andaman & Nicobar	1	195
25	Gujarat	173	1386
26	Maharashtra	34	2325
27	Goa	0	90
28	Andhra Pradesh	86	1357
29	Telangana	11	664
30	Karnataka	191	3575
31	Kerala	39	1584
32	Lakshadweep	1	0
33	Tamil Nadu	74	2941
34	Pondicherry	1	66
	Total	**2375**	**52912**

अनुबंध-I

दिनांक 18.12.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 294 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

कार्यरत खादी संस्थाओं तथा पीएमईजीपी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17 तक स्थापित खादी संस्थाएं	2016-17 के दौरान स्थापित पीएमईजीपी इकाइयां
1	जम्मू और कश्मीर	94	1492
2	हिमाचल प्रदेश	16	941
3	पंजाब	32	1266
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	0	47
5	हरियाणा	108	1377
6	दिल्ली	11	119
7	राजस्थान	138	1749
8	उत्तराखंड	64	1345
9	उत्तर प्रदेश	640	4074
10	छत्तीसगढ़	22	1598
11	मध्य प्रदेश	27	1940
12	सिक्किम	1	27
13	अरुणाचल प्रदेश	2	301
14	नागालैंड	2	1018
15	मणिपुर	13	1265
16	मिजोरम	1	425
17	त्रिपुरा	1	2297
18	मेघालय	2	329
19	असम	24	6028
20	बिहार	96	3234
21	पश्चिम बंगाल	363	3528
22	झारखंड	21	1300
23	ओडिशा	86	3029
24	अंडमान और निकोबार	1	195
25	गुजरात	173	1386
26	महाराष्ट्र	34	2325
27	गोवा	0	90
28	आंध्र प्रदेश	86	1357
29	तेलंगाना	11	664
30	कर्नाटक	191	3575
31	केरल	39	1584
32	लक्षद्वीप	1	0
33	तमिलनाडु	74	2941
34	पुडुचेरी	1	66
	कुल	2375	52912

Annexure-II referred to in reply to part (b) &(c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 294 for answer on 18.12.2017

State/UT-wise details of Number of persons trained during 2016-17

Sl. No.	State	Numbers
1.	New Delhi	4096
2.	Jammu & Kashmir	1342
3.	Bihar	2821
4.	Jharkhand	632
5.	Odisha	2364
6.	West Bengal	2828
7.	Arunachal Pradesh	1432
8.	Assam	3103
9.	Mizoram	1202
10.	Nagaland	1643
11.	Andhra Pradesh	4555
12.	Karnataka	5988
13.	Kerala	4293
14.	Tamil Nadu	8083
15.	Maharashtra	27730
16.	Gujarat	19
20.	Madhya Pradesh	2265
21.	Uttar Pradesh	6697
22.	Uttarakhand	5593
	Total	**86686**

अनुबंध-II

दिनांक 18.12.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 294 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

2016-17 के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1.	नई दिल्ली	4096
2.	जम्मू और कश्मीर	1342
3.	बिहार	2821
4.	झारखंड	632
5.	ओडिशा	2364
6.	पश्चिम बंगाल	2828
7.	अरुणाचल प्रदेश	1432
8.	असम	3103
9.	मिजोरम	1202
10.	नागालैंड	1643
11.	आंध्र प्रदेश	4555
12.	कर्नाटक	5988
13.	केरल	4293
14.	तमिलनाडु	8083
15.	महाराष्ट्र	27730
16.	गुजरात	19
20.	मध्य प्रदेश	2265
21.	उत्तर प्रदेश	6697
22.	उत्तराखंड	5593
	कुल	**86686**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 300
TO BE ANSWERED ON 18.12.2017

REVIVAL OF CLOSED MSMEs

300. SHRI UDAY PRATAP SINGH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether many Small Scale Industries have been shut down in the country during the last three years and the current year ;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefore, ,State/UT-wise; and

(c) the measures taken/being taken by the Government to revive them?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): As per the provisional data released by the Reserve Bank of India (RBI) the number of sick micro, small and medium enterprises (MSMEs) in March, 2016 was 4,86,291. The State/Union Territory-wise position regarding the number of sick units for the years 2014, 2015 and 2016 is given in annexure.

As per the final report of Fourth All India Census of MSMEs, the main reasons for closure are stated to be (1)Lack of demand, (2)Shortage of working capital, (3)Non availability of raw materials, (4)Power shortage, (5)Marketing problems, (6)Labour problems, (7)Management problems, and (8)Equipment problems.

(c): Framework for revival and rehabilitation of the MSME units has been put in place under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 300

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2017

बंद एमएसएमई का पुनरुद्धार

300. श्री उदय प्रताप सिंहः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कई लघु स्तर के उद्योग बंद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इनके पुनरुद्धार हेतु क्या उपाय किये गये हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2016 में रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 4,86,291 थी । वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए रूग्ण इकाइयों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार स्थिति अनुबंध पर दी गई है ।

एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इकाइयों के बंद होने के प्रमुख कारणों में (1) मांग की कमी, (2) कार्यशील पूंजी की कमी, (3) कच्चे माल की अनुपलब्धता, (4) विद्युत की कमी, (5) विपणन की समस्याएं, (6) श्रमिक समस्याएं, (7) प्रबंधन समस्याओं और (8) उपकरणों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है ।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत एमएसएमई इकाइयों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है।

*****

Annexure referred to in reply to part (a) &(b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 300 for answer on 18.12.2017

(No. of sick units in actual)			
State/ Union Territory	**Mar-14**	**Mar-15**	**Mar-16**
A & N Islands	98	111	886
Andhra Pradesh	42618	43606	11476
Arunachal Pradesh	158	345	383
Assam	5334	4518	4962
Bihar	16156	12199	17687
Chandigarh	1349	1843	1274
Chattisgarh	4814	6202	6868
Dadra & Nagar Haveli	91	61	73
Daman & Diu	19	36	32
Delhi	4658	6271	5626
Goa	1354	2334	1643
Gujarat	48304	49379	42579
Haryana	9308	11004	14562
Himachal Pradesh	2242	2128	2884
Jammu & Kashmir	2188	2381	2899
Jharkhand	8234	11123	11083
Karnataka	34212	38497	29417
Kerala	21807	26273	21725
Lakshadweep	5	0	0
Madhya Pradesh	17678	18192	20619
Maharashtra	43411	50295	52576
Manipur	353	3688	1791
Meghalaya	158	152	
Mizoram	48	25	83
Nagaland	455	468	512
Orissa	18337	18885	19365
Puducherry	1913	1637	1398
Punjab	6575	13539	16102
Rajasthan	27791	23238	24059
Sikkim	215	66	85
Tamil Nadu	44121	45018	39716
Tripura	2166	5196	4877
Uttarakhand	15810	3456	5363
Uttar Pradesh	63355	77837	95989
West Bengal	23062	39041	19850
Telengana	(Included in Andhra P.)		7847
Total	**468397**	**516619**	**486291**

Source: Reserve Bank of India

अनुबंध

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 300 जिसका उत्तर 18.12.2017 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(वास्तविक रुग्ण ईकाइयों की संख्या)			
राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16
अंडमान और निकोबार द्वीप	98	111	886
आंध्र प्रदेश	42618	43606	11476
अरुणाचल प्रदेश	158	345	383
असम	5334	4518	4962
बिहार	16156	12199	17687
चंडीगढ़	1349	1843	1274
छत्तीसगढ़	4814	6202	6868
दादरा और नगर हवेली	91	61	73
दमन और दीव	19	36	32
दिल्ली	4658	6271	5626
गोवा	1354	2334	1643
गुजरात	48304	49379	42579
हरियाणा	9308	11004	14562
हिमाचल प्रदेश	2242	2128	2884
जम्मू और कश्मीर	2188	2381	2899
झारखंड	8234	11123	11083
कर्नाटक	34212	38497	29417
केरल	21807	26273	21725
लक्षद्वीप	5	0	0
मध्य प्रदेश	17678	18192	20619
महाराष्ट्र	43411	50295	52576
मणिपुर	353	3688	1791
मेघालय	158	152	
मिजोरम	48	25	83
नागालैंड	455	468	512
ओडिशा	18337	18885	19365
पुडुचेरी	1913	1637	1398
पंजाब	6575	13539	16102
राजस्थान	27791	23238	24059
सिक्किम	215	66	85
तमिलनाडु	44121	45018	39716
त्रिपुरा	2166	5196	4877
उत्तराखंड	15810	3456	5363
उत्तर प्रदेश	63355	77837	95989
पश्चिम बंगाल	23062	39041	19850
तेलंगाना	(आंध्र प्रदेश में शामिल)		7847
कुल	**468397**	**516619**	**486291**

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 312
TO BE ANSWERED ON 18.12.2017

COIR TRAINING INSTITUTES

†312. SHRI HARINARAYAN RAJBHAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the number and details of the training institutes of Coir Board functioning in the country at present, State-wise including Uttar Pradesh;
(b) the number of beneficiaries of each training institute during each of the last three years, State-wise;
(c) whether the Government proposes to increase the number of such training institutes in the country including Uttar Pradesh; and
(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Coir Board is having the following Training Institutes for imparting training on Coir Processing and value addition of the coir products.

(i) National Coir Training and Design Centre, Kalavoor, Alleppey, Kerala
(ii) Regional Extension Centre, Thanjavur, Tamil Nadu.

Apart from this, Coir Board organize various training programmes through the following Regional Offices and Sub Regional Offices of the Board in association with coir co-operative societies, units etc.

(i) Pollachi & Singampunari in Tamil Nadu
(ii) Rajahmundry in Andhra Pradesh
(iii) Bhubaneswar in Odisha
(iv) Kalavoor, Attingal & Kannur in Kerala
(v) Bengaluru in Karnataka
(vi) Guwahati in Assam

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 312

उत्तर देने की तारीख 18.12.2017

कयर प्रशिक्षण संस्थान

312. श्री हरिनरायन राजभरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उत्तर प्रदेश सहित कार्यरत कयर बोर्ड प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हरेक प्रशिक्षण संस्थान से लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में उत्तर प्रदेश सहित ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) कयर बोर्ड के पास कयर प्रसंस्करण एवं कयर उत्पादों के मूल्य वर्धन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान हैं:

(i) राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र, कलावूर, अलेप्पी, केरल

(ii) क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र, तंजावूर, तमिलनाडु।

इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों, इकाइयों आदि के सहयोग से बोर्ड के निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों और उप क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता हैः

(i) पोलाची एवं सिंगमपुनरी, तमिलनाडु

(ii) राजमुंदरी, आन्ध्र प्रदेश।

(iii) भुवनेश्वर, ओड़िशा

(iv) कलावूर, अतिंगल तथा कन्नूर, केरल

(v) बैंगलुरू, कर्नाटक

(vi) गुवाहाटी, असम

(vii) Sindhudurg in Maharashtra
(viii) Hyderabad in Telengana
(ix) Port Blair in Andaman & Nicobar Islands
(x) Kavarathi in Lakshadweep Islands

At present, no separate training institute of the Board is functioning in the State of Uttar Pradesh.

(b): Coir Board is providing training on Coir Processing and value addition of the coir products for self employment to rural artisans in coir producing regions under Skill Development Programmes such as Mahila Coir Yojana and Value Added products manufacturing training programmes. Details of number of beneficiaries trained during the last three years State-wise is given in Annexure-I.

(c) & (d): Presently there is no proposal to set up new training institute including in the State of Uttar Pradesh. During the last year Coir Board has already started three livelihood Business Incubation Centres at Bhubaneswar, Rajahmundry and Thanajavur for providing modern production process and technologies to encourage the prospective entrepreneurs.

****

(vii) सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र

(viii) हैदराबाद, तेलंगाना

(ix) पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(x) कावारती, लक्षद्वीप समूह

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कयर बोर्ड का कोई पृथक् प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत नहीं है।

(ख): कयर बोर्ड महिला कयर योजना और मूल्य वर्धित उत्पाद विनिर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कयर उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों को स्वरोजगार के लिए कयर प्रसंस्करण और कयर उत्पादों के मूल्य वर्धन पर प्रशिक्षण दे रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ): वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में नया प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विगत वर्ष के दौरान कयर बोर्ड ने भावी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु भुवनेश्वर, राजमुंदरी और तंजावूर में तीन आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्र पहले ही शुरु किये हैं।

******

Annexure – I

Annexure I referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 312 for answer on 18.12.2017

Physical Performance (persons trained)

Sl No	States/UTs	Mahila Coir Yojana (MCY)			VAP Training		
		2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
1	Andhra Pradesh	200	40	140	426	176	260
2	Arunachal Pradesh						
3	Assam	1180	308	349	1380	271	395
4	Bihar						
5	Chattisgarh						
6	Goa	-	-	20	-	-	20
7	Gujarat	320	120	20	540	40	20
8	Haryana						
9	Himachal Pradesh						
10	Jammu & Kashmir						
11	Jharkand						
12	Karnataka	1499	340	60	2000	360	60
13	Kerala	2011	1212	540	2423	838	459
14	Madhya Pradesh						
15	Maharashtra	100	220	260	120	180	160
16	Manipur						
17	Meghalaya						
18	Mizoram						
19	Nagaland						
20	Odisha	720	460	179	999	237	178
21	Punjab						
22	Rajasthan						
23	Sikkim						
24	Tamil Nadu	583	485	350	1265	508	372
25	Telangana						40
26	Tripura						
27	Uttar Pradesh						
28	Uttarakhand						
29	West Bengal	1860	200	217	2280	320	200
30	Andaman & Nicobar Islands	30	-	40	45	120	160
31	Chandigarh						
32	Haveli						
33	Daman & Diu						
34	Delhi						
35	Lakshadweep	311	180	80	201	100	140
36	Puducherry	54	16		53	16	

अनुबंध- I

दिनांक 18.12.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 312 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- I

वास्तविक कार्य निष्पादन (प्रशिक्षित व्यक्ति)

क्र.सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	महिला कयर योजना (एमसीवाई)			वीएपी प्रशिक्षण		
		2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
1	आंध्र प्रदेश	200	40	140	426	176	260
2	अरुणाचल प्रदेश						
3	असम	1180	308	349	1380	271	395
4	बिहार						
5	छत्तीसगढ़						
6	गोवा	-	-	20	-	-	20
7	गुजरात	320	120	20	540	40	20
8	हरियाणा						
9	हिमाचल प्रदेश						
10	जम्मू और कश्मीर						
11	झारखंड						
12	कर्नाटक	1499	340	60	2000	360	60
13	केरल	2011	1212	540	2423	838	459
14	मध्य प्रदेश						
15	महाराष्ट्र	100	220	260	120	180	160
16	मणिपुर						
17	मेघालय						
18	मिजोरम						
19	नागालैंड						
20	ओडिशा	720	460	179	999	237	178
21	पंजाब						
22	राजस्थान						
23	सिक्किम						
24	तमिलनाडु	583	485	350	1265	508	372
25	तेलंगाना						40
26	त्रिपुरा						
27	उत्तर प्रदेश						
28	उत्तराखंड						
29	पश्चिम बंगाल	1860	200	217	2280	320	200
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30	-	40	45	120	160
31	चंडीगढ़						
32	हवेली						
33	दमन और दीवसमूह						
34	दिल्ली						
35	लक्षद्वीप	311	180	80	201	100	140
36	पुडुचेरी	54	16		53	16	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 327
TO BE ANSWERED ON 18.12.2017

EXPORT OF KVIC PRODUCTS

327. SHRI RADHESHYAM BISWAS:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government provides/proposes to provide special incentives to Khadi and Village Industries to export more of its products;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details in terms of value and quantity of the khadi products exported during each of the last three years from various States/UTs, product/country-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): Ministry of MSME is providing special incentives for promotion and introduction of Khadi & Village Industries products in international markets. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has obtained the status of Deemed Export Promotion Council (DEPC) from the Ministry of Commerce & Industry. 1077 Khadi and Village Industries Institutions and Rural Employment Generation Programme (REGP)/Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) units have taken its membership to enter the field of export. The following steps have been taken to boost the export of Khadi and Village Industries products:

1. Assistance would be provided under the Market Promotion and Development Assistance (MPDA) Scheme to the eligible Khadi and Village Industries (KVI) Institutions for participation in International Exhibitions/Trade Fairs held in foreign countries in order to showcase KVI products to foreign countries, access international buyers and sellers and forge business alliances, etc.

भारत सरकार

सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .327

उत्तर देने की तारीख 18.12.2017

के.वी.आई.सी. उत्पादों का निर्यात

327. श्री राधेश्याम बिश्वासः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए खादी और कुटीर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है/प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा निर्यातित खादी उत्पादों का उत्पाद-वार और देश-वार मूल्य और मात्रा कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के संवर्धन और शुरूआत के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से मानद निर्यात संवर्धन परिषद (डीईपीसी) का दर्जा प्राप्त किया है। 1077 खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इकाइयों ने निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसकी सदस्यता ली है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. विदेशों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रदर्शित करने, अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं तक पहुँचने तथा व्यवसाय संबंध आदि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए पात्र खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) संस्थाओं को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए) स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

The eligible items for such participation and the scale of assistance would be as under:

S. No.	Eligible items	Scale of assistance
i)	Space Rent	For KVIs – 100% of the space rent subject to a maximum of Rs.1.00 lakh or actual rent paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)
ii)	Air Fare	For KVIs – 100% of the Economy Class air fare subject to a maximum of Rs.1.50 lakh or actual fare paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)

2. Participation in domestic international exhibitions at State and National levels wherein KVIs are allowed to participate and market their products. Assistance is also provided to Exporters participating in International Trade Fairs held in India like India International Trade Fair (IITF) New Delhi where stall rentals are subsidized for the exporting institutions.
3. Organizing Export promotion workshops at Chandigarh and Bangalore for KVI institutions/REGP/PMEGP units for acquainting with the procedure and documentation of export.
4. KVIC has applied to register "Khadi" as a word mark and "Khadi India" as a Trade mark in 27 classes for various products among 45 classes listed out in the IPR Act at National Level as well as has filed an online application for registering "Khadi" as a trade mark under International bureau in European Union and other countries under 16 different class.
5. Khadi and Village Industries Units participated in India International Trade Fair (IITF) at Pragati Maidan, New Delhi organized by ITPO.

(c): Product-wise and country-wise details of KVI exports made during the last three years is placed at **Annexure-I**.

* * *

ऐसी भागीदारी के लिए पात्र मदों तथा सहायता पैमाना निम्नवत् होगा:-

क्र.सं.	पात्र मद	सहायता पैमाना
(i)	स्थान किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.00 लाख रुपये के अधीन स्थान किराए का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो, (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
(ii)	हवाई किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.50 लाख रुपये के अधीन इकोनोमी क्लास हवाई किराये का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)

2. राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना जिसमें खादी और ग्रामोद्योग को भाग लेने तथा अपने उत्पाद बेचने की अनुमति है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) नई दिल्ली जहाँ निर्यातक संस्थाओं के लिए स्टॉल किराये के लिए सब्सिडी दी जाती है, जैसे भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले निर्यातकों को भी सहायता दी जाती है।

3. निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन से परिचित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं/आरईजीपी/पीएमईजीपी इकाइयों के लिए चंडीगढ़ एवं बेंगलुरू में निर्यात संवर्धन कार्यशालाएं आयोजित करना।

4. केवीआईसी ने राष्ट्रीय स्तर पर आईपीआर अधिनियम में सूचीबद्ध 45 वर्गों में विभिन्न उत्पादों के लिए 27 वर्गों में शब्द चिन्ह के रूप में ''खादी'' तथा व्यापार चिह्न के रूप में ''खादी इंडिया'' को पंजीकृत कराने के लिए आवेदन दिया है तथा यूरोपीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अंतर्गत तथा 16 विभिन्न वर्गों के अधीन अन्य देशों में व्यापार चिह्न के रूप में ''खादी'' को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल किया है।

5. खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों ने आईटीपीओ द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलें (आईआईटीएफ) में भाग लिया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए केवीआई निर्यातों का उत्पाद वार और देश वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 327 for answer on 18.12.2017

Export of KVI Products country &product-wise during **2014-15, 2015-16 & 2016-17**

2014-15

Sr. No.	Product	Export (Rs. in Lakh)	Countries
1	Hand Made paper & Products	4317.26	UK, USA, Germany, UAE Hong Kong, Australia, Europe, Brazil Japan, Israel, Netherland,
2	Papad	4574.81	USA, Gulf, Australia, Japan, Canada, South Africa, Netherlands, Singapore, Jakarta, Manila, Malaysia, Israel, Taiwan, China, Nigeria, Fiji, Bangkok, Philippines, Hong Kong, Pakistan, Turkey.
3	Khadi Wool, Silk and Muslin.	64.89	Italy, Japan, Israel, Netherlands, France
4	Brass & Metal	13.13	Singapore, Malaysia, Sri Lanka
5	Honey	547.68	Europe, UAE, Japan, Saudi Arabia, Singapore, Morocco
6	Wheat Grass	62.27	Jordan, Cambodia, Sweden, Kyrgyzstan, Sudan, Singapore, Seychelles, Chile, S.Africa, USA, Netherlands, Slovenia, Nepal, Malaysia, Botswana, UK, Curacao, Burkina Faso, Canada, Fiji, Japan, Thailand, Saudi Arabia, Aruba, Spain, Sri Lanka, Hong Kong, Kuwait, Mauritius, Philippines, Slovakia, UAE, Kenya, Bahrain, Turkey, Malawi, Australia, Czech Republic, Egypt, Uganda, Bangladesh, Qatar, Indonesia, Myanmar, Bhutan & Nigeria
7	Herbal products	2151.12	Nepal, Poland, Russia, Cyprus, Dubai, Abu Dgabi, Norway, Ukraine, China, Kazakhstan, Gotland, New Zealand, Taiwan, Lithuania, South Korea, Spain, USA, Netherland, Korea, Canada, France, Victoria, Mauritius, Hong Kong
8	Soap Shampoo Lotion	51.23	USA, Bhutan, South Africa, UK Japan, London, & Poland
9	Food Items	207.56	Dubai, Uganda, South Africa, Australia, Chicago USA Tanzania
10	Jute & Banana Fibre Items	26.18	Germany, Kuwait, UK, France, Japan,
11	Readymade garments	84.48	Kuwait & Ghana
12	Agarbatti and dhoop	0.65	Brazil, Switzerland, London
13	Wood carving products / wooden furniture	14.50	South Africa
14	Hair oil and other cosmetics	66.97	ASSRC & Australia
15	Aromatic & Essential Oil	131.00	Gulf Countries
16	Textile based handicraft	14.00	London, USA, France
17	Handicrafts	71.83	USA, UK Netherland, China, Malaysia, Italy
18	Coating / Javadu Powder	8.50	Sudan
19	Silver Nitrate	1.00	Asian countries

अनुबंध-I

दिनांक 18.12.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 327 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान केवीआई उत्पादों का देश और उत्पादवार निर्यात

2014-15

क्र.सं.	उत्पाद	निर्यात (रु. लाख में)	देश
1	हाथ से बने कागज और उत्पाद	4317.26	ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, यूएई हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ब्राजील जापान, इजराइल, नीदरलैंड,
2	पापड़	4574.81	अमेरिका, खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, सिंगापुर, जकार्ता, मनीला, मलेशिया, इजराइल, ताइवान, चीन, नाइजीरिया, फिजी, बैंकाक, फिलीपींस, हांगकांग, पाकिस्तान, तुर्की
3	खादी ऊन, सिल्क और मस्लिन	64.89	इटली, जापान, इजराइल, नीदरलैंड, फ्रांस
4	ब्रास और धातु	13.13	सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका
5	शहद	547.68	यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, मोरक्को
6	गेहूं घास	62.27	जॉर्डन, कंबोडिया, स्वीडन, किर्गिस्तान, सूडान, सिंगापुर, सेशेल्स, चिली, दक्षिण अफ्रिका, अमरीका, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, नेपाल, मलेशिया, बोत्सवाना, ब्रिटेन, कुराकाओ, बुर्किना फासो, कनाडा, फिजी, जापान, थाईलैंड, सऊदी अरब, अरुबा, स्पेन, श्रीलंका, हांगकांग, कुवैत, मॉरीशस, फिलीपींस, स्लोवाकिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, बहरीन, तुर्की, मलावी, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, मिस्र, युगांडा, बांग्लादेश, कतर, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान और नाइजीरिया
7	हर्बल उत्पादों	2151.12	नेपाल, पोलैंड, रूस, साइप्रस, दुबई, अबू डगबी, नॉर्वे, यूक्रेन, चीन, कजाखस्तान, गोटलैंड, न्यूजीलैंड, ताइवान, लिथुआनिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, अमेरिका, नीदरलैंड, कोरिया, कनाडा, फ्रांस, विक्टोरिया, मॉरीशस, हांग कॉंग
8	साबुन शैंपू लोशन	51.23	संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, जापान, लंदन और पोलैंड
9	खाद्य वस्तुएं	207.56	दुबई, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, शिकागो अमरीका, तंजानिया
10	जूट और बनाना फाइबर वस्तुएं	26.18	जर्मनी, कुवैत, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान,
11	रेडीमेड कपड़े	84.48	कुवैत और घाना
12	अगरबत्ती और धूप	0.65	ब्राजील, स्विटजरलैंड, लंदन
13	लकड़ी नक्काशी उत्पादों / लकड़ी के फर्नीचर	14.50	दक्षिण अफ्रीका
14	हेयर ऑयल और अन्य सौंदर्य प्रसाधन	66.97	एएसएसआरसी और ऑस्ट्रेलिया
15	सुगंधित और आवश्यक तेल	131.00	खाड़ी देश
16	वस्त्र आधारित हस्तशिल्प	14.00	लंदन, अमरीका, फ्रांस
17	हस्तशिल्प	71.83	संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन नीदरलैंड, चीन, मलेशिया, इटली
18	कोटिंग/जयाडू पाउडर	8.50	सूडान
19	सिल्वर नाइट्रेट	1.00	एशियाई देश

20	Spices	25.20	New Zealand & Australia
21	Bio-Fertilizer	5.00	Israel
	TOTAL	**12439.26**	

2015-16

Sr. No.	Product	Export (Rs. in Lakh)	Countries
1	Hand Made paper & Products	4280.00	UK, USA, Germany, UAE Hong Kong, Australia, Europe, Brazil Japan, Israel, Netherland, Switzerland, Bahrain, Belgium, France, Bhutan
2	Papad	6976.82	USA, UK, European Countries, Gulf, Australia, Japan, Canada, South Africa, Netherlands, Singapore, Jakarta, Manila, Malaysia, Israel, Taiwan, China, Nigeria, Fiji, Bangkok, Philippines, Hong Kong, Pakistan, Turkey.
3	Khadi Wool, Silk and Muslin.	11.09	Italy, Japan, Israel, Netherlands, France, Germany.
4	Brass & Metal	5.50	Singapore, Malaysia, Srilanka.
5	Honey	657.00	Europe, UAE, Japan, Saudi Arabia, Singapore, Morocco,USA,Libya, Oman.
6	Wheat Grass	60.83	Jordan, Cambodia, Sweden, Kyrgyzstan, Sudan, Singapore, Seychelles, Chile, S. Africa, USA, Netherlands, Slovenia, Nepal, Malaysia, Botswana, UK, Curacao, Burkina Faso, Canada, Fiji, Japan, Thailand, Saudi Arabia, Aruba, Spain, Sri Lanka, Hong Kong, Kuwait, Mauritius, Philippines, Slovakia, UAE, Kenya, Bahrain, Turkey, Malawi, Australia, Czech Republic, Egypt, Uganda, Bangladesh, Qatar, Indonesia, Myanmar, Bhutan & Nigeria
7	Food Items	42.00	Dubai, Uganda, South Africa, Australia, Chicago USA, Tanzania
8	Wood carving products / wooden furniture	30.00	South Africa
9	Hair oil and other cosmetics	4.22	ASSRC & Australia
10	Aromatic & Essential Oil	180.00	Gulf Countries
11	Leather	10.00	South Africa
12	Handicrafts	1754.69	USA, UK Netherland, China, Malaysia, Italy
	TOTAL	**14012.15**	

20	मसाले	25.20	न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया
21	जैव उर्वरक	5.00	इजराइल
	कुल	**12439.26**	

2015-16

क्र.सं.	उत्पाद	निर्यात (रु. लाख में)	देश
1	हाथ से बने कागज और उत्पाद	4280.00	ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूएई हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ब्राजील जापान, इज़राइल, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बहरीन, बेल्जियम, फ्रांस, भूटान
2	पापड़	6976.82	संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश, खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, सिंगापुर, जकार्ता, मनीला, मलेशिया, इज़राइल, ताइवान, चीन, नाइजीरिया, फिजी, बैंकाक, फिलीपींस, हांगकांग, पाकिस्तान, तुर्की।
3	खादी ऊन, सिल्क और मस्लिन	11.09	इटली, जापान, इज़राइल, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी
4	पीतल और धातु	5.50	सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका
5	शहद	657.00	यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, मोरक्को, अमरीका, लीबिया, ओमान
6	गेहूं घास	60.83	जोर्डन, कंबोडिया, स्वीडन, किर्गिस्तान, सूडान, सिंगापुर, सेशेल्स, चिली, दक्षिण अफ्रीका, अमरीका, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, नेपाल, मलेशिया, बोत्सवाना, ब्रिटेन, कुराकाओ, बुर्किना फासो, कनाडा, फिजी, जापान, थाईलैंड, सऊदी अरब, अरुबा, स्पेन, श्रीलंका, हांगकांग, कुवैत, मॉरीशस, फिलीपींस, स्लोवाकिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, बहरीन, तुर्की, मलावी, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, मिस्र, युगांडा, बांग्लादेश, कतर, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान और नाइजीरिया
7	खाद्य वस्तुएं	42.00	दुबई, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, शिकागो अमरीका, तंजानिया
8	लकड़ी नक्काशी उत्पाद/लकड़ी के फर्नीचर	30.00	दक्षिण अफ्रीका
9	हेयर ओयल और अन्य सौंदर्य प्रसाधन	4.22	एएसएसआरसी और ऑस्ट्रेलिया
10	सुगंधित और आवश्यक तेल	180.00	खाड़ी देश
11	चमड़ा	10.00	दक्षिण अफ्रीका
12	हस्तशिल्प	1754.69	संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन नीदरलैंड, चीन, मलेशिया, इटली
	कुल	**14012.15**	

2016-17

Sl. No	Product	Export value (Rs. in lakh)	Countries
1	Handmade paper & products	3151.93	Through merchant exporter
2	Papad	6940.61	USA, UK, London, France, Germany, Italy, UAE, Australia, Japan, Honkong, Canada, South Africa, and Vietnam
3	Khadi (woollen Silk & Muslin)	196.97	Korea, Muscat, Oman, Germany, Austria, USA, Japan, France, Sweden and through agency
4	Brass & Metal	175.00	Europe
5	Honey	13349.03	UAE, Saudi Arabia, USA, Libya, Oman and through agencies in all over the country.
6	Wheat Grass	44.19	Jordan, Cambodia, Sweden, Kazakhstan, Sudan, Seychelles, Chile, South Africa, USA, The Netherland, Malaysia, UK, Curacao, Canada, Japan, Thailand, Spain, Sri Lanka, Hong Kong, Vietnam, Mauritius, Philippines, Kenya, Bahrain, Turkey, Czech Republic, Egypt, Qatar, Bhutan, Nigeria, Burkina Faso, Italy, Ireland, Mexico, Nepal, Saudi Arabia, Tanzania, Rwanda, Brazil, Ecuador, Norway, Cyprus, Botswana, Bangladesh.
7	Soap, Shampoo & Lotion	610.00	Japan, Singapore, Switzerland, New Zealand, France, UAE, Malaysia, USA & through agancy
8	Food items	149.05	South Africa, Gulf countries, Kenya, Australia, USA
9	Ready Made Garments	104.50	Dubai, Kuwait, UK, Canada, Australia, USA.
10	Wood carving products / Wood Furniture	12.50	USA, Malaysia, & Singapore.
11	Hair Oil & other cosmetics	169.76	USA, Canada, Dubai, Sri Lanka, Panama, Russian, UAE, South Africa.
12	Aromatic & Essential Oil	181.80	USA, France, Europe, Middle East countries through agency
13	Leather items	20.50	USA, Switzerland & Through agency.
14	Handicrafts	1557.09	USA, UK, Malaysia
15	Silver Nitrate	8.00	Malaysia, Italy.
16	Pottery item	12.00	Through merchant exporter
17	Katha	255.81	Through merchant exporter
	TOTAL	**26938.74**	

2016-17

क्र.सं.	उत्पाद	निर्यात मूल्य (रुपये लाख में)	देश
1	हस्तनिर्मित कागज और उत्पादों	3151.93	व्यापारी निर्यात के माध्यम से
2	पापड़	6940.61	संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, जापान, होनकोन्ग, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम
3	खादी (ऊनी सिल्क और मस्लिन)	196.97	कोरिया, मस्कट, ओमान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमरीका, जापान, फ्रांस, स्वीडन और एजेंसी के माध्यम से
4	ग्रास और धातु	175.00	यूरोप
5	शहद	13349.03	संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, लीबिया, ओमान और देश भर में एजेंसियों के माध्यम से।
6	गेहूं घास	44.19	जॉर्डन, कंबोडिया, स्वीडन, कजाखस्तान, सूडान, सेशेल्स, चिली, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, नीदरलैंड, मलेशिया, ब्रिटेन, कुराकाओ, कनाडा, जापान, थाईलैंड, स्पेन, श्रीलंका, हांगकांग, वियतनाम, मॉरीशस, फिलीपींस, केन्या, बहरीन, तुर्की, चेक गणराज्य, मिस्र, कतर, भूटान, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, इटली, आयरलैंड, मैक्सिको, नेपाल, सऊदी अरब, तंजानिया, रवांडा, ब्राजील, इक्वाडोर, नॉर्वे, साइप्रस, बोत्सवाना, बांग्लादेश।
7	साबुन, शैंपू और लोशन	610.00	जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, अमेरिका और एजेंसिटी के माध्यम से
8	खाद्य वस्तुएं	149.05	दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी देशों, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए
9	रेडीमेड कपड़े	104.50	दुबई, कुवैत, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए
10	लकड़ी नक्काशी उत्पादों/लकड़ी के फर्नीचर	12.50	संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, और सिंगापुर
11	बालों के तेल और अन्य सौंदर्य प्रसाधन	169.76	संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दुबई, श्रीलंका, पनामा, रूसी, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका।
12	सुगंधित और आवश्यक तेल	181.80	एजेंसी के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, मध्य पूर्व देश
13	चमड़ा आइटम	20.50	अमरीका, स्विट्जरलैंड और एजेंसी के माध्यम से
14	हस्तशिल्प	1557.09	संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया
15	सिल्वर नाइट्रेट	8.00	मलेशिया, इटली
16	मिट्टी के बर्तन का वस्तुएं	12.00	व्यापारी निर्यातक के माध्यम से
17	कन्था	255.81	व्यापारी निर्यातक के माध्यम से
	कुल	**26938.74**	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 360
TO BE ANSWERED ON: 18.12.2017

TECHNOLOGY ACQUISITION AND DEVELOPMENT FUND FOR MSMES

360. SHRI J. J. T. NATTERJEE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Technology Acquisition and Development Fund (TADF) introduced by the Government will facilitate Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to acquire clean, green and energy efficient technologies;
(b) If so, the details thereof;
(c) Whether the mechanism will also catalyze the manufacturing growth in MSME sector with an aim to contribute to 'Make in India' initiative; and
(d) If so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The Technology Acquisition and Development Fund (TADF) Scheme is aimed at facilitating acquisition of clean, green and energy efficient technologies by Micro Small and Medium Enterprises.

(c)&(d): Make in India initiative is devised to transform India into a global design and manufacturing hub. The TADF Scheme is aligned to Make in India initiative as it supports technology acquisition and development which in turn boosts manufacturing in the country.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 360

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2017

एमएसएमई हेतु टीएडीएफ

360. श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रारंभ प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि (टीएडीएफ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकयों के अधिग्रहण में मदद करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तंत्र 'मेक इन इंडिया' पहल में योगदान के लक्ष्य के साथ एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण वृद्धि को प्रवृत्त करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि (टीएडीएफ) योजना का उद्देश्य एमएसएमई को स्वच्छ, हरित और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सहायता प्रदान करना है ।

(ग) और (घ) : मेक इन इंडिया पहल भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए तैयार किया गया है । इस प्रकार, टीएडीएफ 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास में सहयोग करता है जो तदनन्तर देश में विनिर्माण को बढ़ावा देता है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.387
TO BE ANSWERED ON 18.12.2017

PROMOTION OF COTTAGE INDUSTRIES

387. SHRI JANARDAN MISHRA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the significance of cottage industry in the Indian economy;
(b) the types of difficulties being faced by the cottage industry in the country at present; and
(c) the remedial measures being taken by the Government to address these problems and to promote the Cottage Industries in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): The Cottage Industries play an important role in the Indian Economy and generation of employment opportunities to the unemployed youth of the Country. Cottage Industries not only play a crucial role in providing large employment opportunities but also help in Industrialization of rural and backward areas of the country thereby reducing the regional imbalance, assuring more equitable distribution of national income and wealth. It also contributes enormously to the socio economic development of the country.

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is engaged in promoting and developing Khadi and Village Industries for providing employment opportunities in rural areas thereby strengthening the rural economy of the country. Khadi and Village Industries has been identified as one of the major organization for generating sustainable employment in the non-farm sector. During the year 2016-17, the Khadi and Village Industries sector as a whole generated employment opportunities to 136.40 lakh person and also recorded production and sales of Rs.42631.09 crore and Rs.52138.21crore respectively during 2016-17.

(b)&(c): The major challenges faced by the Cottage Industries in the country is credit flow from the financing institutions and also the marketing of Khadi and Village Industries Products.

To overcome this challenge, the handholding support is being provided to the Khadi Institutions and Village Industries Units for availing financial assistance from the Banks under the Scheme namely Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and SFURTI.

Under the **PMEGP Scheme**, any individual can avail credit from Banks to set up micro-enterprise in the non-farm sector. General category beneficiaries can avail of margin money (MM) subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 387
उत्तर देने की तारीख 18.12.2017
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना

387. श्री जनार्दन मिश्रः
क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगोंका क्या महत्व है;
(ख) इस समय देश में कुटीर उद्योग के समक्षकिस प्रकार की कठिनाइयां आ रही है; और
(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधनतथा देश में कुटीर उद्योग को बढावा देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था एवं देश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुटीर उद्योग न केवल रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराने में बल्कि देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भीमदद करने में अहम भूमिका निभाते हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, राष्ट्रीय आय और धन का समान वितरण सुनिश्चित होगा। यह देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी बड़ा योगदान देता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवाआईसी) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन एवं विकास में लगा हुआ है जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। खादी और ग्रामोद्योग को गैर-कृषि क्षेत्र में सतत रोजगार सृजित करने के लिए प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल मिलाकर खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने 136.40 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए और रिकार्ड उत्पादन भी हुआ। वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमशः 42631.90 करोड़ रूपये का उत्पादन एवं 52138.21 करोड़ रूपये की बिक्री भी दर्ज की गई।

(ख) और (ग): देश में कुटीर उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां वित्त पोषण संस्थाओं से ऋण प्रवाह और खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के विपणन की हैं।

इस चुनौतीके समाधान के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और स्फूर्ति नामक स्कीम के अंतर्गत बैंकों से वित्तीय सहायता लेने के लिए खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को पथप्रदर्शन सहायता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति गैर-कृषि-क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकता है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी (एमएम)सब्सिडीले सकते हैं।

For beneficiaries belonging to special categories such as SCs, STs, OBCs, minorities, women, ex-servicemen, physical Handicapped, beneficiaries belonging to NER, hill and border areas, etc., the MM subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of project is ₹ 25 lakh in the manufacturing sector and ₹ 10 lakh in the service sector.

Ministry through the KVIC and the Coir Board has also been implementing a cluster-based scheme named Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (**SFURTI**) under which khadi, village industries and coir clusters have been taken up for development by providing them with improved equipments, common facilities centres, business development services, training, capacity building and design and marketing support, etc.

To overcome the marketing challenges of Khadi and Village Industries Units, KVIC organized exhibitions at district level, State level and National level and also invites beneficiaries to exhibit and sale their products.KVI Units are also supported with financial assistance to participate in International Exhibitions.

Coir Board:(i) **Coir UdyamiYojana** (formerly known as REMOT Scheme) is a credit linked subsidy scheme, which provides assistance for setting up of coir units with a maximum cost of project upto Rs.10 lakhs plus working capital, which shall not exceed 25% of the project cost. The pattern of assistance is 40% as Govt. subsidy, 55% as loan from Banks and 5% as beneficiary contribution. Scheme is open to all individuals, companies, SHGs, NGOs, Institutes, etc. (ii) **Mahila Coir Yojana**(a component of Coir Vikas Yojana-CVY) is an exclusive skill development programme for rural women artisans in coir sector. Training is provided in spinning of coir yarn/various coir processing activities. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments at 75% subsidy subject to a maximum amount of Rs.7500/- on successful completion of the training programme. During the training period, the women artisans are given a stipend amounting to Rs.1000/- per month. Coir VikasYojana also includes Skill Development & Training Programme in coir sector, Domestic & Export Market Promotion and Development of Production Infrastructure.

In addition, the Ministry aims to promote the cottage industries in the country by encouraging and providing the artisans a platform to showcase their products in various forums such as District level, State level and National level exhibitions and fairs. The best products and processes are also being supported to be performed outside the country through schemes such as Market Promotion and Development Assistance (MPDA). Ministry through KVIC also provides different skill training to the potential entrepreneurs through the 39 Multi-Disciplinary Training Centres (MDTC) of KVIC and RSETIs. The enterprises can also avail benefits of other schemes of the Ministry such as assistance for ISO Certification, Bar Codes, etc.

***

अ.जा./अ.जजा./अ.पि.व./अल्प-संख्यकों, महिलाओं/पूर्व सैनिकों/शारीरिक रूप से विकलांग/पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों, आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रूपए तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए है।

केवीआईसी और कयर बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय परम्परागत उदयोगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) नामक क्लस्टर आधारित स्कीम भी कार्यान्वित करता रहाहैजिसके अंतर्गत खादी, ग्रामोद्योग एवं कयर क्लस्टरों कोउन्नत उपकरण, सामान्य सुविधा केन्द्र, व्यवसाय विकास सेवाएं, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं डिजाइन तथा विपणन सहायता, आदि उपलब्ध कराकर विकास शुरू किया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों की विपणन चुनौतियों के समाधान के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित कीं एवं लाभार्थियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने एवं बेचने के लिए आमंत्रित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता से केवीआई इकाइयों की भी सहायता की जाती है।

कयर बोर्डः (i)कयर उद्यमी योजना (पूववर्ती रिमोट स्कीम) एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है और वह 10 लाख रूपए तक की अधिकतम परियोजना लागत तथा कार्यशील पूंजी से कयर इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराती हैजो परियोजना लागत की 25 प्रतिशत से अनधिक होगी। सहायता का पैटर्न सरकारी सब्सिडी के रूप में 40 प्रतिशत, बैंकों से ऋण के रूप में 55 प्रतिशत तथा लाभार्थी अंशदान के रूप में 5 प्रतिशत है। स्कीम सभी व्यक्तियों, कंपनियों, स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं आदि के लिए खुली है। (ii) महिला कयर योजना (कयर विकास योजना-सीवीवाई का एक घटक) कयर क्षेत्र में ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए एक अनन्य कौशल विकास कार्यक्रम है। कयर यार्न की कताई/विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने पर अधिकतम 7500 रूपए की राशि के अधीन 75 प्रतिशत सब्सिडी पर मोटरयुक्तरर्टा/मोटरयुक्त परंपरागत रटों और अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों के वितरण पर विचार किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महिला कारीगरों को 1000 रूपए प्रतिमाह वृत्तिका राशि दी जाती है। कयर विकास योजना में कयर क्षेत्र में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, घरेलू तथा निर्यात बाजार संवर्धन और उत्पादन अवसंरचनाओं का विकास भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का लक्ष्य कारीगरों को प्रोत्साहित करना तथा जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां एवं मेलों जैसे विभिन्न मंचों में उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर देश में कुटीर उद्योगों को संवर्धित करना है। बेहतर उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को बाजार संवर्धन तथा विकास सहायता (एमपीडीए) जैसी स्कीमों के माध्यम से देश के बाहर निष्पादित किए जाने के लिए सहायता भी दी जा रही है। केवीआईसी के माध्यम से मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा आरसेटी के 39 बहुविधा प्रशिक्षण केन्द्रों (एमडीटीसी) के माध्यम से संभावित उद्यमियों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। उद्यम आईएसओ प्रमाणन, बार कोडों आदि के लिए सहायता जैसी मंत्रालय की अन्य स्कीमों का लाभ भी ले सकते हैं।

****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 244th Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 20.12.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Schemes to promote work of rural artisans	JS (ARI)	*60	15	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	Concerns raised by MSMEs due to GST	AS&DC/ ADC(PS)	599	
2.	MSME units closed down/turned into sick units	AS&DC/ DDG(S&D)	600	
3.	Sanctioning of loans under PMEGP	JS (ARI)	601	
4.	Units assisted under PMEGP	JS (ARI)	602	
5.	Outlets of coir & coir products	JS (ARI)	603	
6.	Panel to study problems of MSMEs	AS&DC/ DDG(S&D)	604	
7.	MSME projects in Andhra Pradesh	AS&DC/ ADC(PS)	605	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *60
TO BE ANSWERED ON 20.12.2017

Schemes to promote work of rural artisans

*60. SHRI AMAR SHANKAR SABLE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of schemes or programmes being implemented by Government to promote the work of rural artisans of the country;
(b) the funds allocated and used to promote the work of rural artisans during the last three years, the State-wise details thereof and especially the details of funds allocated to the State of Maharashtra; and
(c) the number of artisans benefited from the schemes, the State-wise details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)to(c): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *60
उत्तर देने की तारीख 20.12.2017

ग्रामीण कारीगरों के कार्य को बढ़ावा दिये जाने
संबंधी योजनाएं

*60. श्री अमर शंकर साबलेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण कारीगरों के कार्य को बढ़ावा दिये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं अथवा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण कारीगरों के कार्य को बढ़ावा देने के लिए आवंटित एवं प्रयुक्त धनराशि का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण कारीगरों की संख्या का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION No.*60 FOR ANSWERON 20.12.2017

(a): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is implementing the following schemes through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Coir Board to promote the work of rural artisans in the country:

I. Khadi and Village Industries Commission (KVIC):

i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy scheme, for setting up of new micro-enterprises and to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through KVIC, State Khadi & Village Industries Board (KVIB) and District Industries Centre (DIC). General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/Women/PH/Minorities/Ex-Servicemen/NER, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector.

ii) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) was launched in 2005-06 for making Traditional Industries more productive and competitive by organizing the Traditional Industries and artisans into clusters.

iii) A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE) was launched on 18.3.2015 to promote Innovation & Rural Entrepreneurship through rural Livelihood Business Incubator (LBI), Technology Business Incubator (TBI) and Fund of Funds for start-up creation.

iv) Market Promotion Development Assistance (MPDA) – A unified scheme by merging Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component of Infrastructure namely setting up of Marketing Complexes /Khadi Plazas has been added to expand the marketing network of Khadi & VI products. Under the Modified MDA (MMDA) financial assistance at 30% of the Prime Cost, is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

v) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks as per the requirement of the Khadi institutions. The institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by the Government of India through KVIC to the banks.

दिनांक 20.12.2017 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *60 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में ग्रामीण कारीगरों के कार्य को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

I. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी):

i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

ii) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी।

iii) नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) ग्रामीण आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) तथा स्टार्ट अप सृजन के लिए निधियों के कोष के माध्यम से नवप्रवर्तन एवं ग्रामीण उद्यमिता को संवर्धित करने के लिए दिनांक 18.03.2015 को शुरू की गई थी।

iv) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)- बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। आधारभूत सुविधा के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% वितरित की जाती है।

v) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आइसेक) स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान है। संस्थाओं को मात्र 4% ब्याज देना होता है। बैंकों द्वारा 4% से अधिक प्रभारित किसी ब्याज को केवीआईसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

vi) Workshed Scheme for Khadi Artisans was introduced in 2008-09 to provide financial assistance for construction of workshed to khadi artisans belonging to BPL category through the khadi institutions with which the khadi artisans are associated. This empowers khadi spinners and weavers to chart out a sustainable path for growth, income generation and better work environment.

vii) Strengthening infrastructure of weak Khadi institutions and assistance for marketing infrastructure: This scheme provides need-based support towards the Khadi sector for nursing the sick/problematic institutions elevated from "D" to "C" category as well as those whose production, sales and employment have been declining while they have potential to attain normalcy and to support creation of marketing infrastructure in other identified outlets. Under this scheme, financial assistance is provided to existing weak Khadi institutions for strengthening of their infrastructure and for renovation of selected khadi sales outlets.

viii) Khadi Reform and Development Programme (KRDP) aims to revitalize the khadi sector with enhanced sustainability of khadi, increased incomes and employment for spinners and weavers, increased artisans, welfare and to achieve synergy with village industries. Under KRDP, restructured amount of US$ 105 million has been negotiated with Asian Development Bank (ADB) and funds are being provided to the Government of India to be released to KVIC as 'grants-in-aid' under budgetary allocation through the Ministry of MSME. Khadi Reform Package envisages reform support in the following areas: (i) Artisan Earnings and Empowerment, (ii) Direct Reform Assistance to 400 Khadi Institutions & (iii) Implementation of a well-knit MIS

ix) AamAdmiBimaYojana (erstwhile Janashree BimaYojana): KVIC in association with LIC is implementing the AABY scheme to provide insurance cover to Khadi artisans against normal and accidental death and disability. Premium is shared between KVIC (12.5%), Khadi institutions (25%), artisans (12.5%) and Govt. of India (50%), Khadi Artisans belonging to the age group of 18 to 59 years are provided insurance cover for the following:

(i)	Death (natural)	: Rs. 30,000.00
(ii)	Death (accidental)	: Rs. 75,000.00
(iii)	Disability (permanent)	: Rs. 75,000.00
(iv)	Disability (partial)	: Rs. 37,500.00

(v) Educational Benefits (ShikshaSahayogYojana) :
Two children of Khadi Artisan who are studying in standard IX to XII including Industrial Training Institutes (ITIs) are eligible for scholarship of Rs.300/- per quarter.

vi) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम खादी संस्थाएं जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं, के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 2008-09 में शुरू की गई थी। यह वृद्धि, आय सृजन तथा बेहतर कार्य वातावरण के लिए निरंतर पथ तैयार करने के लिए खादी स्पिनरों एवं बुनकरों को सशक्त बनाता है।

vii) कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधा का सुदृढ़ीकरण एवं विपणन आधारभूत सुविधा के लिए सहायता: इस स्कीम में 'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रुग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं जबकि उनके पास सामान्यता(नॉर्मलसी) प्राप्त करने की संभावना है, का पालन-पोषण करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन आधारभूत सुविधा के सृजन की सहायता हेतु खादी क्षेत्र के लिए आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

viii) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) का उद्देश्य खादी की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने, स्पिनरों एवं बुनकरों की आय मे बढ़ोत्तरी करने और रोजगार में बढ़ोत्तरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। केआरडीपी के अंतर्गत 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की पुनर्संरचित राशि का एशियन विकास बैंक (एडीबी) से प्रबंध किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से बजटीय आवंटन के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में केवीआईसी को जारी किए जाने के लिए भारत सरकरा को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

ix) आम आदमी बीमा योजना (पूर्व में जनश्री बीमा योजना): खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारतीय जीवन निगम के साथ स्वाभाविक और आकस्मिक मृत्यु तथा विकलांगता के समय खादी कारीगरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। प्रीमियम में केवीआईसी (12.5%), खादी संस्थाएं (25%), कारीगर (12.5%) और भारत सरकार (50%) की हिस्सेदारी है। 18 से 59 आयु समूह से संबंधित खादी कारीगरों को निम्नानुसार बीमा कवर प्रदान किया जाता है:

(i)	मृत्यु (स्वाभाविक)	:	30,000.00/- रूपये
(ii)	मृत्यु (दुर्घटना)	:	75,000.00/- रूपये
(iii)	विकलांगता (स्थाई)	:	75,000.00/- रूपये
(iv)	विकलांगता (आंशिक)	:	37,500.00/- रूपये
(V)	शैक्षिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना)	:	

खादी कारीगरों के दो बच्चे जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहित कक्षा IX और XII में अध्ययन कर रहे हैं, वे 300 रूपये प्रति तिमाही छात्रवृति पाने के पात्र हैं।

II. Coir Board:

i) Coir VikasYojana:

1. Skill Upgradation&Mahila Coir Yojana - Under the scheme programmes like Entrepreneurship Development Programme, Awareness Programme, Workshop, Seminar, Exposure Tour, etc. are implemented for attracting more entrepreneurs to start coir processing units. In order to create skilled man power required for the industry, Coir Board is implementing training programmes in value added products. The candidates undergoing training programmes are given stipend amounting to Rs. 1000/- per month.

Under the 'Mahila Coir Yojana' Scheme which is exclusively for rural women artisans training in spinning of coir yarn/various coir processing activities is provided to rural women. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments to women at subsidised rates after completion of training. During the training period, the women artisans are given stipend amounting to Rs.1000 per month. The trained women are given ratts and other coir processing equipments at 75% subsidy subject to a maximum of Rs.7500/-.

2. Scheme for the Development of Production Infrastructure - Under the scheme financial assistance is extended for setting up of coir units and modernization of existing units. Under the scheme subsidy to the tune of 25% of the cost of equipments and other infrastructural facilities subject to a maximum of Rs.6 lakh for setting up of defibering unit, Rs. 4 lakh for Automatic Spinning Unit and Rs.5 lakh for others. For a composite or a multiple unit the maximum ceiling of assistance would be Rs.9 lakh. In the case of modernization of existing unit the subsidy will be limited to 25% of the cost of equipments and infrastructural facilities subject to a maximum of Rs.2 lakh.

ii) Coir Udyami Yojana (formerly known as REMOT Scheme) is a credit linked subsidy scheme providing assistance for setting up of coir units. The maximum admissible cost of project under the scheme is upto Rs.10 lakhs plus working capital, which shall not exceed 25% of the project cost. The pattern of assistance under the scheme is 40% as Govt. of India subsidy, 55% as loan from Banks and 5% as beneficiary contribution. Assistance under the Scheme is made open to all individuals, companies, SHGs, NGOs, Institutes registered under Societies Registration Act 1860, Production Co-operative Societies, Joint Liability Groups and Charitable Trusts.

iii)'Coir Workers' Group Personal Accident Insurance Scheme is aimed at providing insurance coverage against accidental death, permanent total disability and permanent partial disability to the coir workers in all coir producing States in India. The maximum amount of compensation payable is Rs.50,000/- in the case of death/permanent total disability and Rs.25,000/- in the case of permanent partial disability. The premium for the entire coir workers is paid by Coir Board to the Insurance Company as a lumpsum amount towards the renewal of the policy every year. The coir workers aged 18 years and above engaged in the industry (no upper age limit) are covered under the scheme. The scheme was converged to the Core scheme Pradhan Mantri Surksha BimaYojana during July, 2016.

(b): State-wise details of funds allocated/ Target of Margin Money and Fund utilized/ Achievement of Margin Money under **PMEGP** Scheme and various schemes of **Coir Board** during the last three years is placed at **Annexure-I**.

(c): State/UT-wise number of beneficiaries benefitted under **PMEGP, Workshed& AABY** and various schemes of **Coir Board** during the last three years is placed at **Annexure-II**.

* * *

II. <u>कयर बोर्ड:</u>

i) <u>कयर विकास योजना:</u>

1. कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना- इस स्कीम के अंतर्गत कयर प्रसंस्करण इकाइयों को शुरू कर उद्यमियों को अधिक आकर्षित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, एक्सपोजर दौरा, आदि जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। उद्योग के लिए अपेक्षित कुशल जनशक्ति सृजित करने के उद्देश्य से कयर बोर्ड मूल्यवर्धित उत्पादों में प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे अभ्यर्थियों को 1000/- रुपये प्रतिमाह वृतिका दी जाती है।

'महिला कयर योजना' स्कीम जो विशेष रूप से कयर यार्न की कताई/विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में लगी ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए है, के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् सब्सिडाइज्ड दरों पर महिलाओं को मोटरयुक्त रटों/मोटरयुक्त परंपरागत रटों (Ratts) एवं अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों के वितरण पर विचार किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महिला कारीगरों को प्रतिमाह 1000/- रुपये वृतिका (स्टाइपंड) दी जाती है। प्रशिक्षित महिलाओं को अधिकतम 7500/- रुपये की सीमा के तहत 75% सब्सिडी पर रट एवं अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरण दिए जाते हैं।

2. उत्पादन अवसंरचना विकास के लिए स्कीम - इस स्कीम के अंतर्गत कयर इकाइयों की स्थापना एवं विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत उपकरण लागत की 25% सब्सिडी एवं फाइबर अलग करने वाली इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये, स्वचालित कताई इकाई के लिए 4 लाख रुपये एवं अन्य के लिए 5 लाख रुपये के अधीन अन्य आधारभूत सुविधाएं दी जाती हैं। संयुक्त या बहु इकाई के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 9 लाख रुपये होगी। विद्यमान इकाई के आधुनिकीकरण के मामले में, सब्सिडी अधिकतम 2 लाख रुपये के अधीन सब्सिडी उपकरण लागत एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए 25% तक सीमित होगी।

ii). कयर उद्यमी योजना (पूर्ववर्ती रिमोट स्कीम) कयर इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता देने वाली ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम स्वीकार्य लागत 10 लाख रुपये एवं कार्यशील पूँजी है और वह परियोजना लागत के 25% से अधिक नहीं होगी। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता का पैटर्न 40% भारत सरकार की सब्सिडी के रूप में, 55% बैंकों से ऋण के रूप में तथा 5% लाभार्थी अंशदान के रूप में है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता सभी व्यक्तियों, कम्पनियों, स्वयं-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं, उत्पादन सहकारी समितियों, संयुक्त दायित्व समूहों एवं दातव्य(चैरिटेबल) न्यासों के लिए खोली गई है।

(iii) 'कयर कामगार' समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा स्कीम का उद्देश्य भारत के सभी कयर उत्पादक राज्यों में कयर कामगारों को आकस्मिक मृत्यु, स्थायी पूर्ण विकलांगता तथा स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमा कवरेज उपलब्ध कराना है। मृत्यु/स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि 50,000/- रु. तथा स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में 25,000/- रु. है। कयर बोर्ड द्वारा संपूर्ण कयर कामगारों के लिए प्रीमियम का प्रतिवर्ष पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए एकमुश्त राशि के रूप में बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। उद्योग में लगे 18 वर्ष एवं उससे ऊपर के कामगारों (ऊपरी आयु सीमा नहीं) को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। जुलाई, 2016 के दौरान इस स्कीम को कोर स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की ओर अभिमुख किया गया हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी और कयर बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आबंटित निधियों/ मार्जिन मनी के लक्ष्य और प्रयुक्त निधि/ मार्जिन मनी की उपलब्धि का राज्यवार ब्योरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी,वर्कशेड और एएबीवाई तथा कयर बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No.60 for answer on 20.12.2017

Fund Allocation/Target and fund utilized/Achievement of Margin Money under **PMEGP** during the last three years

(MM Rs. in lakh)

Sl. No.	State/UT	Target (Margin Money)			Achievement (Margin Money)		
		2014-15	2015-16	2016-17#	2014-15	2015-16	2016-17
1.	Jammu & Kashmir	2919.50	4006.80	3541.26	3274.63	3781.19	2621.40
2.	Himachal Pradesh	1687.45	1721.57	1970.11	2237.73	1767.26	2185.27
3.	Punjab	2711.49	3026.80	3504.09	3190.88	2902.97	3181.60
4.	U.T. Chandigarh	287.99	90.00	100.00	61.46	87.72	82.84
5.	Haryana	2716.36	3747.40	3371.31	3012.98	3112.09	3383.53
6.	Delhi	1061.04	257.35	300.00	189.24	254.05	182.41
7.	Rajasthan	5369.78	4188.14	5500.99	5249.62	4384.07	4641.60
8.	Uttarakhand	1882.35	1909.93	2140.93	2153.32	1740.86	2122.33
9.	Uttar Pradesh	13339.41	17535.32	12981.52	16937.53	14456.87	14271.05
10.	Chhattisgarh	3474.41	4303.8	4493.3	2045.68	2829.38	4070.73
11.	Madhya Pradesh	8182.74	7729.40	8527.32	9241.70	8117.17	8346.06
12.	Sikkim	541.34	227.38	200.00	33.52	186.11	35.93
13.	Arunachal Pradesh	1793.42	200.08	500.00	1004.99	38.85	440.34
14.	Nagaland	1563.64	1255.83	1751.68	878.59	1392.81	2007.48
15.	Manipur	1403.65	2855.92	1741.70	1600.76	1213.98	2162.78
16.	Mizoram	1043.39	924.99	1253.49	807.98	1026.35	491.96
17.	Tripura	985.02	2748.26	1578.62	1333.65	945.84	3734.66
18.	Meghalaya	1184.79	1250.62	1748.1	971.14	1056.12	407.89
19.	Assam	5388.75	4969.87	5636.41	5397.01	2869.74	4910.36
20.	Bihar	8277.14	7118.59	6909.77	4111.32	6588.55	8336.51
21.	West Bengal	4396.32	4765.49	3680.3	6010.11	3400.65	6270.32
22.	Jharkhand	4547.06	3462.64	4165.73	2871.29	3559.74	2654.35
23.	Odisha	5621.47	6282	5201.65	3945.89	5736.32	6848.96
24.	A & N Islands	593.09	158.00	100.00	92.32	65.11	193.46
25.	Gujarat*	4346.72	6536.16	5398.45	6200.52	6339.73	7561.61
26.	**Maharashtra****	**6299.38**	**9718.42**	**6111.30**	**7843.81**	**5285.03**	**6001.36**
27.	Goa	466.91	159.40	371.62	141.76	165.43	191.44
28.	Andhra Pradesh	2667.87	4496.85	2336.58	3492.11	2262.37	4916.08
29.	Telangana	1954.44	2094.00	2004.86	1889.35	2217.57	2561.72
30.	Karnataka	4512.99	10846.89	4941.62	6479.10	5898.01	11609.56
31.	Lakshadweep	704.68	90.00	50.00	28.61	0.00	0.00
32.	Kerala	2306.51	2731.60	2446.06	2679.28	2720.48	3350.68
33.	Tamil Nadu	4974.91	7110.80	5291.23	6733.89	5497.54	8213.92
34.	Puducherry	100.00	100.00	150.00	112.10	106.37	103.65
	Total	109306.00	128620.30	110000	112253.87	102006.33	128093.84

* including Dadra & Nagar Haveli ** including Daman& Diu #RE Targets

अनुबंध-I

दिनांक 20.12.2017 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.*60 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत निधि आवंटन/लक्ष्य और प्रयुक्त निधि/मार्जिन मनी की उपलब्धि

(मार्जिन मनी लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (मार्जिन मनी)			उपलब्धि (मार्जिन मनी)		
		2014-15	2015-16	2016-17#	2014-15	2015-16	2016-17
1.	जम्मू और कश्मीर	2919.50	4006.80	3541.26	3274.63	3781.19	2621.40
2.	हिमाचल प्रदेश	1687.45	1721.57	1970.11	2237.73	1767.26	2185.27
3.	पंजाब	2711.49	3026.80	3504.09	3190.88	2902.97	3181.60
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	287.99	90.00	100.00	61.46	87.72	82.84
5.	हरियाणा	2716.36	3747.40	3371.31	3012.98	3112.09	3383.53
6.	दिल्ली	1061.04	257.35	300.00	189.24	254.05	182.41
7.	राजस्थान	5369.78	4188.14	5500.99	5249.62	4384.07	4641.60
8.	उत्तराखंड	1882.35	1909.93	2140.93	2153.32	1740.86	2122.33
9.	उत्तर प्रदेश	13339.41	17535.32	12981.52	16937.53	14456.87	14271.05
10.	छत्तीसगढ़	3474.41	4303.8	4493.3	2045.68	2829.38	4070.73
11.	मध्य प्रदेश	8182.74	7729.40	8527.32	9241.70	8117.17	8346.06
12.	सिक्किम	541.34	227.38	200.00	33.52	186.11	35.93
13.	अरुणाचल प्रदेश	1793.42	200.08	500.00	1004.99	38.85	440.34
14.	नागालैंड	1563.64	1255.83	1751.68	878.59	1392.81	2007.48
15.	मणिपुर	1403.65	2855.92	1741.70	1600.76	1213.98	2162.78
16.	मिजोरम	1043.39	924.99	1253.49	807.98	1026.35	491.96
17.	त्रिपुरा	985.02	2748.26	1578.62	1333.65	945.84	3734.66
18.	मेघालय	1184.79	1250.62	1748.1	971.14	1056.12	407.89
19.	असम	5388.75	4969.87	5636.41	5397.01	2869.74	4910.36
20.	बिहार	8277.14	7118.59	6909.77	4111.32	6588.55	8336.51
21.	पश्चिम बंगाल	4396.32	4765.49	3680.3	6010.11	3400.65	6270.32
22.	झारखंड	4547.06	3462.64	4165.73	2871.29	3559.74	2654.35
23.	ओडिशा	5621.47	6282	5201.65	3945.89	5736.32	6848.96
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	593.09	158.00	100.00	92.32	65.11	193.46
25.	गुजरात*	4346.72	6536.16	5398.45	6200.52	6339.73	7561.61
26.	महाराष्ट्र**	6299.38	9718.42	6111.30	7843.81	5285.03	6001.36
27.	गोवा	466.91	159.40	371.62	141.76	165.43	191.44
28.	आंध्र प्रदेश	2667.87	4496.85	2336.58	3492.11	2262.37	4916.08
29.	तेलंगाना	1954.44	2094.00	2004.86	1889.35	2217.57	2561.72
30.	कर्नाटक	4512.99	10846.89	4941.62	6479.10	5898.01	11609.56
31.	लक्षद्वीप	704.68	90.00	50.00	28.61	0.00	0.00
32.	केरल	2306.51	2731.60	2446.06	2679.28	2720.48	3350.68
33.	तमिलनाडु	4974.91	7110.80	5291.23	6733.89	5497.54	8213.92
34.	पुडुचेरी	100.00	100.00	150.00	112.10	106.37	103.65
	कुल	109306.00	128620.30	110000	112253.87	102006.33	128093.84

* दादरा और नगर हवेली सहित ** दमण और दीव सहित #संशोधित अनुमान लक्ष्य

Funds Allocated and Utilized under various schemes of Coir Board

Mahila Coir Yojana – Subsidy

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	20.00	--	15.00	--	5.00	
Telangana					1.00	
Odisha	20.00	--	15.00	--	5.00	
Kerala	28.00	4.52	30.00	11.15	11.00	2.66
Lakshadweep	--	--	5.00	--	2.00	
Karnataka	--		15.00	--	4.00	
Maharashtra	--	--	**2.50**	--	**2.00**	
Goa	--	--	2.50	--		
Gujarat	--	--		--	1.00	
Tamil Nadu	20.00	0.90	25.00	--	7.00	
Pondicherry	--	--	--	--	2.00	
A& N Islands	--	--	5.00	--	2.00	
West Bengal	--	3.76	5.00	2.05	3.00	
NE Region	--	--	5.00	--	5.00	
Total	**88.00**	**9.18**	**125.00**	**13.20**	**50.00**	**2.66**

Mahila Coir Yojana – Training

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	20.00	5.00	21.00	1.40	4.20	4.76
Telangana	-	-	-	-	2.80	-
Odisha	15.00	18.00	21.00	16.10	4.90	6.09
Kerala	36.25	50.28	36.75	42.42	16.10	16.84
Lakshadweep	10.00	7.78	8.75	6.30	2.80	2.16
Karnataka	15.00	37.48	15.75	11.90	5.60	2.04
Maharashtra	**7.50**	**2.50**	**7.00**	**7.70**	**4.20**	**7.00**
Goa	5.00	-	1.75	-		0.62
Gujarat	5.00	8.00	1.75	4.20	1.40	0.68
Tamil Nadu	16.25	14.58	22.75	16.98	10.85	11.62
Pondicherry	11.25	1.35	3.50	0.56	1.40	-
A& N Islands	5.00	0.75	8.75	-	3.50	1.36
West Bengal	25.00	46.50	8.75	7.00	3.50	7.40
NE Region	28.75	28.50	17.50	10.78	8.75	11.90
Total	**200**	**220.72**	**175.00**	**125.34**	**70.00**	**72.47**

कयर बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटित एवं प्रयुक्त निधियां

महिला कयर योजना - सब्सिडी

(रुपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	20.00	--	15.00	--	5.00	
तेलंगाना					1.00	
ओडिशा	20.00	--	15.00	--	5.00	
केरल	28.00	4.52	30.00	11.15	11.00	2.66
लक्षद्वीप	--	--	5.00	--	2.00	
कर्नाटक	--		15.00	--	4.00	
महाराष्ट्र	--	--	2.50	--	2.00	
गोवा	--	--	2.50	--		
गुजरात	--	--		--	1.00	
तमिलनाडु	20.00	0.90	25.00	--	7.00	
पांडिचेरी	--	--	--	--	2.00	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--	5.00	--	2.00	
पश्चिम बंगाल	--	3.76	5.00	2.05	3.00	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	--	--	5.00	--	5.00	
कुल	**88.00**	**9.18**	**125.00**	**13.20**	**50.00**	**2.66**

महिला कयर योजना-प्रशिक्षण

(रुपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	20.00	5.00	21.00	1.40	4.20	4.76
तेलंगाना	-	-	-	-	2.80	-
ओडिशा	15.00	18.00	21.00	16.10	4.90	6.09
केरल	36.25	50.28	36.75	42.42	16.10	16.84
लक्षद्वीप	10.00	7.78	8.75	6.30	2.80	2.16
कर्नाटक	15.00	37.48	15.75	11.90	5.60	2.04
महाराष्ट्र	7.50	2.50	7.00	7.70	4.20	7.00
गोवा	5.00	-	1.75	-		0.62
गुजरात	5.00	8.00	1.75	4.20	1.40	0.68
तमिलनाडु	16.25	14.58	22.75	16.98	10.85	11.62
पांडिचेरी	11.25	1.35	3.50	0.56	1.40	-
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.00	0.75	8.75	-	3.50	1.36
पश्चिम बंगाल	25.00	46.50	8.75	7.00	3.50	7.40
पूर्वोत्तर क्षेत्र	28.75	28.50	17.50	10.78	8.75	11.90
कुल	**200**	**220.72**	**175.00**	**125.34**	**70.00**	**72.47**

Value Added Products Manufacturing – Training

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	32.50	10.65	7.00	6.86	4.20	4.76
Telangana	-	-	-	-	3.50	
Odisha	37.50	24.98	7.00	8.30	4.90	5.37
Kerala	36.25	60.58	54.25	29.33	15.4	12.34
Lakshadweep	10.00	5.03	8.75	3.50	3.50	4.76
Karnataka	32.50	50.00	15.75	12.60	5.60	2.04
Maharashtra	**17.50**	**3.00**	**7.00**	**6.30**	**3.50**	**3.40**
Goa	8.75	-	1.75	-		
Gujarat	11.25	13.50	1.75	1.40	1.40	0.68
Tamil Nadu	21.25	31.63	24.50	17.78	12.25	9.32
Pondicherry	12.50	1.33	3.50	0.56		
A& N Islands	8.75	1.13	8.75	4.20	3.50	5.44
West Bengal	37.50	57.00	14.00	11.20	3.50	2.72
NE Region	33.75	34.50	21.00	9.48	8.75	12.07
Total	**300.00**	**293.33**	**175.00**	**111.51**	**70.00**	**62.90**

Development of Production Infrastructure

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	30.00	8.42	4.00	--	3	
Telangana	--	--	--	--	3	
Odisha	30.00	--	4.00	2.00	6	
Kerala	90.00	6.87	10.00	6.73	15	
Lakshadweep	--	--	--	--		
Karnataka	30.00	22.84	4.00	--	6	
Maharashtra	--	--	**4.00**	--	**6**	
Goa	--	--		--		
Gujarat	--	3.99	--	--		
Tamil Nadu	220.00	115.28	18.00	86.58	30	68.02
Pondicherry	--	--	2.00	--		
A& N Islands	--	--	--	--		
West Bengal	--	--	--	--		
NE Region	--	--	4.00	--	6	
Total	**400.00**	**157.40**	**50.00**	**95.31**	**75**	**68.02**

मूल्य वर्धित उत्पाद विनिर्माण - प्रशिक्षण

(रुपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	32.50	10.65	7.00	6.86	4.20	4.76
तेलंगाना	-	-	-	-	3.50	
ओडिशा	37.50	24.98	7.00	8.30	4.90	5.37
केरल	36.25	60.58	54.25	29.33	15.4	12.34
लक्षद्वीप	10.00	5.03	8.75	3.50	3.50	4.76
कर्नाटक	32.50	50.00	15.75	12.60	5.60	2.04
महाराष्ट्र	17.50	3.00	7.00	6.30	3.50	3.40
गोवा	8.75	-	1.75	-		
गुजरात	11.25	13.50	1.75	1.40	1.40	0.68
तमिलनाडु	21.25	31.63	24.50	17.78	12.25	9.32
पांडिचेरी	12.50	1.33	3.50	0.56		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.75	1.13	8.75	4.20	3.50	5.44
पश्चिम बंगाल	37.50	57.00	14.00	11.20	3.50	2.72
पूर्वोत्तर क्षेत्र	33.75	34.50	21.00	9.48	8.75	12.07
कुल	**300.00**	**293.33**	**175.00**	**111.51**	**70.00**	**62.90**

उत्पादन अवसंरचना का विकास

(रुपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	30.00	8.42	4.00	--	3	
तेलंगाना	--	--	--	--	3	
ओडिशा	30.00	--	4.00	2.00	6	
केरल	90.00	6.87	10.00	6.73	15	
लक्षद्वीप	--	--	--	--		
कर्नाटक	30.00	22.84	4.00	--	6	
महाराष्ट्र	--	--	4.00	--	6	
गोवा	--	--		--		
गुजरात	--	3.99	--	--		
तमिलनाडु	220.00	115.28	18.00	86.58	30	68.02
पांडिचेरी	--	--	2.00	--		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--	--	--		
पश्चिम बंगाल	--	--	--	--		
पूर्वोत्तर क्षेत्र	--	--	4.00	--	6	
कुल	**400.00**	**157.40**	**50.00**	**95.31**	**75**	**68.02**

Coir Udyami Yojana

(Rs. in Lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Kerala	327.00	37.60	290.00	183.48	290.00	179.12
Lakshadweep	17.40	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
Tamil Nadu	338.00	178.76	300.00	624.14	300.00	540.31
A & N Islands	43.60	0.00	48.00	0.00	48.00	8.00
Karnataka	231.00	75.37	290.00	4.00	285.00	164.00
Maharashtra	**54.50**	**0.00**	**45.00**	**0.00**	**45.00**	**14.61**
Gujarat	11.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.00
Goa	21.80	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
Andhra Pradesh	98.10	58.80	195.00	215.60	200.00	228.80
Odisha	142.00	39.80	125.00	146.48	125.00	91.80
Jharkhand	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
Bihar	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
West Bengal	43.60	0.00	40.00	13.85	40.00	31.15
NE Region	150.00	0.00	160.00	5.46	160.00	10.24
Total	**1500.00**	**390.33**	**1600.00**	**1193.01**	**1600.00**	**1284.03**

कयर उद्यमी योजना

(रुपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
केरल	327.00	37.60	290.00	183.48	290.00	179.12
लक्षद्वीप	17.40	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
तमिलनाडु	338.00	178.76	300.00	624.14	300.00	540.31
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43.60	0.00	48.00	0.00	48.00	8.00
कर्नाटक	231.00	75.37	290.00	4.00	285.00	164.00
महाराष्ट्र	54.50	0.00	45.00	0.00	45.00	14.61
गुजरात	11.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.00
गोवा	21.80	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
आंध्र प्रदेश	98.10	58.80	195.00	215.60	200.00	228.80
ओडिशा	142.00	39.80	125.00	146.48	125.00	91.80
झारखंड	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
बिहार	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
पश्चिम बंगाल	43.60	0.00	40.00	13.85	40.00	31.15
पूर्वोत्तर क्षेत्र	150.00	0.00	160.00	5.46	160.00	10.24
कुल	**1500.00**	**390.33**	**1600.00**	**1193.01**	**1600.00**	**1284.03**

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No.60 for answer on 20.12.2017

State/UT-wise Number of beneficiaries benefitted under **PMEGP Scheme** during the last three years

(Projects in numbers)

Sl. No.	State/UT	Beneficiaries benefitted (Projects)		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	Jammu & Kashmir	1565	2207	1492
2.	Himachal Pradesh	1244	1077	941
3.	Punjab	1153	966	1266
4.	U.T. Chandigarh	36	43	47
5.	Haryana	1175	1248	1377
6.	Delhi	198	256	119
7.	Rajasthan	1976	1988	1749
8.	Uttarakhand	1333	1136	1345
9.	Uttar Pradesh	4891	4365	4074
10.	Chhattisgarh	847	1277	1598
11.	Madhya Pradesh	2737	1979	1940
12.	Sikkim	16	110	27
13.	Arunachal Pradesh	652	35	301
14.	Nagaland	416	623	1018
15.	Manipur	747	685	1265
16.	Mizoram	817	1134	425
17.	Tripura	787	642	2297
18.	Meghalaya	555	603	329
19.	Assam	5015	3483	6028
20.	Bihar	1639	2430	3234
21.	West Bengal	3397	1873	3528
22.	Jharkhand	1699	1839	1300
23.	Odisha	2013	2876	3029
24.	A & N Islands	161	119	195
25.	Gujarat*	1289	1419	1386
26.	**Maharashtra****	**3469**	**2497**	**2325**
27.	Goa	78	91	90
28.	Andhra Pradesh	937	642	1357
29.	Telangana	604	660	664
30.	Karnataka	2431	2140	3575
31.	Lakshadweep	31	0	0
32.	Kerala	1344	1369	1584
33.	Tamil Nadu	2858	2463	2941
34.	Puducherry	58	65	66
	Total	**48168**	**44340**	**52912**

* including Dadra & Nagar Haveli ** including Daman& Diu

अनुबंध- II

दिनांक 20.12.2017 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.•60 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

(परियोजनाओं की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित लाभार्थी (परियोजना)		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	जम्मू और कश्मीर	1565	2207	1492
2.	हिमाचल प्रदेश	1244	1077	941
3.	पंजाब	1153	966	1266
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	36	43	47
5.	हरियाणा	1175	1248	1377
6.	दिल्ली	198	256	119
7.	राजस्थान	1976	1988	1749
8.	उत्तराखंड	1333	1136	1345
9.	उत्तर प्रदेश	4891	4365	4074
10.	छत्तीसगढ़	847	1277	1598
11.	मध्य प्रदेश	2737	1979	1940
12.	सिक्किम	16	110	27
13.	अरुणाचल प्रदेश	652	35	301
14.	नागालैंड	416	623	1018
15.	मणिपुर	747	685	1265
16.	मिजोरम	817	1134	425
17.	त्रिपुरा	787	642	2297
18.	मेघालय	555	603	329
19.	असम	5015	3483	6028
20.	बिहार	1639	2430	3234
21.	पश्चिम बंगाल	3397	1873	3528
22.	झारखंड	1699	1839	1300
23.	ओडिशा	2013	2876	3029
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	161	119	195
25.	गुजरात*	1289	1419	1386
26.	महाराष्ट्र**	3469	2497	2325
27.	गोवा	78	91	90
28.	आंध्र प्रदेश	937	642	1357
29.	तेलंगाना	604	660	664
30.	कर्नाटक	2431	2140	3575
31.	लक्षद्वीप	31	0	0
32.	केरल	1344	1369	1584
33.	तमिलनाडु	2858	2463	2941
34.	पुडुचेरी	58	65	66
	कुल	48168	44340	52912

* दादरा और नगर हवेली सहित ** दमण और दीव सहित

State/UT-wise Number of beneficiaries benefitted under **Workshed Scheme** during the last three years

Sl.No.	Name of State/UT	2014-15	2015-16	2016-17(P)
1	Delhi	0	0	0
2	Jammu	0	0	0
3	Himachal Pradesh	160	0	20
4	Haryana	225	55	220
5	Chandigarh (UT)	30	10	20
6	Rajasthan	0	10	115
7	Madhya Pradesh	90	20	20
8	Chhattisgarh	210	236	120
9	Uttarakhand	18	25	25
10	Uttar Pradesh	1104	310	1385
11	Karnataka	90	0	115
12	Tamil Nadu	250	57	70
13	Telangana	0	0	65
14	Andhra Pradesh	110	50	200
15	**Maharashtra**	**60**	**34**	**45**
16	Kerala	110	25	280
17	Gujarat	200	50	200
18	Goa	0	0	0
19	West Bengal	565	140	100
20	Bihar	200	0	20
21	Jharkhand	0	30	50
22	Odhisha	100	25	80
23	Assam	380	193	183
24	Nagaland	0	0	0
25	Tripura	0	0	0
26	Manipur	0	0	0
27	Meghalaya	0	0	0
28	Sikkim	0	0	0
29	Arunachal Pradesh	0	0	0
30	Mizoram	0	0	0
	Total	**3902**	**1270**	**3333**

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17(अ)
1	दिल्ली	0	0	0
2	जम्मू	0	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	160	0	20
4	हरियाणा	225	55	220
5	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	30	10	20
6	राजस्थान	0	10	115
7	मध्य प्रदेश	90	20	20
8	छतीसगढ़	210	236	120
9	उत्तराखंड	18	25	25
10	उत्तर प्रदेश	1104	310	1385
11	कर्नाटक	90	0	115
12	तमिलनाडु	250	57	70
13	तेलंगाना	0	0	65
14	आंध्र प्रदेश	110	50	200
15	महाराष्ट्र	60	34	45
16	केरल	110	25	280
17	गुजरात	200	50	200
18	गोवा	0	0	0
19	पश्चिम बंगाल	565	140	100
20	बिहार	200	0	20
21	झारखंड	0	30	50
22	ओडिशा	100	25	80
23	असम	380	193	183
24	नागालैंड	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	मणिपुर	0	0	0
27	मेघालय	0	0	0
28	सिक्किम	0	0	0
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
30	मिजोरम	0	0	0
	कुल	3902	1270	3333

State/UT-wise Number of artisans covered under **Aam Admi BimaYojona Scheme** during the last three years

Sl. No.	State	2014-15	2015-16	2016-17(p)
1.	Jammu & Kashmir	3814	2718	2718
2.	Himachal Pradesh	1194	1077	1077
3.	Punjab	4777	4118	4118
4.	UT Chandigarh	-	0	-
5.	Haryana	29438	29932	29932
6.	Delhi	926	930	930
7.	Rajasthan	16959	13327	13327
8.	Uttarakhand	10310	10239	10230
9.	Uttar Pradesh	127767	127767	127656
10.	Chattisgarh	2339	2339	2339
11.	Madhya Pradesh	1315	1296	1296
12.	Sikkim	-	0	0
13.	Arunachal Pradesh	18	16	16
14.	Nagaland	180	180	180
15.	Manipur	71	153	153
16.	Mizoram	-	0	0
17.	Tripura	-	0	0
18.	Meghalaya	16	29	29
19.	Assam	3973	3767	3656
20.	Bihar	6736	6614	6614
21.	West Bengal	23517	23517	22207
22.	Jharkhand	1588	1588	1588
23.	Odisha	2817	2492	2491
24.	A&N Islands	-	0	0
25.	Gujarat	10314	10267	10167
26.	**Maharashtra**	**950**	**950**	**950**
27.	Goa	-	0	0
28.	Andhra Pradesh	6421	7786	7686
29.	Telangana	1381	1238	1234
30.	Karnataka	15634	15634	15620
31.	Lakshadweep	-	0	0
32.	Kerala	9760	9760	9764
33.	Tamil Nadu	10332	10264	10200
34.	Puducherry	-	0	0
	Total	**292547**	**287998**	**286178**

(P) Provisional

पिछले तीन वर्षों के दौरान आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कारीगरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)
1.	जम्मू और कश्मीर	3814	2718	2718
2.	हिमाचल प्रदेश	1194	1077	1077
3.	पंजाब	4777	4118	4118
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	-	0	-
5.	हरियाणा	29438	29932	29932
6.	दिल्ली	926	930	930
7.	राजस्थान	16959	13327	13327
8.	उत्तराखंड	10310	10239	10230
9.	उत्तर प्रदेश	127767	127767	127656
10.	छत्तीसगढ़	2339	2339	2339
11.	मध्य प्रदेश	1315	1296	1296
12.	सिक्किम	-	0	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	18	16	16
14.	नागालैंड	180	180	180
15.	मणिपुर	71	153	153
16.	मिजोरम	-	0	0
17.	त्रिपुरा	-	0	0
18.	मेघालय	16	29	29
19.	असम	3973	3767	3656
20.	बिहार	6736	6614	6614
21.	पश्चिम बंगाल	23517	23517	22207
22.	झारखंड	1588	1588	1588
23.	ओडिशा	2817	2492	2491
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	0	0
25.	गुजरात	10314	10267	10167
26.	महाराष्ट्र	950	950	950
27.	गोवा	-	0	0
28.	आंध्र प्रदेश	6421	7786	7686
29.	तेलंगाना	1381	1238	1234
30.	कर्नाटक	15634	15634	15620
31.	लक्षद्वीप	-	0	0
32.	केरल	9760	9760	9764
33.	तमिलनाडु	10332	10264	10200
34.	पुडुचेरी	-	0	0
	कुल	292547	287998	286178

(अ) अनंतिम

Rural artisans who have benefitted from the schemes of Coir Board

State	2014-15	2015-16	2016-17
Kerala	820	1312	863
Tamil Nadu	2340	1483	1571
Karnataka	418	102	339
Andhra Pradesh	234	879	620
Odisha	287	325	211
Others	212	108	258
Total	**4311**	**4209**	**3862**

ग्रामीण कारीगर जो कयर बोर्ड की स्कीमों से लाभान्वित हुए हैं।

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17
केरल	820	1312	863
तमिलनाडु	2340	1483	1571
कर्नाटक	418	102	339
आंध्र प्रदेश	234	879	620
ओडिशा	287	325	211
अन्य	212	108	258
कुल	**4311**	**4209**	**3862**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 599
TO BE ANSWERED ON: 20.12.2017

Concerns raised by MSMEs due to GST

599. SHRI HUSAIN DALWAI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the impact of GST on the Apparel Sector consisting primarily of Micro, Small and Medium Enterprises has led to decline in textiles exports for the period from July-October, 2017 by 6 per cent, the details thereof:

(b) the details of the concerns raised by MSMEs;

(c) whether Government is introducing incentives like access to loans at discounted rates for MSMEs that comply with GST rules, if so, the details thereof; and

(d) the other steps taken to support MSMEs in transition to GST by addressing their concerns and building necessary capabilities?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Export of readymade garments has registered a decline in July – October, 2017 period as compared to the same period in the previous year. However, export of a particular commodity depends on various factors such as global demand, price policy of competitors, economic environment and policy of destination countries etc. As such aforesaid decline in the export of readymade garments cannot be attributed only to the impact of GST.

(b): Industry Associations and other stakeholders have expressed concern about some aspects of GST such as GST on Khadi, many items in 28% tax bracket, low ceiling of Composition Levy Scheme, reverse charge mechanism, etc.

(c)&(d): Government has taken several pro-active measures for smooth implementation of GST for MSMEs including:

i. Exemption to Khadi fabric sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions/outlets;
ii. Majority of items produced by the MSMEs in the band of 28% tax slab brought to lower slabs;
iii. Composition levy extended upto turnover worth Rs. 150 lakh per annum;
iv. Quarterly return to be filed by GST registered units having turnover of Rs. 150 lakh per annum or less.
v. Reverse Charge Mechanism kept in abeyance till March 2018.

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 601
TO BE ANSWERED ON 20.12.2017

Sanctioning of loans under PMEGP

601. SHRI RIPUN BORA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister's Employment Generation Programme(PMEGP) is plagued by delay in the process of sanctioning loans and that job growth under the PMEGP has been steadily declining over the years;
(b) the number of jobs created/growth achieved under PMEGP during the last three financial years;
(c) what steps have been taken by Government to overcome these problems; and
(d) how much loans have been sanctioned for North-East India and how much employment has been created in North-East India under PMEGP during the last three financial years?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)to(c): The loan application under PMEGP is examined and processed at District Level Task Force Committee (DLTFC). Applications recommended by the DLTFC are forwarded to the banks. Banks are empowered to take their own credit decision on the basis of viability of each project for sanction of the loan under PMEGP. Banks appraise projects both technically and economically ensuring that each project fulfills the prescribed criteria. As per the instruction of RBI, banks are mandated to sanction Micro Sector loans within 30 days from the date of receipt of loan application. However banks often take more than 30 days to process an application.

The number of jobs created under PMEGP during the last three financial years and current year is given below:

Year	Employment generated
2014-15	3,57,502
2015-16	3,23,362
2016-17	4,07,840
2017-18 (up to 30.11.2017)	1,83,344

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 601
उत्तर देने की तारीख 20.12.2017
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी)
के अंतर्गत ऋणकी संस्वीकृति

601. श्री रिपुन बोराः क्या सूक्ष्म, लघु औरमध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री रोजगारसृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ऋण की स्वीकृतिकी प्रक्रिया में विलंब होने की समस्या से ग्रस्त हैंऔर पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार-वृद्धि पिछलेकुछ वर्षों में लगातार कम हुई है;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरानपीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित नौकरियों कीसंख्या/वृद्धि क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटनेके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरानपीएमईजीपी के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी भारत के लिएकितना ऋण संस्वीकृत किया गया है और उत्तरपूर्वी भारत में कितने रोज़गार का सृजन किया गयाहै?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क), (ख) और (ग): पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण के आवेदन की जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीएलटीएफसी) द्वारा जाँच कर उस पर कार्रवाईकी जाती है। डीएलटीएफसी द्वारा अनुशंसित आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए जाते हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण की स्वीकृति के लिए प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों को अपने ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया गया है। बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक परियोजना तकनीकी और आर्थिक दोनों रूप से निर्धारित मापदंडों को पूरा करती है। आरबीआई के अनुदेश के अनुसार, बैंक ऋण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर सूक्ष्म क्षेत्र के ऋणों को स्वीकृत करने के लिए आवश्यक (मेनडेट) है। तथापि, बैंक प्रायः आवेदन पर कार्रवाई (प्रॉसेस) करने के लिए 30 दिनों से अधिक लेते हैं।

विगत तीन वित्त वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित रोजगारों की संख्या नीचे दी गई हैं:

वर्ष	सृजित रोजगार
2014-15	357,502
2015-16	323,362
2016-17	407840
2017-18 (30.11.2017 तक)	183344

To reduce the delay in the loan sanctioning process following initiatives have been taken under PMEGP Scheme:

- In order to streamline the process of application flow and fund flow and to bring in transparency and better financial management an online PMEGP e-portal has been introduced. All applications and fund flow will be processed online in stipulated time frame.

- For speedy completion of EDP training, these are being conducted through Departmental Training Centres as well as RSETIs/RUDSETIs. An MOU has been executed between KVIC & National Centre for Excellence of RSETIs (NACER).

- Implementing Agencies are instructed to encourage and provide necessary assistance to the beneficiaries for filing online application by setting up of help desks.

- To resolve the bottlenecks in the PMEGP online system related to banks, Nodal Officers at the Head office level are nominated for all nationalized banks.

(d): The details of margin money subsidy released, number of units setup and total number of estimated employment generated under PMEGP for North-East India during the last three financial years and current FY(up to 30.11.2017) is given below:

PMEGP performance in NER States for last three years and current financial year (up to 30.11.2017) is as under:

Sr. No.	Year	Margin Money allocation (Rs.in lakh)	Margin Money utilized# (Rs.in lakh)	Units assisted (Number)	Estimated employment generated (Number)	Estimated credit flow (Rs. in lakh)
1	2014-15	13904.00	12027.64	9005	38445	32474.63
2	2015-16	14432.95	8729.80	7315	36491	23570.46
3	2016-17	12700.00	14191.40	11690	73878	38316.78
4	2017-18*	13465.00	5024.94	3251	26008	13734.62
	Total	54501.95	39973.78	31261	174822	108096.49

including un-utilized balance funds of previous year
* up to 30.11.2017

*****

ऋण स्वीकार करने संबंधी प्रक्रिया में विलम्ब को कम करने के लिए पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित पहल की गई है:

- आवेदन प्रवाह एवं निधि प्रवाह को सरल एवं कारगर बनाने तथा पारदर्शिता लाने तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पीएमईजीपी ई-पोर्टल शुरू किया गया है। निर्धारित समय सीमा में सभी आवेदनों एवं निधि प्रवाह पर कार्रवाई की जाएगी।
- ईडीपी प्रशिक्षण की त्वरित पूर्णता के लिए इन्हें विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं आरसेटी/रुड सेटी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। आरसेटी तथा नैशलन सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ आरसेटी (नेसर) के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदेश दिए जाते हैं कि हेल्प डेस्कों की स्थापना कर ऑनलाइन आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित करें एवं आवश्यक सहायता दें।
- बैंकों से संबंधित पीएमईजीपी ऑनलाइन पद्धति में अवरोधों को दूर करने के लिए मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारियों को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए मनोनीत किया गया है।

(घ): विगत तीन वर्षों तथा चालू वित वर्ष (30.11.2017 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर भारत के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत जारी मार्जिन मनी सब्सिडी, स्थापित इकाइयों की संख्या तथा सृजित अनुमानित रोजगार की कुल संख्या का ब्योरा नीचे दिया गया है:

विगत तीन वर्षों एवं चालू वित्त वर्ष (30.11.2017 तक) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन:

क्र. सं.	वर्ष	मार्जिन मनी आबंटन (रूपए लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी # (रूपए लाख में)	सहायता प्राप्त इकाई (संख्या)	सृजित अनुमानित रोजगार (संख्या)	अनुमानित ऋण प्रवाह (रूपए लाख में)
1	2014-15	13904.00	12027.64	9005	38445	32474.63
2	2015-16	14432.95	8729.80	7315	36491	23570.46
3	2016-17	12700.00	14191.40	11690	73878	38316.78
4	2017-18*	13465.00	5024.94	3251	26008	13734.62
	कुल	54501.95	39973.78	31261	174822	108096.49

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियाँ सहित

* 30.11.2017 तक

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION DY. NO. 602
TO BE ANSWERED ON 20.12.2017

Units assisted under PMEGP

602. SHRI MOHD. ALI KHAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that number of units assisted under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is coming down over the years;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of units assisted and margin money utilized and employment generated during last three years; and

(d) whether there is any proposal with Government to extend the assistance under this programme to the existing units?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (c): The number of units assisted under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) varies depending upon the budgetary allocation under the scheme. The average project cost is increasing over the years. During 2010-11 the project cost was 5-6 lakhs per project while during 2016-17 the average project cost is 7-8 lakhs. As the fund allocation is nearly constant, the number of units setup under PMEGP decreases due to increase in average project cost. Details of margin money allocated, margin money utilized, number of units setup and estimated employment generated during last three years and current year upto 30.11.2017 are given below:

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 602
उत्तर देने की तारीख 20.12.2017

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयां

602. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सहायता दी गई इकाइयों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में कमी हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता दी गई इकाइयों की संख्या, उपयोग की मार्जिन राशि तथा सृजित रोज़गार कितनी है; और
(घ) क्या सरकार के पास इस कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा इकाइयों को सहायता प्रदान करने का कोई विचार है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाईयों की संख्या स्कीम के अंतर्गत बजटीय आवंटन पर भिन्न-भिन्न रूप में निर्भर होती है। औसत परियोजना लागत पिछले वर्षो से बढ़ रही है। वर्ष 2010-11 के दौरान परियोजना लागत प्रति परियोजना 5-6 लाख रुपये थी जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान औसत परियोजना लागत 7-8 लाख रुपये है क्योंकि निधि आवंटन लगभग स्थिर है, पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की संख्या मेंऔसत परियोजना लागत में वृद्धि के कारण कमी हुई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान (30.11.2017 तक) आवंटित मार्जिन मनी, प्रयुक्त मार्जिन मनी, स्थापित ईकाइयों की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार का विवरण नीचे दिया गया हैः

Year	Margin money allocation (Rs crore)	Margin money subsidy utilized# (Rs crore)	No. of units assisted	Estimated employment generated
2014-15	1093.06	1122.54	48,168	357,502
2015-16	1254.68	1020.06	44,340	323,362
2016-17	1085.90	1280.91	52912	407840
2017-18*	1004.49	630.72	22918	183344

including un-utilized balance funds of previous year

* Up to 30.11.2017

(d): Yes, Sir.

*****

वर्ष	आवंटित मार्जिन मनी (रु. करोड़ में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु. करोड़ में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार
2014-15	1093.06	1122.54	48,168	357,502
2015-16	1254.68	1020.06	44,340	323,362
2016-17	1085.90	1280.91	52912	407840
2017-18*	1004.49	630.72	22918	183344

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* 30.11.2017 तक

(घ) जी, हाँ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 603
TO BE ANSWERED ON 20.12.2017

Outlets of coir and coir products

603. SHRI ANUBHAV MOHANTY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the domestic market for the coir and coir products is large enough to consume the entire coir production on an annual basis;
(b) how many outlets Government has throughout the country for selling the coir products; and
(c) whether it is a fact that most of the outlets are in a miserable condition and need immediate renovation and whether there is any proposal to increase the number of outlets, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The Domestic market includes sale of coir and coir products through Coir Board's Showrooms and sales outlets. Coir Board has 29 outlets throughout the Country for selling coir products. The list of Showrooms is at Annexure I. In addition to the Coir Board outlets, State Governments and private players are also having showrooms for selling the coir products. However, the reach of the coir products in India is very limited and confined to only Metros and major cities. Considering the vast geographical area available in India and the huge population, it is expected that the domestic market potential available in India is large enough to consume the entire coir production on annual basis.

(c): The Showrooms are old and need renovation. The Board has already completed renovation of its Showrooms at Indore, Navi Mumbai, Lucknow, Patna and Trivandrum. The renovation works of its Showrooms at Jammu, Jaipur, Ahmedabad and Chennai have already been initiated. The Board has no plan to set up new showrooms but, the Board is in the process of setting up of a network of franchisees connected to the Supplier base through a Marketing Portal, which will increase the reach of the product.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 603

उत्तर देने की तारीख 20.12.2017

कयर एवं कयर उत्पादों की दुकानें

603. श्री अनुभव मोहंती: क्या सूक्ष्म, लघु औरमध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कयर तथा कयर उत्पादों का घरेलूबाजार इतना है कि वार्षिक आधार पर संपूर्ण कयरउत्पादन का उपभोग हो जाए;

(ख) कयर उत्पादों के विक्रय के लिए सरकारके पास देश भर में कितनी दुकानें हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश दुकानेंदयनीय स्थिति में हैं और उनके अविलंब नवीकरणकी आवश्यकता है और क्या दुकानों की संख्याबढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): घरेलू बाजार में कयर बोर्ड के शोरूमों एवं बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कयर एवं कयर उत्पादों की बिक्री शामिल है। कयर बोर्ड के पास कयर उत्पाद बेचने के लिए देश भर में 29 बिक्री केन्द्र हैं। शोरूमों की सूची अनुबंध-। में दी गई है। कयर बोर्ड के बिक्री केन्द्रों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों एवं प्राइवेट प्लेयरों (व्यवसायियों) के पास भी कयर उत्पाद बेचने के लिए शोरूम हैं। तथापि, भारत में कयर उत्पादों की पहुँच मात्र मेट्रो एवं बड़े शहरों तक ही सीमित है। भारत में उपलब्ध वृहत् भौगोलिक क्षेत्र एवं बड़ी जनसंख्या पर विचार करते हुए यह आशा की जाती है कि भारत में उपलब्ध घरेलू बाजार की संभावना वार्षिक आधार पर संपूर्ण कयर उत्पादन की खपत करने के लिए बहुत बड़ा है।

(ग): शोरूम पुराने हैं और उनकी नवीनीकरण की आवश्यकता है। बोर्ड ने पहले ही इंदौर, नवी मुम्बई, लखनऊ, पटना और त्रिवेन्द्रम में अपने शोरूमों का नवीनीकरण पूरा किया है। जम्मू, अहमदाबाद और चैन्ने स्थित इनके शोरूमों के नवीनीकरण कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है। बोर्ड की नए शोरूम स्थापित करने की कोई योजना नहीं है परंतु बोर्ड मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से सप्लायर बेस से संबंधित फ्रेंचाइजिज नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं जो उत्पाद की पहुँच को बढ़ायेगा।

*****

Annexure I

Annexure I referred to in reply to part (a) & (b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 603 for answer on 20.12.2017.

Coir Board Showrooms & Sales Depots

Sl.No.	Name of Showrooms
1	AGARTALA
2	AHMEDABAD
3	ALLAHABAD
4	BANGLORE
5	BHUBANESWAR
6	CHANDIGARH
7	CHENNAI
8	DEHRADUN
9	ERNAKULAM
10	GANGTOK
11	GUNTUR
12	GUWAHATI
13	HYDERBAD
14	INDORE
15	JAIPUR
16	JAMMU
17	KANPUR
18	KOLKATTA
19	LUCKNOW
20	MADURAI
21	NAVI MUMBAI
22	NEWDELHI (CP)
23	NEWDELHI(NP)
24	PALAKKAD
25	PATNA
26	TRICHUR
27	TRIVANDRUM
28	VARANASI
29	VISAKHAPATANAM

अनुबंध-I

दिनांक 20.12.2017 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.603 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

कयर बोर्ड के शोरूम एवं बिक्री डिपो

क्र.सं.	शोरूम का नाम
1	अगरतला
2	अहमदाबाद
3	इलाहाबाद
4	बैंगलुरू
5	भुवनेश्वर
6	चंडीगढ़
7	चेन्नई
8	देहरादून
9	एर्नाकुलम
10	गंगटोक
11	गुन्टूर
12	गुवाहाटी
13	हैदराबाद
14	इंदौर
15	जयपुर
16	जम्मू
17	कानपुर
18	कोलकाता
19	लखनऊ
20	मदुरै
21	नवी मुम्बई
22	नई दिल्ली (सीपी)
23	नई दिल्ली (एनपी)
24	पालकड़
25	पटना
26	त्रिशूर
27	त्रिवेन्द्रम
28	वाराणसी
29	विशाखापटनम

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 604
TO BE ANSWERED ON 20.12.2017

Panel to study problems of MSMEs

604. SHRI DEVENDER GOUD T.:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly five lakh MSMEs have been closed down in various States of the country and nearly 2500 have been closed down in Andhra Pradesh and Telangana;
(b) if so, the reasons for such closure and how Ministry is addressing the reasons for closure and helping them to revive;
(c) why no specific panel was set up to study the problem being faced by MSMEs in the country; and
(d) whether there is any proposal to set up one such panel to study MSME problems and, if not, the reasons therefor ?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): As per the provisional data received from the Reserve Bank of India (RBI), the number of sick micro, small and medium enterprises (MSMEs) in March, 2016 was 4,86,291 in the entire country. Out of these 11,476 and 7,847 MSMEs were in Andhra Pradesh and Telangana, respectively.

(b): As per the fourth All India Census of MSMEs, the main reasons for closure/ sickness of MSMEs are stated to be Lack of demand, Shortage of working capital, Non availability of raw materials, Power shortage, Marketing problems, Labour problems, Management problems, Equipment problems etc.

A Framework for Revival and Rehabilitation of the MSME units has been put in place under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(c): A Committee was set up to study the problems faced by MSMEs and to suggest a policy framework for the MSME sector. The Committee has submitted its report in January 2017.

(d): Does not apply in view of (c) above.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 604

उत्तर देने की तारीख : 20.12.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की समस्याओं के अध्ययन के लिए पैनल

604. श्री देवेंदर गौड टी.:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में लगभग पांच लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए हैं और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में लगभग 2500 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके बंद होने के कारण क्या हैं और मंत्रालय किस प्रकार बंद होने के कारणों को दूर करने और उन्हें पुनर्जीवित कर सहायता देने जा रहा है;

(ग) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के समक्ष पेश आ रही समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई विशिष्ट पैनल क्यों नहीं बनाया गया; और

(घ) क्या एमएसएमई संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए ऐसे पैनल बनाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2016 में पूरे देश में रुग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 4,86,291 थी । इनमें से 11,476 और 7,847 एमएसएमई क्रमशः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में थे।

(ख) : एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना के अनुसार, एमएसएमई की रुग्णता के मुख्य कारण मांग का अभाव, कार्यशील पूंजी की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, विपणन समस्या, श्रमिक समस्या, प्रबंधन की समस्या, उपकरण की समस्या आदि हैं।

एमएसएमई की इकाइयों के पुनरुद्धार और पुनर्वास का फ्रेमवर्क सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत तैयार किया गया है।

(ग) : एमएसएमई के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने और एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2017 में प्रस्तुत की है ।

(घ) : उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 605
TO BE ANSWERED ON 20.12.17

MSME projects in Andhra Pradesh

605. SHRI T.G. VENKATESH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Ministry is committed to encourage development of MSME projects in the country, if so, the details thereof;
(b) the details of the schemes being undertaken in the states in this direction;
(c) whether the Ministry has convened a meeting with State representative at Delhi recently to discuss for Cluster Development Programmes, if so, the details of the proposals received and considered for implementation under this programme;
(d) the quantum of funds, allocated for this purpose and the quantum of funds released so far to each State, particularly to Andhra Pradesh; and
(e) the details of the ideas exchanged by the States in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Yes. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India (GoI) is implementing various schemes for encouraging development of MSME projects in the States. The list of schemes is enclosed (**Annexure-I**).

(c): The Steering Committee Meeting under the Chairmanship of Secretary (MSME) is held periodically to take decisions on the proposals received from State Governments under Micro and Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP). The last meeting of Steering Committee was held on 22.11.17 at New Delhi in which:

(i) In-principle approvals were accorded to 10 proposals.
(ii) Final approvals were accorded to 8 proposals.
(iii) Time limit for implementation was extended for 5 projects.

(d): The quantum of funds allocated for Cluster Development Programme in the Budget was Rs.135.00 crore in 2016-17 and is Rs.184.00 crore in 2017-18. A statement showing the quantum of funds released State-wise and particularly Andhra Pradesh during 2016-17 and 2017-18 (upto 30.11.17) is enclosed (**Annexure-II**).

(e): The meeting was called to consider the proposals received from States.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 605

उत्तर देने की तारीख : 20.12.2017

आन्ध्र प्रदेश में एमएसएमई परियोजनाएं

605. श्री टी. जी. वेंकटेश :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय देश में एमएसएमई परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिबद्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में इस दिशा में आरंभ की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने कलस्टर विकास कार्यक्रमों के लिए चर्चा करने हेतु दिल्ली में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए प्राप्त प्रस्ताव तथा किए गए विचार का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्देश्य हेतु नियत की गई राशि की मात्रा तथा अब तक प्रत्येक राज्य, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश को निर्मुक्त की गई राशि की मात्रा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में राज्यों द्वारा आदान-प्रदान किए गए विचारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार राज्यों में एमएसएमई परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। योजनाओं की सूची संलग्न है (अनुबंध I) ।

(ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए समय-समय पर सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में संचालन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। संचालन समिति की पिछली बैठक नई दिल्ली में 22.11.17 को आयोजित की गई थी, जिसमें:

(i) 10 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) 8 प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii) कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा 5 परियोजनाओं के लिए बढ़ाई गई।

(घ) : बजट में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित निधियों की मात्रा 2016-17 में 135.00 करोड़ रुपये थी और 2017-18 में 184.00 करोड़ रुपये है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 (30.11.2017 तक) के दौरान राज्य-वार और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश को जारी निधियों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबंध II) ।

(ङ) : राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई थी।

*****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (a)&(b) of the Rajya Sabha Un-starred Question No. 605 for answer on 20.12.2017.

Various Schemes of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

1. **Prime Minister Employment Generation Programme and Other Credit Support Schemes**
   - (i) Prime Minister Employment Generation Programme(PMEGP)
   - (ii) Performance and Credit Rating Scheme
   - (iii) Credit Guarantee Trust Fund for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)
   - (iv) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC)
2. **Development of Khadi, Village and Coir Industries**
   - (i) Science and Technology Scheme
   - (ii) Market Promotion & Development Scheme (MPDA)
   - (iii) Revamped Scheme Of Fund for Regeneration Of Traditional Industries (SFURTI)
   - (iv) Coir Udyami Yojana (CUY)
   - (v) Coir Vikas Yojana (CVY)
     - a. Skill Upgradation & Mahila Coir Yojana (MCY)
     - b. Development Of Production Infrastructure (DPI)
     - c. Domestic Market Promotion Scheme
     - d. Export Market Promotion
     - e. Trade and Industry Related Functional Support Services (TIRFSS)
3. **Technology Upgradation and Quality Certification**
   - (i) Financial Support to MSMEs in ZED Certification Scheme
   - (ii) A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE)
   - (iii) National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP)
     - a. Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation
     - b. ISO 9000/ISO 14001 Certification Reimbursement
     - c. Marketing Support/Assistance to MSMEs (Bar Code)
     - d. Lean Manufacturing Competitiveness for MSMEs
     - e. Design Clinic for Design Expertise to MSMEs
     - f. Technology and Quality Upgradation Support to MSMEs
     - g. Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs through Incubators
     - h. Enabling Manufacturing Sector to be Competitive through QMS&QTT
     - i. Building Awareness on Intellectual Property Rights (IPR)
4. **Marketing Promotion Schemes**
   - (i) International Cooperation
   - (ii) Marketing Assistance Scheme
   - (iii) Marketing Assistance & Technology Upgradation (MATU)
   - (iv) MSME Market Development Assistance (MDA)
5. **Entrepreneurship and skill Development Programme**
   - (i) Assistance to Training Institutions (ATI)
6. **Infrastructure Development Programme**
   - (i) Micro & Small enterprises Cluster Development (MSE-CDP)

Detailed information is available at www.msme.gov.in , www.dcmsme.gov.in

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 605 जिसका उत्तर 20.12.2017 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध- I

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं

1. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं
   - (i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
   - (ii) निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना
   - (iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई)
   - (iv) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी)

2. खादी, ग्राम और कॅयर उद्योग का विकास
   - (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना
   - (ii) विपणन संवर्धन और विकास योजना (एमपीडीए)
   - (iii) पारंपरिक उद्योगों के पुनरूज्जीवन के लिए निधि की नवीनीकृत योजना (स्फूर्ति)
   - (iv) कॅयर उद्यमी योजना (सीयूवाई)
   - (v) कॅयर विकास योजना (सीवीवाई)
     - क. कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना (एमसीवाई)
     - ख. उत्पादन अवसंरचना का विकास (डीपीआई)
     - ग. घरेलू बाजार संवर्धन योजना
     - घ. निर्यात बाजार संवर्धन
     - ङ. व्यापार और उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएं (टीआईआरएफएसएस)

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन
   - (i) जेड प्रमाणन योजना में एमएसएमई को वित्तीय सहायता
   - (ii) नवप्रवर्तन, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर)
   - (iii) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)
     - क. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी
     - ख. आईएसओ 9000/आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति
     - ग. विपणन सहायता/एमएसएमई को सहायता (बार कोड)
     - घ. एमएसएमई के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता
     - ङ. एमएसएमई के डिजाइन विशेषज्ञता के लिए डिजाइन क्लिनिक
     - च. एमएसएमई को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता
     - छ. इन्क्यूबेटर के माध्यम से एसएमई का उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास
     - ज. क्यूएमएस और क्यूटीटी के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु सक्षम बनाना
     - झ. बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता निर्माण (आईपीआर)

4. विपणन संवर्धन योजना
   - (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
   - (ii) विपणन सहायता योजना
   - (iii) विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू)
   - (iv) एमएसएमई बाजार विकास सहायता (एमडीए)

5. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम
   - (i) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई)

6. अवसंरचना विकास कार्यक्रम
   - (i) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास (एमएसई-सीडीपी)

   विस्तृत सूचना www.msme.gov.in , www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to part (d) of the Rajya Sabha Un-starred Question No. 605 for answer on 20.12.2017.

State wise statement of funds sanctioned / released under MSE-CDP from 2016-17 and current financial year 2017-18 (up to 30.11.2017).

(Rs. in crore)

Sl. No.	State /UTs	Funds released	
		2016-17	2017-18(upto 30.11.17)
1	Andhra Pradesh	3.54	0.45
2	Arunachal Pradesh	0.00	0.00
3	Assam	4.74	2.31
4	Bihar	0.00	0.00
5	Chhattisgarh	2.00	0.00
6	Goa	0.00	0.00
7	Gujarat	0.76	0.00
8	Haryana	9.10	9.19
9	Himachal Pradesh	0.00	0.00
10	Jammu & Kashmir	1.11	0.00
11	Jharkhand	0.00	0.00
12	Karnataka	11.68	16.92
13	Kerala	3.60	10.13
14	Madhya Pradesh	0.00	8.35
15	Maharashtra	37.63	22.01
16	Manipur	11.83	8.46
17	Meghalaya	0.00	0.00
18	Mizoram	0.00	0.00
19	Nagaland	2.50	0.00
20	Odisha	1.50	0.00
21	Punjab	4.02	0.00
22	Rajasthan	3.95	0.83
23	Sikkim	0.00	0.00
24	Tamil Nadu	16.09	27.40
25	Telangana	0.00	2.36
26	Tripura	3.00	5.23
27	Uttar Pradesh	3.80	7.00
28	Uttarakhand	0.00	0.00
29	West Bengal	0.54	5.51
30	A&N Islands	0.00	0.00
31	Chandigarh	0.00	0.00
32	Dadra and Nagar Haveli	0.00	0.00
33	Daman and Diu	0.00	0.00
34	Delhi	0.00	0.00
35	Lakshadweep	0.00	0.00
36	Puducherry	0.00	0.00
	Total	**121.39**	**126.14**

अनुबंध-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 605, जिसका उत्तर 20.12.2017 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध- II

वर्ष 2016-17 और चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 (30.11.2017 तक) के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत संस्वीकृत/जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संस्वीकृत/जारी निधियां	
		2016-17	2017-18 (30.11.17 तक)
1	आंध्र प्रदेश	3.54	0.45
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	4.74	2.31
4	बिहार	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	2.00	0.00
6	गोवा	0.00	0.00
7	गुजरात	0.76	0.00
8	हरियाणा	9.10	9.19
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	1.11	0.00
11	झारखंड	0.00	0.00
12	कर्नाटक	11.68	16.92
13	केरल	3.60	10.13
14	मध्य प्रदेश	0.00	8.35
15	महाराष्ट्र	37.63	22.01
16	मणिपुर	11.83	8.46
17	मेघालय	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00
19	नागालैंड	2.50	0.00
20	ओडिशा	1.50	0.00
21	पंजाब	4.02	0.00
22	राजस्थान	3.95	0.83
23	सिक्किम	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	16.09	27.40
25	तेलंगाना	0.00	2.36
26	त्रिपुरा	3.00	5.23
27	उत्तर प्रदेश	3.80	7.00
28	उत्तराखंड	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.54	5.51
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00
32	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	0.00	0.00
	कुल	121.39	126.14

*****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 244th Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 27.12.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	-	-	-	-	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	Social security scheme for artisans	JS (ARI)	1077	
2.	Job creation under PMEGP	JS (ARI)	1078	
3.	Steps to encourage MSMEs	AS&DC/ ADC(PS)	1079	
4.	Udayami Mitra Portal	AS&DC/ ADC(PS)	1080	
5.	Setting up of marketing complexes/Khadi Plazas	JS (ARI)	1081	
6.	Schemes to promote MSMEs	AS&DC/ ADC (SM)	1082	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1077
TO BE ANSWERED ON 27.12.2017

Social security scheme for artisans

1077. SHRI MAJEED MEMON:

Will the Minister of MICRO, SMALLAND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether any suggestion was made to explore ways to transfer the wages directly to the bank accounts of the artisans through Direct-Benefit Transfer (DBT), if so, the details thereof;

(b) whether Government proposes to classify artisans as skilled labourers for the purpose of wage and other benefits; and

(c) whether Government is considering to expand the ambit of social security schemes for the artisans, if so, whether there are any budgetary provisions for the same?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Khadi artisans are self-employed artisans of the Khadi and Village Industry (V.I.) Institutions. To protect the interest of artisans, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has issued directions to all Khadi Institutions to ensure payment of wages directly into Aadhaar Seeded bank account of artisans. KVIC is releasing Market Development Assistance incentives to Khadi artisans and Khadi Institutions through a DBT Portal directly into their Aadhaar Bank Accounts.

(b): Khadi Artisans are self-employed entrepreneurs and earn their wages based on the quantum of production of spinning and weaving etc. done by them. Though these artisans are skilled, their working norms are flexible and therefore their earnings vary. Therefore, these artisans are not comparable with skilled labourers of private sector. The earnings of the artisans is commensurate to the work done by them.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1077
उत्तर देने की तारीख 27.12.2017

शिल्पकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

1077. श्री माजीद मेमनः

क्या सूक्ष्म, लघु औरमध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर केमाध्यम से शिल्पकारों के बैंक खातों में सीधे मजदूरीअंतरित करने के उपायों का पता लगाने का कोईसुझाव आया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै;

(ख) क्या सरकार मजदूरी तथा अन्य लाभों केप्रयोजन से शिल्पकारों को कुशल श्रमिकों के रूपमें वर्गीकृत करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार शिल्पकारों के लिएसामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तारकरने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उक्त केलिए क्या कोई बजटीय प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) खादी कारीगर खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं (वीआई) के कारीगरस्वनियोजित होते हैं। कारीगरों के हित केसंरक्षण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कारीगरों के आधार आधारित (सीडिड) बैंक खाते में सीधे मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी खादी संस्थाओं को निदेश जारी किए हैं। केवीआईसी खादी कारीगरों एवं खादी संस्थाओं को उनके आधार बैंक खाते में सीधे डीबीटी पोर्टल के माध्यम से खादी विकास सहायता प्रोत्साहन राशि जारी कर रहा है।

(ख) खादी कारीगर स्वनियोजित उद्यमी होते हैं और अपनी कताई एवं बुनाई आदि के उत्पादन की मात्रा के आधार पर अपनी मजदूरी अर्जित करते हैं। यद्यपि ये कारीगर कुशल होते हैं एवं उनकी कार्य प्रणाली के मानक लचीले हैं, इसलिए उनकी आय घटती-बढ़ती रहती है। अतएव इन कारीगरों की तुलना निजी क्षेत्र के कुशल श्रमिकों से नहीं की जा सकती। कारीगरों की आय उनके द्वारा किए कार्य के आनुपातिक रूप में होती है।

(c): Government is implementing the Aam Aadmi BimaYojana (AABY) *(earlier known as Khadi Karigar 'Janshree Bima Yojana' which was merged with Aam Admi Bima Yojana w.e.f. 1.1.2013)* through KVIC in association with the Life Insurance Corporation of India (LIC) to provide insurance cover to Khadi artisans against normal and accidental death and disability. Under AABY, the Khadi Artisans belonging to the age group of 18 to 59 years are provided insurance cover for the following:

i) Death (natural)	: Rs.	30,000.00
ii) Death (accidental)	: Rs.	75,000.00
iii) Disability (permanent)	: Rs.	75,000.00
iv) Disability (partial)	: Rs.	37,500.00

v) Educational Benefits (Shiksha Sahayog Yojana) :
Two children of Khadi Artisan who are studying in standard IX to XII including Industrial Training Institutes (ITIs) are eligible for scholarship of Rs.300/- per quarter.

The premium amount of the scheme is Rs.100/- per annum which is shared as:

12.50% by Artisan
12.50% by KVIC
25% by Khadi Institution
50% by Central Government (National Social Security Fund)

Government of India has announced several schemes for the welfare of workers and artisans associated in decentralized sector namely Pradhan Mantri Suraksha BimaYojana (PMSBY) and Atal Pension Yojanan (APY). The Ministry of MSME and KVIC has advised all khadi institutions to cover their artisans suitably under these schemes.

Government is also implementing the '"Coir Workers" Group Personal Accident Insurance Scheme which is aimed at providing insurance coverage against accidental death, permanent total disability and permanent partial disability to the coir workers in all coir producing States in India. The maximum amount of compensation payable is Rs.50,000/- in the case of death/permanent total disability and Rs.25,000/- in the case of permanent partial disability. The premium for the entire coir workers is paid by Coir Board to the Insurance Company as a lumpsum amount towards the renewal of the policy every year. The coir workers aged 18 years and above engaged in the industry (no upper age limit) are covered under the scheme. The scheme was converged to the Core scheme Pradhan Mantri Surksha BimaYojana (PMSBY) during July, 2016.

* * *

(ग) सरकार सामान्य एवं आकस्मिक मृत्यु तथा निःशक्तता के लिए खादी कारीगरों को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से केवीआईसी के माध्यम से आम आदमी बीमा योजना (पूर्ववर्ती खादी कारीगर 'जनश्री बीमा योजना' नाम से जाना गया जिसे 1.1.2013 से आम आदमी बीमा योजना में विलय कर दिया गया) कार्यान्वित कर रही है। एएबीवाई के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के आयु समूह से संबंधित खादी कारीगरों को निम्नलिखित बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता हैः

i)	मृत्यु (स्वाभाविक)	30,000.00 रूपए
ii)	मृत्यु (आकस्मिक)	75,000.00 रूपए
iii)	निःशक्तता (स्थायी)	75,000.00 रूपए
iv)	निःशक्तता (आंशिक)	37,500.00 रूपए
v)	शैक्षिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना)	

खादी कारीगरों के दो बच्चे जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहित IXवीं से XIIवीं कक्षा तक अध्ययन कर रहे हैं वे 300/- रूपए प्रति तिमाही छात्रवृति के लिए पात्र हैं।

स्कीम की प्रीमियम राशि 100/- रूपए प्रति वर्ष है जिसमें निम्नलिखित हिस्सेदारी होती है

कारीगर द्वारा	12.50%
केवीआईसी द्वारा	12.50%
खादी संस्थाओं द्वारा	25%
केन्द्र सरकार (राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि) द्वारा	50%

भारत सरकार ने विकेन्द्रित क्षेत्र से सम्बद्ध कामगारों एवं कारीगरों के कल्याण के लिए कई स्कीमें अर्थात् प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इन स्कीमों के अंतर्गत सभी खादी संस्थाओं को अपने कारीगरों को उपयुक्त स्तर पर कवर करने की सलाह दी है।

सरकार 'कयर कामगार' समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा स्कीम'भी कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य भारत के सभी कयर उत्पादक राज्यों में कयर कामगारों को आकस्मिक मृत्यु, स्थायी पूर्ण निःशक्तता तथा स्थायी आंशिक निःशक्तताके लिए बीमा कवरेज उपलब्ध कराना है। मृत्यु/स्थायी पूर्ण निःशक्तता के मामले में देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि 50,000/- रु. तथा स्थायी आंशिक निशक्तता के मामले में 25,000/- रु. है। कयर बोर्ड द्वारासंपूर्ण कयर कार्मिकों के प्रीमियम का प्रतिवर्ष पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए एकमुश्त राशि के रूप में बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत इस उद्योग में लगे 18 वर्ष एवं उससे ऊपर के (कोई ऊपरी सीमा नहीं) के कयर कामगारों को कवर किया जाता है। जुलाई, 2016 के दौरान इस स्कीम को कोर स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की ओर अभिमुख किया गया हैं।

.....

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1078
TO BE ANSWERED ON 27.12.2017

Job creation under PMEGP

1078. SHRI K.T.S. TULSI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the rate of job creation under the Prime Minister's Employment Generation Programme(PMEGP) by initiation of Micro Enterprises and Small Projects in 2015 - 16 and that in the corresponding period of 2012-13 and

(b) the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), which is a major credit-linked subsidy programme, aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth in rural and urban areas.

The rate of job creation under PMEGP for the financial years 2015 - 16 and in the corresponding period of 2012-13 is given below:

Year	Margin Money subsidy disbursed (Rs. in crore)	Micro-enterprises setup (in Nos.)	Employment generated (in Nos)	Employment generated per unit
2012-13	1080.66	57884	428246	7.39
2015-16	1020.06	44340	323362	7.29

As per the evaluation study of PMEGP units setup during 2012-13 to 2016-17, conducted by MDI, Gurugram, average employment generation per project is 7.62 and the average cost of generating unit employment is Rs.96,209.00.

*****

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1078
उत्तर देने की तारीख 27.12.2017

प्रधन मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
(पीएमईजीपी) के अंतर्गत रोजगार सृजन

1078. श्री के. टी. एस.तुलसीः

क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क) वर्ष 2015-16 में और वर्ष 2012-13की समनुरूपी अवधिमें सूक्ष्म उद्यमों तथा लघुपरियोजनाओं के आरंभ से प्रधन मंत्री रोजगार सृजनकार्यक्रम के अंतर्गत रोज़गार सृजन कीदर क्या है;और
(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है जो एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

वित्त वर्ष 2015-16 और वर्ष 2012-13 की तद्नुरूपी अवधि के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार सृजन की दर नीचे दी गई हैः

वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (रू. करोड़ में)	स्थापित सूक्ष्म, उद्यम (संख्या में)	सृजित रोजगार (संख्या में)	प्रति इकाई सृजित रोजगार
2012-13	1080.66	57884	428246	7.39
2015-16	1020.06	44340	323362	7.29

एमडीआई, गुरुग्राम द्वारा आयोजित 2012-13 से 2016-17 के दौरान स्थापित पीएमईजीपी इकाइयों के मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार प्रति परियोजना औसत रोजगार सृजन 7.62 है और रोजगार सृजन इकाई की औसत लागत 96,209.00 रूपए है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1079
TO BE ANSWERED ON 27.12.2017

Steps to encourage MSMEs

1079. SHRIMATI RAJANI PATIL:
SHRI DARSHAN SINGH YADAV:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the policy of Government in terms of thrust and priority among micro, small and medium enterprises segment;
(b) the efforts made in terms of allocation of funds and initiatives taken thereon;
(c) whether it is a fact that some industries are on the decline and in distress despite the paramount purpose they are serving ;and
(d) the special efforts being made by Government to encourage micro, small and medium enterprises in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Promotion and development of micro, small & medium enterprises particularly the micro and small enterprises has received priority attention of the government. Necessary investments have been made through schemes such as Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, MSE- Cluster Development Programme, National Manufacturing Competitiveness Programme, Prime Minister's Employment Generation Programme, Public Procurement Policy and Skill Development programme etc.

(c)&(d): Special efforts have been made to encourage micro, small and medium enterprises. A Framework for revival and rehabilitation of MSMEs has also been put in place.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1079

उत्तर देने की तारीख : 27.12.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम

1079. श्रीमती रजनी पाटिलः
श्री दर्शन सिंह यादवः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम खंड में प्रमुखता तथा प्राथमिकता की शर्तों में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) निधि के आवंटन तथा की गई पहल की शर्तों में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ उद्योगों द्वारा महत्वपूर्ण सेवा प्रदान किए जाने के बावजूद उनमें गिरावट तथा परेशानी आ रही है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों का संवर्धन और विकास करना सरकार की प्राथमिकता रही है । क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिडी योजना, एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सार्वजिनक खरीद नीति और कौशल विकास कार्यक्रम आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक निवेश किए गए हैं ।

(ग) और (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं । एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1080
TO BE ANSWERED ON: 27.12.2017

Udyami Mitra Portal

1080. SHRI T.G. VENKATESH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has launched Udyami Mitra Portal to enable MSMEs to list their projects and banks can compete to finance those projects;

(b) if so, the details thereof, and

(c) whether it is a fact that banks have also been advised to provide loans to the MSME projects without any hassles and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has launched the 'Udyamimitra' Portal (www.udyamimitra.in) to improve accessibility of credit and handholding services to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

(c): Scheduled Commercial Banks (SCBs) have been advised to ensure a target of 7.5% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for Micro Enterprises, that collateral security is not required for loans upto Rs. 10 lakh to MSE sector, a simplified working capital requirement for MSEs.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1080

उत्तर देने की तारीख : 27.12.2017

उद्यमी मित्र पोर्टल

1080. श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी परियोजनाएं सूचीबद्ध करने में सक्षम करने हेतु उद्यमी मित्र पोर्टल आरंभ किया है और बैंक उन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि बैंकों को भी बिना किसी बाधा के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करने की सलाह दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की ऋण तथा सहयोग सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 'उद्यमी मित्र' पोर्टल (www.udyamimitra.in) लांच किया गया है ।

(ग) : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत के समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का लक्ष्य प्राप्त करने, एमएसई क्षेत्र को 10 लाख रू. तक के ऋणों के लिए समपार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं करने और एमएसई के लिए सरलीकृत कार्यशील पूंजी अपेक्षाएं सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYASABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1081
TO BE ANSWERED ON 27.12.2017

Setting up of marketing complexes/Khadi plazas

1081. DR. R. LAKSHMANAN:

Will the Minister of MICRO, SMALLAND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether it is a fact that Government is setting up marketing complexes/khadi plazas to expand the marketing network of Khadi and village industries products across the country particularly in Villupuram district of State of Tamil Nadu;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether there is any provision to give prominence to the district specific products in the marketing complexes/khadi plazas; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Government through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is setting up Khadi Plazas to expand marketing network of Khadi and village industries (KVI) products across the country. Under Market Promotion & Infrastructure component of the Market Promotion & Development Assistance (MPDA) Scheme, financial assistance of Rs.10.00 crore per plaza is provided for establishment of Marketing Complexes/Khadi Plaza. The Khadi plaza can be set up by KVIC on its own land with 100% assistance from Government or set up by State Khadi & Village Industries Board with 75% from GoI and 25% from State Government or Khadi Institution's land with one time financial assistance of 25% of the project cost.

No proposal has been received for setting up of Khadi Plaza in Villupuram district of State of Tamil Nadu.

(b): One 'Khadi Plaza' is being set up in Dimapur, Nagaland under the aegis of Nagaland State KVI Board. The second phase construction is in progress. Another proposal for setting up of one Khadi Plaza in Mizoram is under process.

(c): There is no specific policy for giving prominence to the district specific products in the marketing complexes/Khadi plazas. All Khadi & V.I. products produced by rural artisans of the KVI Sector are given prominence in the Khadi Plaza.

(d): Does not arise.

* * *

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1081
उत्तर देने की तारीख 27.12.2017

विपणन कॉम्प्लेक्स/खादी प्लाजा की स्थापनाकरना

1081. डा. आर. लक्ष्मणनः

क्या सूक्ष्म, लघुऔर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) क्या यह सच है कि सरकार पूरे देश मेंऔर खासकर तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले मेंखादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों की विपणन नेटवर्कका विस्तार करने के लिए विपणन कॉम्प्लेक्स/खादीप्लाजा की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विपणन कॉम्प्लेक्स/खादी प्लाजा मेंजिला विशेष के उत्पादों को प्रमुखता देने का कोईप्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) सरकार खादी और ग्रामोद्योगआयोग के माध्यम से देश भर में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआईसी) उत्पादों के विपणन केनेटवर्क को बढ़ाने के लिए खादी प्लाजाओं की स्थापना कर रही है। बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए) स्कीम के बाजार संवर्धन और आधारभूत घटक के अंतर्गत 10.00 करोड़ रुपए प्रति प्लाजा वित्तीय सहायता विपणन परिसरों/खादी प्लाजा की स्थापना के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। खादी प्लाजा की स्थापना केवीआईसी द्वारा सरकार की 100 प्रतिशतकी सहायता से स्वयं की भूमि पर या राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से 25 प्रतिशत सहायतासे या परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की एक बार की वित्तीय सहायता से खादी संस्थाओं की भूमि पर की जा सकती है।

तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में खादी प्लाजा की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) नागालैण्ड राज्य केवीआईसी बोर्ड के तत्वावधान में दीमापुर, नागालैण्ड में एक 'खादी प्लाजा' स्थापित किया जा रहा है। दूसरे फेज़ का निर्माण प्रगति पर है। मिजोरम में एक खादी प्लाजा स्थापित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(ग) विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं में जिला विशेष के उत्पाद के लिए प्रमुखता देने के लिए कोई विशेष नीति नहीं है।केवीआई सेक्टर के ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार किए गए सभी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को खादी प्लाजा में प्रमुखता दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1082
TO BE ANSWERED ON 27.12.2017

Schemes to promote MSMEs

1082. DR. VIKAS MAHATME:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the details of the various schemes launched to promote Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector and operationalised in various States;
(b) the amount allocated and utilised by States under the said schemes during each of the last three years, State-wise including Maharashtra;
(c) whether there has been any delay in the implementation of these programmes;
(d) if so, the details thereof and reasons therefor; and
(e) the steps taken by Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): The major schemes/programmes of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) include Prime Minister's Employment Generation Programme, Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, National Manufacturing Competitiveness Programme, Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme, Marketing Development Assistance, Skill Development Programmes, International Cooperation Scheme etc. They are operational in all the States and UTs of the country.

(b): All the schemes implemented by the Ministry of MSME are Central Sector Schemes and funds under these schemes are not allocated State/UT-wise. The schemes are demand driven in nature. However, the details of fund allocated and utilized under various schemes of the Ministry at all India level during the last three years and the current year are as under:-

(Rs. in crore)

Years	Allocation	Utilization
2014-15	3327.00	2389.90
2015-16	2612.51	2440.56
2016-17	3000.00	3173.00
2017-18	6481.96	4826.75*

* Upto 15.12.2017 (Provisional)

(c)&(d): As stated in para (b) herein above, the schemes are demand driven.

(e): The schemes are monitored at regular intervals.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1082

उत्तर देने की तारीख : 27.12.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं

1082. डा. विकास महात्मेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई तथा प्रचालनरत विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्यों को आवंटित तथा उनके द्वारा प्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, सूक्ष्म व लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन विकास सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना आदि शामिल हैं । ये देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू हैं ।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और इन योजनाओं के तहत निधियां राज्य/संघ शासित प्रदेश -वार आवंटित नहीं की जाती हैं । इन योजनाओं की प्रकृति मांग आधारित है । तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	उपयोग
2014-15	3327.00	2389.90
2015-16	2612.51	2440.56
2016-17	3000.00	3173.00
2017-18	6481.96	4826.75*

* 15.12.2017 तक (अनंतिम)

(ग) और (घ) : जैसाकि उपर्युक्त पैरा "ख" में वर्णित है, ये योजनाएं मांग आधारित हैं।

(ङ) : इन योजनाओं की निगरानी नियमित अंतराल पर की जाती है।

*****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION 13th Session of 16th Lok Sabha

QUESTION DATE 01.01.2018

LOK SABHA
STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Public Procurement Portal	AS&DC/ JDC(SRS)	*187	*7	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Modernization of MSME Sector	AS&DC/ JDC (SB)	2083	
2	SC/ST Owned MSMEs	JS (SME)	2087	
3	Technology Development Centre	AS&DC/ JS(TC)	2181	
4	Women Owned MSMEs	AS&DC/ DDG(S&D)	2182	
5	LBI Projects	JS (ARI)	2186	
6	Loan under CGS-MSE Scheme	AS&DC/ ADC(PS)	2232	
7	Promotion of Cottage/Agro-Based Rural Industries	JS (ARI)	2235	
8	Subsidy to MSMEs	JS (ARI)	2274	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *187
TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

PUBLIC PROCUREMENT PORTAL

*187 SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE:
SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the government has recently launched a Public Procurement Portal 'MSME Sambandh' for helping in monitoring the implementation of Public Procurement from the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) by various Central Public Sector Enterprises and to cope with the requirement of Ministries;

(b) if so, the details thereof including its key features along with the total amount of procurement done by the CPSEs from MSMEs during the last year; and

(c) the other initiatives/steps taken /proposed to be taken by the Government for strengthening the MSME sector in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)to(c): A statement is laid down on the Table of the House.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *187

उत्तर देने की तारीख : 01.01.2018

सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल

*187. श्रीमती रक्षाताई खाडसेः

श्रीमती कविता कलवकुंतलाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसई द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक अधिप्राप्ति के कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता करने हेतु सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल, "एम.एस.एम.ई. संबंध" शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कुल कितनी खरीदारी की गई है; और

(ग) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-सी पहलें की गई हैं/क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

STATEMENT REFFERD TO THE REPLY TO LOK SABHA STARRED QUESTION NO.*187 TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

(a): Yes, Madam.

(b): Ministry of MSME has launched the Public Procurement Portal titled **"MSME SAMBANDH"** on 08.12.2017. The portal will help in monitoring the procurement by Central Government Ministries, Departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and will enable them to share the list of required products/services from MSEs. The following features are available in the portal:

- Central Government Ministries, Departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) have been provided authenticated access in the portal.
- The CPSEs are required to upload their annual procurement targets on the portal.
- Monthly Update of Procurement by CPSEs from MSEs
- Monthly Update of Procurement by CPSEs from MSEs owned by SC/ST
- Reports for monitoring by Heads of Ministries, Departments and CPSEs
- Items purchased by CPSEs - Hyperlinks to CPSEs web page from Sambandh Portal will be available in public domain.

Total procurement as reported by 106 Central Public Sector Enterprises (CPSEs) from Micro and Small Enterprises (MSEs) during the financial year 2016-17 is Rs. 24469.611 crores.

(c): For strengthening MSME sector in the country, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has taken various initiatives including Public Procurement Policy for MSEs, Market Development Assistance Scheme, National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, Technology Center System Programme (TCSP), Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Scheme for Khadi / Village industries and COIR, Scheme for Promoting Innovation and Rural Entrepreneurship (ASPIRE), Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) and Cluster Development Programme etc.

*****

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं *187, जिसका उत्तर दिनांक 01.01.2018 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

(क) : जी, हां ।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने 08 दिसम्बर, 2017 को सार्वजनिक खरीद के लिए ''एमएसएमई संबंध'' नामक पोर्टल की शुरूआत की है। यह पोर्टल केन्द्रीय मंत्रालयों/केंद्रीय विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा की गई खरीद का अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करने में तथा एमएसई के लिए अपेक्षित उत्पादों/सेवाओं की सूची सांझा करने में सहायक होगा। इस पोर्टल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- सभी संगठनों जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों, केन्द्रीय विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को पोर्टल तक प्रामाणिक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।
- सीपीएसई द्वारा उनकी वार्षिक खरीद के लक्ष्यों को पोर्टल पर अपलोड करना अपेक्षित है।
- एमएसई से इन संगठनों द्वारा की गई खरीद को मासिक रूप से अपडेट करना।
- अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से इन संगठनों द्वारा की गई खरीद को मासिक रूप से अपडेट करना।
- मंत्रालय, विभाग और सीपीएसई के प्रमुखों द्वारा अनुवीक्षण के लिए एमआईएस और रिपोर्टें।
- सीपीएसई द्वारा खरीदी गई वस्तुएं - संबंध पोर्टल से सीपीएसई वेब पेज के हाईपरलिंक्स पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएंगे।

106 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से कुल 24469.611 करोड़ रुपए की खरीद की गई है।

(ग) : देश में एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, बाजार विकास सहायता योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), खादी/ग्रामोद्योग एवं कॅयर के लिए योजना, नवप्रर्वतन संवर्धन एवं ग्रामीण उद्यमिता योजना (एस्पायर), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) और क्लस्टर विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2083
TO BE ASNWERED ON: 1.1.2018

MODERNISATION OF MSME SECTOR

2083. SHRI RAMSINH RATHWA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Technology is the foremost factor for enhancing the global competitiveness of Indian MSME sector, if so, the details thereof;
(b) whether technology, generally used by the MSME sector, is a major cause for poor competitiveness of the sector, if so, the response of and Government thereto; and
(c) whether there is an urgent need to develop appropriate technologies for various manufacturing processes to bring down cost and if so, the details thereof along with the steps taken by Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)to(c): Technology is one of the major factors for enhancing the competitiveness of MSMEs. In order to help the MSMEs overcome the constraints on account of technology, initiatives have been taken to promote technological research development, innovations and acquisitions. Ministry of Micro Small and Medium Enterprises (MSME) implements various Schemes like Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) for technological upgradation of these enterprises.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2083

उत्तर देने की तारीख : 01.01.2018

एमएसएमई क्षेत्र का आधुनिकीकरण

2083. श्री रामसिंह राठवाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की वैश्विक प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रधान घटक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एमएसएमई क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र की खराब प्रतियोगितात्मकता का मुख्य कारण है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या लागत कम करने के लिए विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं के लिए उचित प्रौद्योगिकी विकसित करने की अविलंब आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) : एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख घटकों में से एक है। एमएसएमई को प्रौद्योगिकी के कारण होने वाली बाधाओं पर काबू पाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकीय अनुसंधान विकास, नवोन्मेष और अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए पहलें की गई हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) इन उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) जैसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2087
TO BE ANSWERED ON: 01.01.2018

SC/ST OWNED MSMEs

2087. SHRIMATI KAMLA DEVI PAATLE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to promote Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry and if so, the details thereof;
(b) the details of the SC/ST owned Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) across the country, State-wise including Chhattisgarh; and
(c) the steps taken/being taken by the Government to promote SC/ST owned entrepreneurs in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): No, Madam. The Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) has launched National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub in October 2016 to provide professional support to SC/ST entrepreneurs to fulfil the obligations under the Central Government Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order 2012, adopt applicable business practices and leverage the Stand up India initiatives. Organizations / Industry associations like Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry (DICCI) has been involved for dissemination of information regarding SC/ST enterprises and entrepreneurs.

(b): This Ministry on 18.09.2015 has notified for online filing of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) at http://udyogaadhaar.gov.in by MSMEs in place of existing Entrepreneurs Memorandum-II. A total number of 609952 SC/ST units have been registered under Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) till 27 December 2017. Details of State/UT wise number of SC/ST units registered under UAM including Chhattisgarh are given at **Annexure**.

(c): This Ministry is implementing a number of schemes for micro, small and medium enterprises (MSMEs) including National Manufacturing Competitiveness Programme(NMCP), Prime Minister's Employment Generation Programme(PMEGP), schemes for Khadi & Village Industries and Coir, International Cooperation Scheme, Performance and Credit Rating Scheme(PCRS), Marketing Assistance and Technology Upgradation(MATU) schemes, Scheme for 'Credit Guarantee Fund for Micro and Small Enterprises etc. Benefits under these schemes are available to all eligible MSMEs including those belonging to SC and ST communities.

In addition to the schemes implemented by this Ministry, the Ministry of Social Justice and Empowerment is also implementing schemes for SC entrepreneurs including the Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes(CEGSSC) and Venture Capital Fund scheme for micro, small and medium entrepreneurs. Ministry of Tribal Affairs is also implementing schemes for self-employment of Scheduled Tribes including term loan scheme and micro credit scheme for self help groups.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2087

उत्तर देने की तारीख 01.01.2018

एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसएमई

2087. श्रीमती कमला देवी पाटले:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में छत्तीसगढ़ समेत एससी/एसटी के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में एसी/ एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): जी, नहीं।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमआदेश, 2012 के लिए केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक प्रापण नीति (प्रोक्युअरमेंट) के अंतर्गत कर्तव्यों को पूरा करने, लागू व्यवसाय पद्धति को स्वीकार करने तथा स्टैण्ड अप इंडिया पहलों की लिवरेज के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अक्तूबर, 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) हबका शुभारंभ किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके उद्यमों एवं उद्यमियों के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (डिक्की) जैसे संगठनों/संघों को शामिल किया गया है।

(ख) इसमंत्रालय ने विद्यमान उद्यमी ज्ञापन II के स्थान पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा http://udyogaadhar.gov.inपर उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) ऑनलाइन फाइल करने के लिए दिनांक 18.09.2015 को अधिसूचित किया है। कुल 609952 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिइकाइयों को दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 तक उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित यूएएम के अंतर्गतराज्य/संघ राज्यवार पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिइकाइयों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) यह मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), खादी और ग्रामोद्योग एवं कयर के लिए स्कीमों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, कार्यनिष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम (पीसीआरएस), विपणन सहायता तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू) स्कीम, 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि स्कीम' आदि सहित बहुत-सी स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातिके समुदायों से संबंधित सहित सभी पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपलब्ध हैं।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय श्री अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी स्कीम (सीईजीएसएससी) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए उपक्रम पूँजीगत निधि स्कीम सहित अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री स्वयं सहायता समूहों के लिएमियादी ऋण स्कीम तथा सूक्ष्म ऋण स्कीम सहित अनुसूचित जनजातियों के स्वरोजगार के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

Annexure

Annexure referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 2087 for answer on 01.01.2018

State/UT wise number of SC/ST units registered under Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) as on 27.12.2017

Sl. No.	State/UT	SC	ST
1.	ANDHRA PRADESH	44773	13585
2.	ARUNACHAL PRADESH	9	361
3.	ASSAM	141	123
4.	BIHAR	126964	33486
5.	CHHATTISGARH	1051	653
6.	GOA	37	30
7.	GUJARAT	5935	2276
8.	HARYANA	3566	100
9.	HIMACHAL PRADESH	547	124
10.	JAMMU AND KASHMIR	66	89
11.	JHARKHAND	7033	6099
12.	KARNATAKA	7105	2359
13.	KERALA	1989	138
14.	MADHYA PRADESH	29792	24286
15.	MAHARASHTRA	35914	14132
16.	MANIPUR	322	1781
17.	MEGHALAYA	6	707
18.	MIZORAM	7	949
19.	NAGALAND	2	251
20.	ODISHA	10408	2112
21.	PUNJAB	2945	47
22.	RAJASTHAN	17518	4741
23.	SIKKIM	11	83
24.	TAMIL NADU	20338	1232
25.	TELANGANA	23855	13346
26.	TRIPURA	222	776
27.	UTTAR PRADESH	100697	16433
28.	UTTARAKHAND	794	232
29.	WEST BENGAL	20424	4238
30.	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	28	15
31.	CHANDIGARH	108	7
32.	DADAR AND NAGAR HAVELI	22	57
33.	DAMAN AND DIU	19	7
34.	DELHI	2066	125
35.	LAKSHADWEEP	0	35
36.	PUDUCHERRY	215	8
37.	**Total :**	**464,929**	**145,023**

अनुबंध

दिनांक 01.01.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2087 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

27.12.2017 की स्थिति के अनुसार उद्योग आधार ज्ञापन(यूएएम) के अंतर्गत पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिइकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आन्ध्र प्रदेश	44773	13585
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	361
3.	असम	141	123
4.	बिहार	126964	33486
5.	छत्तीसगढ़	1051	653
6.	गोवा	37	30
7.	गुजरात	5935	2276
8.	हरियाणा	3566	100
9.	हिमाचल प्रदेश	547	124
10.	जम्मू और कश्मीर	66	89
11.	झारखण्ड	7033	6099
12.	कर्नाटक	7105	2359
13.	केरल	1989	138
14.	मध्य प्रदेश	29792	24286
15.	महाराष्ट्र	35914	14132
16.	मणिपुर	322	1781
17.	मेघालय	6	707
18.	मिजोरम	7	949
19.	नागालैण्ड	2	251
20.	ओडिशा	10408	2112
21.	पंजाब	2945	47
22.	राजस्थान	17518	4741
23.	सिक्किम	11	83
24.	तमिलनाडु	20338	1232
25.	तेलंगाना	23855	13346
26.	त्रिपुरा	222	776
27.	उत्तर प्रदेश	100697	16433
28.	उत्तराखण्ड	794	232
29.	प. बंगाल	20424	4238
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28	15
31.	चंडीगढ़	108	7
32.	दादरा और नगर हवेली	22	57
33.	दमन और दीव	19	7
34.	दिल्ली	2066	125
35.	लक्षद्वीप	0	35
36.	पुडुचेरी	215	8
37.	कुल :	464,929	145,023

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 2181
TO BE ANSWERED ON: 01.01.2018

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRE

2181. SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the present status of work on Tool Room/Technology Development Centre to be set up at Rohtak and Saha, Ambala in Haryana including the stage of construction of building infrastructure and the number of new Tool Rooms/ Technology Development Centres approved/proposed to be set up in Haryana during the last three years and the current year;
(b) whether the work is going on as per the schedule or is there some delay in completion of work and if so, the details thereof including correspondence with Government of Haryana, if any;
(c) the details of the investment made by the Government in setting up each of these centres and the number of people benefitted from each centre every year; and
(d) the time by which the work on these Tool Rooms is likely to be completed for full fledged operations?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): The construction work of new Technology Centre at Rohtak has started. The decision for establishment of Extension Centre of Technology Centre, Rohtak at Saha, Ambala may be taken up after the Technology Centre, Rohtak becomes operational. Under Technology Centre Systems Programme (TCSP), one Technology Centre in Haryana has been approved in last three years.

(b): The construction work of Technology Centre, Rohtak is going on as per schedule. Government of Haryana was apprised of the progress of the setting up of the Technology Centre.

(c): The estimated cost of Technology Centre, Rohtak, as per Detailed Project Report (DPR) is Rs.125.56 Crore. Once the Technology Centre becomes fully operational, it will have the capacity to train up to approximately 8500 trainees annually.

(d): Technology Centre, Rohtak is likely to be operational by the year 2019-20.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2181

उत्तर देने की तारीख : 01.01.2018

प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

2181. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हरियाणा में स्थापित करने के लिए अनुमोदित/प्रस्तावित नए औजार कक्षों/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की संख्या सहित भवन अवसंरचना के निर्माण के चरण सहित हरियाणा में रोहतक और साहा, अंबाला में स्थापित किए जाने वाले औजार कक्ष/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है या कार्य पूर्ण होने में कोई विलंब है और यदि हां, तो हरियाणा सरकार के साथ पत्राचार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन प्रत्येक केंद्रों को स्थापित करने में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक केन्द्र से प्रतिवर्ष लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) पूर्ण रूप से संचालित होने के लिए इन औजार कक्षों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : रोहतक में नए प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साहा, अंबाला में प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक के विस्तार केंद्र को स्थापित करने का निर्णय प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक के शुरू होने के बाद लिया जाएगा। प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में हरियाणा में एक प्रौद्योगिकी केंद्र को मंजूरी दी गई है।

(ख) : प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। हरियाणा सरकार को प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की प्रगति के बारे में सूचित किया गया है।

(ग) : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक की अनुमानित लागत 125.56 करोड़ रुपये है। प्रौद्योगिकी केंद्र के पूरी तरह से परिचालित हो जाने के बाद उसके पास लगभग 8500 प्रशिक्षुओं को सालाना प्रशिक्षण देने की क्षमता हो जाएगी।

(घ) : प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक के वर्ष 2019-20 तक प्रचालनरत हो जाने की संभावना है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2182
TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

WOMEN OWNED MSMEs

2182. SHRI PARVESH SAHIB SINGH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the number of women who own MSMEs in the country, State/UT-wise, including Delhi;
(b) the number of women employed in MSMEs in the country, State/UT-wise, including Delhi;
(c) the average monthly-income being earned by women in the MSMEs;
(d) whether any provisions have been made to mandate that MSMEs provide for childcare support to mothers working in MSMEs, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
(e) the further steps being taken by the Government to ensure safety and support to women engaged in the MSME sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): As per the 73rd Round of the National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation's survey of "Unincorporated non-agricultural Enterprises (excluding Construction)", 195 proprietary MSMEs per 1000 MSMEs are owned by women in the entire country. 93 proprietary MSMEs per 1000 MSMEs are owned by women in Delhi. The State/UT-wise distribution of women owned proprietary MSMEs per 1000 MSMEs estimated from the survey are given as Annexure-I.

(b): The number of women employed in MSMEs, as per the survey mentioned above are 2,64,91,687. Out of them 2,41,425 women are employed in Delhi. The state/UT-wise distribution of women employment in the MSMEs is given as Annexure-II.

(c): The information on average monthly income being earned by women in the MSMEs was not collected during the survey. However, the information on emolument only for hired worker was collected during the aforesaid survey and the average annual emolument per hired worker is Rs. 86,390.

(d)&(e): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) implements various Schemes like the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Micro & Small Enterprises Cluster Development (MSE-CDP) and Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), which encourage creation of enterprises and also creation of infrastructure for MSMEs. MSMEs are predominantly labour intensive and aspects such as child care support, safety of women and support to women workers have to be taken care of by the employer as per law.

***

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2182

उत्तर देने की तारीख : 01.01.2018

महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई

2182. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन महिलाओं की दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है जो एमएसएमई की स्वामी हैं;

(ख) देश में एमएसएमई में नियोजित महिलाओं की दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) एमएसएमई में महिलाओं द्वारा अर्जित की जा रही औसत मासिक आय क्या है;

(घ) क्या यह अधिदेश करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है कि एमएसएमई द्वारा इनमें कार्यरत महिलाओं के लिये बाल परिचर्या की व्यवस्था की जाए; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के "अनिगमित गैर-कृषिजन्य उद्यम (निर्माण को छोड़कर)" के सर्वेक्षण के 73 वें दौर के अनुसार देशभर में महिलाओं के स्वामित्व वाली 195 एमएसएमई प्रति 1000 एमएसएमई पर है। दिल्ली में प्रति 1000 एमएसएमई पर महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई की संख्या 93 है। सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित प्रति 1000 एमएसएमई पर महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) : एमएसएमई में नियोजित महिलाओं की संख्या, ऊपर संदर्भित सर्वेक्षण के अनुसार 2,64,91687 है। इनमें से 2,41,425 महिलाएं दिल्ली में नियोजित हैं। एमएसएमई में महिला रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-।। पर दिया गया है।

(ग) : सर्वेक्षण के दौरान एमएसएमई में महिलाओं द्वारा अर्जित की जा रही औसत मासिक आय संबंधी सूचना एकत्रित नहीं की गई। हालांकि उपर्युक्त सर्वेक्षण के दौरान सिर्फ भाड़े पर लिए गए कामगारों की परिलब्धियों से संबंधित सूचना संग्रहित की गई और भाड़े पर लिए गए प्रति कामगार की औसत वार्षिक परिलब्धियां 86,390 रूपये है।

(घ) और (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसई-सीडीपी और स्फूर्ति जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है जो न केवल उद्यमों की स्थापना, बल्कि एमएसएमई के लिए अवसंरचना के सृजन को भी प्रोत्साहित करता है। एमएसएमई मुख्यत: श्रम सघन क्षेत्र है और बाल देखभाल सहायता, महिलाओं की सुरक्षा और महिला कामगार सहायता जैसे पहलुओं का ध्यान नियोक्ता द्वारा कानून के अनुसार रखा जाता है।

*****

Annexure-I referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 2182 for answer on 01.01.2018

Distribution of Women owned proprietary MSMEs Per 1000 MSMEs

State	Women Proprietary MSMEs (per 1000)
Andhra Pradesh	247
Arunachal Pradesh	276
Assam	55
Bihar	49
Chhattisgarh	84
Delhi	93
Goa	154
Gujarat	249
Haryana	101
Himachal Pradesh	129
Jammu & Kashmir	106
Jharkhand	196
Karnataka	244
Kerala	208
Madhya Pradesh	138
Maharashtra	168
Manipur	481
Megahlaya	351
Mizoram	392
Nagaland	229
Odisha	149
Punjab	153
Rajasthan	141
Sikkim	193
Tamil Nadu	260
Telangana	373
Tripura	133
Uttar Pradesh	96
Uttarakhand	50
West Bengal	327
A & N Islands	210
Chandigarh	99
Dadra & Nagar Haveli	169
Daman & Diu	202
Lakshadweep	260
Puducherry	283
ALL	195

Source: NSS 73rd Round of NSSO, M/o S&PI

अनुलग्नक- I

दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं 2182 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रति 1000 एमएसएमई में महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई मालिक का विवरण

राज्य	महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई (प्रति 1000)
आंध्र प्रदेश	247
अरुणाचल प्रदेश	276
असम	55
बिहार	49
छत्तीसगढ़	84
दिल्ली	93
गोवा	154
गुजरात	249
हरियाणा	101
हिमाचल प्रदेश	129
जम्मू और कश्मीर	106
झारखंड	196
कर्नाटक	244
केरल	208
मध्य प्रदेश	138
महाराष्ट्र	168
मणिपुर	481
मेघालय	351
मिजोरम	392
नागालैंड	229
ओडिशा	149
पंजाब	153
राजस्थान	141
सिक्किम	193
तमिलनाडु	260
तेलंगाना	373
त्रिपुरा	133
उत्तर प्रदेश	96
उत्तराखंड	50
पश्चिम बंगाल	327
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	210
चंडीगढ़	99
दादरा और नगर हवेली	169
दमन और दीव	202
लक्षद्वीप	260
पुडुचेरी	283
कुल	195

स्रोत: एनएसएसओ, सां. और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एनएसएस 73 वें दौर

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2182
TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

WOMEN OWNED MSMEs

2182. SHRI PARVESH SAHIB SINGH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the number of women who own MSMEs in the country, State/UT-wise, including Delhi;
(b) the number of women employed in MSMEs in the country, State/UT-wise, including Delhi;
(c) the average monthly-income being earned by women in the MSMEs;
(d) whether any provisions have been made to mandate that MSMEs provide for childcare support to mothers working in MSMEs, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
(e) the further steps being taken by the Government to ensure safety and support to women engaged in the MSME sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): As per the 73rd Round of the National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation's survey of "Unincorporated non-agricultural Enterprises (excluding Construction)", 195 proprietary MSMEs per 1000 MSMEs are owned by women in the entire country. 93 proprietary MSMEs per 1000 MSMEs are owned by women in Delhi. The State/UT-wise distribution of women owned proprietary MSMEs per 1000 MSMEs estimated from the survey are given as Annexure-I.

(b): The number of women employed in MSMEs, as per the survey mentioned above are 2,64,91,687. Out of them 2,41,425 women are employed in Delhi. The state/UT-wise distribution of women employment in the MSMEs is given as Annexure-II.

(c): The information on average monthly income being earned by women in the MSMEs was not collected during the survey. However, the information on emolument only for hired worker was collected during the aforesaid survey and the average annual emolument per hired worker is Rs. 86,390.

(d)&(e): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) implements various Schemes like the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Micro & Small Enterprises Cluster Development (MSE-CDP) and Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), which encourage creation of enterprises and also creation of infrastructure for MSMEs. MSMEs are predominantly labour intensive and aspects such as child care support, safety of women and support to women workers have to be taken care of by the employer as per law.

***

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2182

उत्तर देने की तारीख : 01.01.2018

महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई

2182. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन महिलाओं की दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है जो एमएसएमई की स्वामी हैं;

(ख) देश में एमएसएमई में नियोजित महिलाओं की दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) एमएसएमई में महिलाओं द्वारा अर्जित की जा रही औसत मासिक आय क्या है;

(घ) क्या यह अधिदेश करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है कि एमएसएमई द्वारा इनमें कार्यरत महिलाओं के लिये बाल परिचर्या की व्यवस्था की जाए; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के "अनिगमित गैर-कृषिजन्य उद्यम (निर्माण को छोड़कर)" के सर्वेक्षण के 73 वें दौर के अनुसार देशभर में महिलाओं के स्वामित्व वाली 195 एमएसएमई प्रति 1000 एमएसएमई पर है। दिल्ली में प्रति 1000 एमएसएमई पर महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई की संख्या 93 है। सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित प्रति 1000 एमएसएमई पर महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) : एमएसएमई में नियोजित महिलाओं की संख्या, ऊपर संदर्भित सर्वेक्षण के अनुसार 2,64,91687 है। इनमें से 2,41,425 महिलाएं दिल्ली में नियोजित हैं। एमएसएमई में महिला रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-।। पर दिया गया है।

(ग) : सर्वेक्षण के दौरान एमएसएमई में महिलाओं द्वारा अर्जित की जा रही औसत मासिक आय संबंधी सूचना एकत्रित नहीं की गई। हालांकि उपर्युक्त सर्वेक्षण के दौरान सिर्फ भाड़े पर लिए गए कामगारों की परिलब्धियों से संबंधित सूचना संग्रहित की गई और भाड़े पर लिए गए प्रति कामगार की औसत वार्षिक परिलब्धियां 86,390 रूपये है।

(घ) और (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसई-सीडीपी और स्फूर्ति जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है जो न केवल उद्यमों की स्थापना, बल्कि एमएसएमई के लिए अवसंरचना के सृजन को भी प्रोत्साहित करता है। एमएसएमई मुख्यत: श्रम सघन क्षेत्र है और बाल देखभाल सहायता, महिलाओं की सुरक्षा और महिला कामगार सहायता जैसे पहलुओं का ध्यान नियोक्ता द्वारा कानून के अनुसार रखा जाता है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2182
TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

WOMEN OWNED MSMEs

2182. SHRI PARVESH SAHIB SINGH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the number of women who own MSMEs in the country, State/UT-wise, including Delhi;
(b) the number of women employed in MSMEs in the country, State/UT-wise, including Delhi;
(c) the average monthly-income being earned by women in the MSMEs;
(d) whether any provisions have been made to mandate that MSMEs provide for childcare support to mothers working in MSMEs, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
(e) the further steps being taken by the Government to ensure safety and support to women engaged in the MSME sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): As per the 73rd Round of the National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation's survey of "Unincorporated non-agricultural Enterprises (excluding Construction)", 195 proprietary MSMEs per 1000 MSMEs are owned by women in the entire country. 93 proprietary MSMEs per 1000 MSMEs are owned by women in Delhi. The State/UT-wise distribution of women owned proprietary MSMEs per 1000 MSMEs estimated from the survey are given as Annexure-I.

(b): The number of women employed in MSMEs, as per the survey mentioned above are 2,64,91,687. Out of them 2,41,425 women are employed in Delhi. The state/UT-wise distribution of women employment in the MSMEs is given as Annexure-II.

(c): The information on average monthly income being earned by women in the MSMEs was not collected during the survey. However, the information on emolument only for hired worker was collected during the aforesaid survey and the average annual emolument per hired worker is Rs. 86,390.

(d)&(e): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) implements various Schemes like the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Micro & Small Enterprises Cluster Development (MSE-CDP) and Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), which encourage creation of enterprises and also creation of infrastructure for MSMEs. MSMEs are predominantly labour intensive and aspects such as child care support, safety of women and support to women workers have to be taken care of by the employer as per law.

***

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2182

उत्तर देने की तारीख : 01.01.2018

महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई

2182. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन महिलाओं की दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है जो एमएसएमई की स्वामी हैं;

(ख) देश में एमएसएमई में नियोजित महिलाओं की दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) एमएसएमई में महिलाओं द्वारा अर्जित की जा रही औसत मासिक आय क्या है;

(घ) क्या यह अधिदेश करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है कि एमएसएमई द्वारा इनमें कार्यरत महिलाओं के लिये बाल परिचर्या की व्यवस्था की जाए; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के "अनिगमित गैर-कृषिजन्य उद्यम (निर्माण को छोड़कर)" के सर्वेक्षण के 73 वें दौर के अनुसार देशभर में महिलाओं के स्वामित्व वाली 195 एमएसएमई प्रति 1000 एमएसएमई पर है। दिल्ली में प्रति 1000 एमएसएमई पर महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई की संख्या 93 है। सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित प्रति 1000 एमएसएमई पर महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-1 पर दिया गया है।

(ख) : एमएसएमई में नियोजित महिलाओं की संख्या, ऊपर संदर्भित सर्वेक्षण के अनुसार 2,64,91687 है। इनमें से 2,41,425 महिलाएं दिल्ली में नियोजित हैं। एमएसएमई में महिला रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-।। पर दिया गया है।

(ग) : सर्वेक्षण के दौरान एमएसएमई में महिलाओं द्वारा अर्जित की जा रही औसत मासिक आय संबंधी सूचना एकत्रित नहीं की गई। हालांकि उपर्युक्त सर्वेक्षण के दौरान सिर्फ भाड़े पर लिए गए कामगारों की परिलब्धियों से संबंधित सूचना संग्रहित की गई और भाड़े पर लिए गए प्रति कामगार की औसत वार्षिक परिलब्धियां 86,390 रूपये है।

(घ) और (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसई-सीडीपी और स्फूर्ति जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है जो न केवल उद्यमों की स्थापना, बल्कि एमएसएमई के लिए अवसंरचना के सृजन को भी प्रोत्साहित करता है। एमएसएमई मुख्यत: श्रम सघन क्षेत्र है और बाल देखभाल सहायता, महिलाओं की सुरक्षा और महिला कामगार सहायता जैसे पहलुओं का ध्यान नियोक्ता द्वारा कानून के अनुसार रखा जाता है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTIONNO. 2186
TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

LBI PROJECTS

2186. SHRI M. CHANDRAKASI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of rural Livelihood Business Incubator (LBI) projects sanctioned and completed in the country since inception, State/UT-wise;
(b) the details of expenditure incurred by the Government on LBI scheme during each financial year since launch of the scheme;
(c) the details of pending project proposals under the consideration of the Government; and
(d) whether any feedback has been obtained on the success rate of achieving the objectives of the scheme and if so, the details and the outcome thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): A total of 62 Livelihood Business Incubators (LBIs) projects have been sanctioned since the inception of 'A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship' (ASPIRE) in March 2015. Out of these 29 have become operational and 33 LBI Projects are in various stages of being set up. State/UT-wise details is placed at **Annexure-I.**

(b): Details of expenditure under LBI component of ASPIRE Scheme during the last three years and current financial year is as follows:

Financial Year	Expenditure(Rs. in crore)
2014-15	5.00
2015-16	9.29
2016-17	13.98
2017-18 (upto25.12.2017)	5.52

(c): 3 LBI project proposals are pending for placing them before the Screening Committee, details of which are as follows:

S. No.	State	District	Applicant Organization
1	Uttar Pradesh	Sitapur	Institution of Industrial and Consumer Electronics
2	Maharashtra	Baramati	Agriculture Development Trust
3	Mizoram	Lunglei	Mizoram KVI Board

(d): No study has been conducted to obtain feedback on the success rate of achieving the objectives of the scheme.

* * *

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2186

उत्तर देने की तारीख 01.01.2018

एलबीआई परियोजनाएं

2186. श्री एम. चंन्द्राकाशी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण लाइवलीहुड बिज़नेस इन्क्यूबेटर (एलबीआई) परियोजनाओं के आरंभ से देश मेंसंस्वीकृत एवं पूरी की गई इन परियोजनाओं काराज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एलबीआई योजना के आरंभ से प्रत्येकवित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना पर सरकार द्वाराकिए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के विचाराधीन लंबित परियोजनाप्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या योजना के उद्देश्यों को हासिल कियेजाने की सफलता दर के बारे में कोई फीडबैकप्राप्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौराएवं निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) कुल 62 आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई) परियोजनाओं को मार्च 2015 में 'नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम' (एस्पायर)की शुरुआत से स्वीकृत किया गया है। इनमें से 29 चालू हो गई हैं एवं 33 एलबीआई परियोजनाएं स्थापित किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा अनुबंध -I दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान एस्पायर स्कीमकेएलबीआई घटक के अंतर्गत व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	व्यय (करोड़ रुपयों में)
2014-15	5.00
2015-16	9.29
2016-17	13.98
2017-18 (25.12.2017 तक)	5.52

(ग) 3 एलबीआई परियोजना प्रस्ताव छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिएलंबित हैं जिनका ब्योरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य	जिला	आवेदक संगठन
1	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	औद्योगिक एवं उपभोक्ता इलेक्टॉनिक्स संस्था
2	महाराष्ट्र	बारामती	कृषि विकास ट्रस्ट
3	मिजोरम	लुँगलेई	मिजोरम केवीआई बोर्ड

(घ) स्कीम के उद्देश्य की प्राप्ति की सफलता दर पर फीडबैक लेने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

•••

31.	Nagaland	Doesehe	Doeshe Village Council	99.68	
32.	Odisha	Bhubaneswar	Coir Board	100	Operational
33.	Odisha	Khurda	Centurion University - PPP	50	
34.	Odisha	Jajpur, Bhubaneswar	IEDO	100	Operational
35.	Odisha	Khurda	State Govt. of Odisha	100	
36.	Rajasthan	Jhalawar	RIICO-GCE	71	
37.	Rajasthan	Ajmer	GITI	100	
38.	Rajasthan	Alwar	GITI	99.50	
39.	Rajasthan	Bikaner	GEC	100	
40.	Rajasthan	Jaipur	GITI	99.50	
41.	Rajasthan	Jodhpur	FDDI	100	
42.	Rajasthan	Kota	RTU	100	
43.	Rajasthan	Udaipur	Govt. Production Center	99.50	
44.	Tamil Nadu	Chennai	NSIC	98.75	Operational
45.	Tamil Nadu	Tanjavore	Coir Board	100	Operational
46.	Tamil Nadu	Tirupur	NIFT-TEA-PPP	50	Operational
47.	Tamil Nadu	Thanjavur	IIFPT *	0	
48.	Telangana	Hyderabad	NIMSME	82.50	Operational
49.	Telangana	Hyderabad	ALEAP-PPP	50	
50.	Telangana	Secunderabad	NSIC-EME Center	45	
51.	Uttar Pradesh	Deoria	NSIC	77.02	Operational
52.	Uttar Pradesh	Naini	NSIC	77.66	Operational
53.	Uttar Pradesh	Noida	NIESBUD	33.25	
54.	Uttar Pradesh	Basti	KapilBalAvam-PPP	25	
55.	Uttar Pradesh	Samadhan	Samadhan-PPP	25	
56.	Uttar Pradesh	Amethi	Sanjay Gandhi Polytechnic	65.96	
57.	Uttar Pradesh	Balia	GITI	57.77	
58.	Uttar Pradesh	Basti	GITI	100	
59.	Uttar Pradesh	Faizabad	GITI	52.92	
60.	Uttar Pradesh	Ghazipur	GITI	35	
61.	Uttar Pradesh	Kushinagar	GITI	70	
62.	Uttarakhand	Kashipur	NSIC	98	Operational
			Total:	4898.74	

* Revised proposal for LBI to be submitted by Institution

31.	नागालैंड	डोयेशे	क्या गांव परिषद	99.68	
32.	ओडिशा	भुवनेश्वर	कयर बोर्ड	100	चालू
33.	ओडिशा	खुर्दा	सेंचुरियन यूनिवर्सिटी - पीपीपी	50	
34.	ओडिशा	जाजपुर, भुवनेश्वर	आईईडीओ	100	चालू
35.	ओडिशा	खुर्दा	ओडिशा राज्य सरकार	100	
36.	राजस्थान	झालावाड़	आरआईआईसीओ-जीसीई	71	
37.	राजस्थान	अजमेर	गिति	100	
38.	राजस्थान	अलवर	गिति	99.50	
39.	राजस्थान	बीकानेर	जीईसी	100	
40.	राजस्थान	जयपुर	गिति	99.50	
41.	राजस्थान	जोधपुर	एफडीडीआई	100	
42.	राजस्थान	कोटा	आरटीयू	100	
43.	राजस्थान	उदयपुर	राजकीय उत्पादन केंद्र	99.50	
44.	तमिलनाडु	चेन्नई	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	98.75	चालू
45.	तमिलनाडु	तंजावुर	कयर बोर्ड	100	चालू
46.	तमिलनाडु	तिरुपुर	निफ्ट-टी-पीपीपी	50	चालू
47.	तमिलनाडु	तंजावुर	आईआईएफपीटी*	0	
48.	तेलंगाना	हैदराबाद	निम्समे	82.50	चालू
49.	तेलंगाना	हैदराबाद	एएलईएपी-पीपीपी	50	
50.	तेलंगाना	सिकंदराबाद	एनएसआईसी-ईएमई केंद्र	45	
51.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	77.02	चालू
52.	उत्तर प्रदेश	नैनी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	77.66	चालू
53.	उत्तर प्रदेश	नोएडा	निसबड	33.25	
54.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	कपिल बाल अवम-पीपीपी	25	
55.	उत्तर प्रदेश	समाधान	समाधान-पीपीपी	25	
56.	उत्तर प्रदेश	अमेठी	संजय गांधी पॉलिटेकनिक	65.96	
57.	उत्तर प्रदेश	बलिया	गिति	57.77	
58.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	गिति	100	
59.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	गिति	52.92	
60.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	गिति	35	
61.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	गिति	70	
62.	उत्तराखंड	काशीपुर	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	98	चालू
			कुल	4898.74	

* संस्था द्वारा एलबीआई के लिए प्रस्तुत किए जानेवाला संशोधित प्रस्ताव

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 2186 for answer on 01.01.2018

State/UT-wise details of LBIs approved under ASPIRE (upto 30.11.2017)

Sl. No.	State	District	Nodal Institution	Amount Sanctioned (Rs. in lakh)	Status (as on 30.11.2017)
1.	Andhra Pradesh	Rajahmundry	Coir Board	100	Operational
2.	Assam	Guwahati	IIEG	67	
3.	Assam	Kamrup	IIEG	56	
4.	Assam	Sibsasagr	IIEG	67	
5.	Bihar	Patna	KVIC-MDTC	100	
6.	Bihar	Khanwa	BHKGS	50	
7.	Bihar	Nawada	NSIC	93	Operational
8.	Delhi	Delhi	JamiaMiliaIslamia University	100	Operational
9.	Delhi	East Delhi	Bapu Nature Cure Hospital &Yogashram-PPP	50	Operational
10.	Gujarat	Rajkot	NSIC	80	Operational
11.	Haryana	Faridabad	NSIC	100	
12.	Karnataka	Dandeli	VTU	83	
13.	Kerala	Cochin	CBPST-PPP	65	
14.	Madhya Pradesh	Dewas	State Govt. of MP	90.20	Operational
15.	Madhya Pradesh	Satna	MPSBM	100	Operational
16.	Madhya Pradesh	Amarkantak	IGNTU	98.86	
17.	Maharashtra	Nashik	KVIC-MDTC	100	Operational
18.	Maharashtra	Pune	KVIC-MDTC	94	Operational
19.	Manipur	Chandel	State Govt. of Manipur	62	Operational
20.	Manipur	Ukhrul	State Govt. of Manipur	77	Operational
21.	Manipur	Imphal East	State Govt. of Manipur	100	Operational
22.	Manipur	Imphal West	State Govt. of Manipur	53.48	Operational
23.	Manipur	Thoubal	State Govt. of Manipur	100	Operational
24.	Manipur	Senapati	State Govt. of Manipur	100	Operational
25.	Manipur	Tamenglong	State Govt. of Manipur	100	Operational
26.	Manipur	Bishnupur	State Govt. of Manipur	100	Operational
27.	Manipur	Churachandpur	State Govt. of Manipur	100	Operational
28.	Meghalaya	Tura (West Garo Hills)	MBMA	99.91	
29.	Meghalaya	Nongstoin (West Khasi Hills)	MBMA	96.14	
30.	Mizoram	Aizawl	Khadi Board	53.14	Operational

अनुबंध-I

दिनांक 01.01.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2186 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

एस्पायर के अंतर्गत अनुमोदित एलबीआई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा (30.11.2017 तक)

क्र.सं.	राज्य	जिला	नोडल संस्था	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	स्थिति(30.11.2017 के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी	कयर बोर्ड	100	चालू
2.	असम	गुवाहाटी	आईआईईजी	67	
3.	असम	कामरूप	आईआईईजी	56	
4.	असम	सिबसागर	आईआईईजी	67	
5.	बिहार	पटना	केवीआईसी-एमडीटीसी	100	
6.	बिहार	खनवा	बीएचकेजीएस	50	
7.	बिहार	नवादा	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	93	चालू
8.	दिल्ली	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	100	चालू
9.	दिल्ली	पूर्वी दिल्ली	बापू नेचर क्योर हॉस्पिटल और योगाश्रम-पीपीपी	50	चालू
10.	गुजरात	राजकोट	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	80	चालू
11.	हरियाणा	फरीदाबाद	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	100	
12.	कर्नाटक	दांदेली	वीटीयू	83	
13.	केरल	कोचीन	सीबीडीएसटी-पीपीपी	65	
14.	मध्य प्रदेश	देवास	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	90.20	चालू
15.	मध्य प्रदेश	सतना	एमपीएसबीएम	100	चालू
16.	मध्य प्रदेश	अमरकंटक	आईजीएनटीयू	98.86	
17.	महाराष्ट्र	नासिक	केवीआईसी-एमडीटीसी	100	चालू
18.	महाराष्ट्र	पुणे	केवीआईसी-एमडीटीसी	94	चालू
19.	मणिपुर	चंदेल	मणिपुर राज्य सरकार	62	चालू
20.	मणिपुर	उखरूल	मणिपुर राज्य सरकार	77	चालू
21.	मणिपुर	इंफाल पूर्व	मणिपुर राज्य सरकार	100	चालू
22.	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	मणिपुर राज्य सरकार	53.48	चालू
23.	मणिपुर	थौबल	मणिपुर राज्य सरकार	100	चालू
24.	मणिपुर	सेनापति	मणिपुर राज्य सरकार	100	चालू
25.	मणिपुर	तामेंगलांग	मणिपुर राज्य सरकार	100	चालू
26.	मणिपुर	बिश्नुपुर	मणिपुर राज्य सरकार	100	चालू
27.	मणिपुर	चुरचंदपुर	मणिपुर राज्य सरकार	100	चालू
28.	मेघालय	तुरा (पश्चिम गारो हिल्स)	एमबीएमए	99.91	
29.	मेघालय	नोंगस्टोइन (पश्चिम खासी हिल्स)	एमबीएमए	96.14	
30.	मिजोरम	आइजोल	खादी बोर्ड	53.14	चालू

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2232
TO BE ANSWERED ON: 1.1.2018

LOAN UNDER CGS-MSE SCHEME

2232. SHRI HARISH MEENA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the details of number of loans sanctioned under Credit Guarantee Scheme for the Micro and Small Enterprises since its inception, year-wise along with loan amount;
(b) the details of loans sanctioned to SC/ST and women thereunder; and
(c) the number of applications received for loan under the said scheme during the current year?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Details of number of loans sanctioned under Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme since its inception, year-wise along with loan amount are given in table below:

Year	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (₹ in Crore)
FY 2000-01	951	6.06
FY 2001-02	2296	29.52
FY 2002-03	4955	58.67
FY 2003-04	6603	117.60
FY 2004-05	8451	267.46
FY 2005-06	16284	461.91
FY 2006-07	27457	704.53
FY 2007-08	30285	1055.84
FY 2008-09	53708	2199.40
FY 2009-10	151387	6875.11
FY 2010-11	254000	12589.22
FY 2011-12	243981	13783.98
FY 2012-13	288537	16062.48
FY 2013-14	348475	18188.12
FY 2014-15	403422	21274.82
FY 2015-16	513978	19949.38
FY 2016-17	452127	19931.48
FY 2017-18 *	179546	12122.43

* As Upto November 30, 2017.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2232

उत्तर देने की तारीख : 01.01.2018

सीजीएस-एमएसई योजना के अंतर्गत ऋण

2232. श्री हरीश मीनाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत स्वीकृत किए गए ऋणों की संख्या और ऋण की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु स्वीकृत किये गये ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत ऋण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना की शुरुआत से अब तक ऋणों की संस्वीकृत संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा ऋण-राशि सहित नीचे तालिका में दी गई है:

वर्ष	स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटी की राशि (करोड़ में)
वित्त वर्ष 2000-01	951	6.06
वित्त वर्ष 2001-02	2296	29.52
वित्त वर्ष 2002-03	4955	58.67
वित्त वर्ष 2003-04	6603	117.60
वित्त वर्ष 2004-05	8451	267.46
वित्त वर्ष 2005-06	16284	461.91
वित्त वर्ष 2006-07	27457	704.53
वित्त वर्ष 2007-08	30285	1055.84
वित्त वर्ष 2008-09	53708	2199.40
वित्त वर्ष 2009-10	151387	6875.11
वित्त वर्ष 2010-11	254000	12589.22
वित्त वर्ष 2011-12	243981	13783.98
वित्त वर्ष 2012-13	288537	16062.48
वित्त वर्ष 2013-14	348475	18188.12
वित्त वर्ष 2014-15	403422	21274.82
वित्त वर्ष 2015-16	513978	19949.38
वित्त वर्ष 2016-17	452127	19931.48
वित्त वर्ष 2017-18 *	179546	12122.43

* 30 नवंबर, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

(b): The details of loans sanctioned to SC/ST and women thereunder is given below:

(₹ in Crore)

Year	SC		ST		Women	
	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (₹ in Crore)	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (₹ in Crore)	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (₹ in Crore)
FY 2000-01	NA	NA	NA	NA	173	0.97
FY 2001-02	NA	NA	NA	NA	434	4.94
FY 2002-03	NA	NA	NA	NA	1510	11.84
FY 2003-04	NA	NA	NA	NA	1096	16.83
FY 2004-05	NA	NA	2	0.08	2202	43.22
FY 2005-06	373	4.51	123	2.11	2844	72.72
FY 2006-07	1291	11.43	733	12.31	6985	116.51
FY 2007-08	1633	18.40	428	7.31	6918	162.55
FY 2008-09	3970	36.06	957	15.35	11408	328.80
FY 2009-10	8693	124.15	1776	50.31	26298	995.80
FY 2010-11	14243	275.09	4660	129.11	41644	1806.22
FY 2011-12	12571	308.34	5919	200.90	37652	1910.65
FY 2012-13	14350	315.57	5850	246.90	47391	2154.20
FY 2013-14	16416	403.87	8473	281.31	74554	2599.28
FY 2014-15	18171	569.79	11000	370.79	85230	3181.01
FY 2015-16	23135	522.31	10572	298.62	125068	3201.41
FY 2016-17	16742	466.58	8532	296.82	103250	3474.30
FY 2017-18*	6548	239.67	3851	166.64	43803	2164.95

* As Upto November 30, 2017.

Data in respect of SC/ST entrepreneur is being captured in system w.e.f April 2004

NA: not applicable (since no credit facilities were approved)

(c): In the current year (2017-18), upto November 30, 2017, the number of applications received for loan under the said scheme is 1,76,769.

******

(ख) : इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को संस्वीकृत ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ में)

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		महिलाएं	
	अनुमोदित क्रेडिट सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटी की राशि (करोड़ में)	अनुमोदित क्रेडिट सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटी की राशि (करोड़ में)	अनुमोदित क्रेडिट सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटी की राशि (करोड़ में)
वित्त वर्ष 2000-01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	173	0.97
वित्त वर्ष 2001-02	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	434	4.94
वित्त वर्ष 2002-03	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1510	11.84
वित्त वर्ष 2003-04	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1096	16.83
वित्त वर्ष 2004-05	लागू नहीं	लागू नहीं	2	0.08	2202	43.22
वित्त वर्ष 2005-06	373	4.51	123	2.11	2844	72.72
वित्त वर्ष 2006-07	1291	11.43	733	12.31	6985	116.51
वित्त वर्ष 2007-08	1633	18.40	428	7.31	6918	162.55
वित्त वर्ष 2008-09	3970	36.06	957	15.35	11408	328.80
वित्त वर्ष 2009-10	8693	124.15	1776	50.31	26298	995.80
वित्त वर्ष 2010-11	14243	275.09	4660	129.11	41644	1806.22
वित्त वर्ष 2011-12	12571	308.34	5919	200.90	37662	1910.65
वित्त वर्ष 2012-13	14350	315.57	5850	246.90	47391	2154.20
वित्त वर्ष 2013-14	16416	403.87	8473	281.31	74554	2599.28
वित्त वर्ष 2014-15	18171	569.79	11000	370.79	85230	3181.01
वित्त वर्ष 2015-16	23135	522.31	10572	298.62	125068	3201.41
वित्त वर्ष 2016-17	16742	466.58	8532	296.82	103250	3474.30
वित्त वर्ष 2017-18*	6548	239.67	3851	166.64	43803	2164.95

* 30 नवंबर., 2017 तक की स्थिति के अनुसार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित आकड़ों को सिस्टम में अप्रैल, 2004 से लाया गया है।

लागू नहीं : लागू नहीं (चूंकि कोई क्रेडिट सुविधा अनुमोदित नहीं की गई थीं।)

(ग) : चालू वर्ष (2017-18) में 30 नवंबर, 2017 तक उक्त स्कीम के तहत ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,76,769 है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.2235
TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

PROMOTION OF COTTAGE AGRO-BASED RURAL INDUSTRIES

2235. SHRI SHARAD TRIPATHI:
SHRIMATI HEMA MALINI:
SHRI NIHAL CHAND:
SHRI RAMESH BIDHURI:
SHRI RAJU SHETTY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the details of the schemes being implemented by the Government for promotion of cottage and agro-based rural industries through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) in the country;
(b) whether the Government grants financial packages to the KVIC for modernisation and development of the said industries;
(c) if so, the details thereof along with the number of persons including women benefitted therefrom during each of the last three years and the current year, State/UT-wise;
(d) whether the Government has received proposals from various State Governments for revamping the said industries in their States, if so, the details and the status thereof, State/UT-wise; and
(e) the other steps taken by the Government to promote the said industries in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of MSME is implementing the following schemes through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) for promotion of cottage and agro-based rural industries in the country:

i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy scheme, for setting up of new micro-enterprises and to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through KVIC, State Khadi & Village Industries Board (KVIB) and District Industries Centre (DIC). General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/Women/PH/Minorities/Ex-Servicemen/NER, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector.

ii) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) was launched in 2005-06 for making Traditional Industries more productive and competitive by organizing the Traditional Industries and artisans into clusters.

iii) A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE) was launched on 18.3.2015 to promote Innovation & Rural Entrepreneurship through rural Livelihood Business Incubator (LBI), Technology Business Incubator (TBI) and Fund of Funds for start-up creation.

iv) Market Promotion Development Assistance (MPDA) – A unified scheme by merging Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component of Infrastructure namely setting up of Marketing Complexes/Khadi Plazas has been added to expand the marketing network of Khadi & VI products. Under the Modified MDA (MMDA) financial assistance at 30% of the Prime Cost, is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 2235

उत्तर देने की तारीख 01.01.2018

कुटीर/कृषि आधरित ग्रामीण उद्योगों का संवर्धन

2235. श्री शरद त्रिपाठीः
श्रीमती हेमामालिनीः
श्री निहाल चन्दः
श्री रमेश बिधूड़ीः
श्री राजू शेट्टीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कुटीर और कृषि आधरित ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त उद्योगों के आधुनिकीकरण और विकास हेतु केवीआईसी को वित्तीय पैकेज प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं सहित इनसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को उनके राज्य में उक्त उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में उक्त उद्योगों के संवर्धन हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में कुटीर एवं कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा हैः

<u>i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)</u> केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

<u>ii) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)</u> परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी।

<u>iii) नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)</u> ग्रामीण आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) तथा स्टार्ट अप सृजन के लिए निधियों के कोष के माध्यम से नवप्रवर्तन एवं ग्रामीण उद्यमिता को संवर्धित करने के लिए दिनांक 18.03.2015 को शुरू की गई थी।

<u>iv) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)-</u> बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। आधारभूत सुविधा के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% वितरित की जाती है।

v) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks as per the requirement of the Khadi institutions. The institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by the Government of India through KVIC to the banks.

vi) Workshed Scheme for Khadi Artisans was introduced in 2008-09 to provide financial assistance for construction of workshed to khadi artisans belonging to BPL category through the khadi institutions with which the khadi artisans are associated. This empowers khadi spinners and weavers to chart out a sustainable path for growth, income generation and better work environment.

vii) Strengthening infrastructure of weak Khadi institutions and assistance for marketing infrastructure: This scheme provides need-based support towards the Khadi sector for nursing the sick/problematic institutions elevated from "D" to "C" category as well as those whose production, sales and employment have been declining while they have potential to attain normalcy and to support creation of marketing infrastructure in other identified outlets. Under this scheme, financial assistance is provided to existing weak Khadi institutions for strengthening of their infrastructure and for renovation of selected khadi sales outlets.

viii) Khadi Reform and Development Programme (KRDP) aims to revitalize the khadi sector with enhanced sustainability of khadi, increased incomes and employment for spinners and weavers, increased artisans' welfare and to achieve synergy with village industries. Under KRDP, restructured amount of US$ 105 million has been negotiated with Asian Development Bank (ADB) and funds are being provided to the Government of India to be released to KVIC as 'grants-in-aid' under budgetary allocation through the Ministry of MSME. Khadi Reform Package envisages reform support in the following areas: (i) Artisan Earnings and Empowerment, (ii) Direct Reform Assistance to 400 Khadi Institutions & (iii) Implementation of a well-knit MIS

ix) AamAdmiBimaYojana (erstwhile JanashreeBimaYojana): KVIC in association with LIC is implementing the AABY scheme to provide insurance cover to Khadi artisans against normal and accidental death and disability. Premium is shared between KVIC (12.5%), Khadi institutions (25%), artisans (12.5%) and Govt. of India (50%), Khadi Artisans belonging to the age group of 18 to 59 years are provided insurance cover for the following:

(i) Death (natural)	: Rs.	30,000.00
(ii) Death (accidental)	: Rs.	75,000.00
(iii) Disability (permanent)	: Rs.	75,000.00
(iv) Disability (partial)	: Rs.	37,500.00

(v) Educational Benefits (ShikshaSahayogYojana) :

Two children of Khadi Artisan who are studying in standard IX to XII including Industrial Training Institutes (ITIs) are eligible for scholarship of Rs.300/- per quarter.

(b)&(c): Government has no specific scheme for modernization and development of cottage and agro-based rural industries. State-wise details of Margin Money allocated and utilized, job opportunities (including women) created and number of units set up under **PMEGP** Scheme during the last three years and current year is placed at **Annexure-I**. State/UT-wise number of beneficiaries benefitted under **Workshed** and **AABY** during the last three years and current year is placed at **Annexure-II**.

(d): There is no scheme/programme being implemented by KVIC for revamping the cottage and agro-based rural industries and no proposal received from the State Governments in this regard. However, Khadi and Village Industries programme is being implemented uniformly all over the country.

(e): The other steps taken by the Government to promote cottage and agro-based rural industries through KVIC is placed at **Annexure-III**.

* **

v) **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आइसेक)** स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान है। संस्थाओं को मात्र 4% ब्याज देना होता है। बैंकों द्वारा 4% से अधिक प्रभारित किसी ब्याज को केवीआईसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

vi) **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम** खादी संस्थाएं जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं, के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 2008-09 में शुरू की गई थी। यह वृद्धि, आय सृजन तथा बेहतर कार्य वातावरण के लिए निरंतर पथ तैयार करने के लिए खादी कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों को सशक्त बनाता है।

vii) **कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधा का सुदृढ़ीकरण एवं विपणन आधारभूत सुविधा के लिए सहायता:** इस स्कीम में 'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रुग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं जबकि उनके पास सामान्यता(नॉर्मलसी) प्राप्त करने की संभावना है, का पालन-पोषण करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन आधारभूत सुविधा के सृजन की सहायता हेतु खादी क्षेत्र के लिए आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

viii) **खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)** का उद्देश्य खादी की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने, कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों की आय मे बढ़ोतरी करने और रोजगार में बढ़ोतरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। केआरडीपी के अंतर्गत 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की पुनर्संरचित राशि का एशियन विकास बैंक (एडीबी) से प्रबंध किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से बजटीय आवंटन के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में केवीआईसी को जारी किए जाने के लिए भारत सराकार को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

ix) **आम आदमी बीमा योजना (पूर्व में जनश्री बीमा योजना):** खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारतीय जीवन निगम के साथ स्वाभाविक और आकस्मिक मृत्यु तथा विकलांगता के समय खादी कारीगरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। प्रीमियम में केवीआईसी (12.5%), खादी संस्थाएं (25%), कारीगर (12.5%) और भारत सरकार (50%) की हिस्सेदारी है। 18 से 59 आयु समूह से संबंधित खादी कारीगरों को निम्नानुसार बीमा कवर प्रदान किया जाता है:

(i)	मृत्यु (स्वाभाविक)	:	30,000.00/- रूपये
(ii)	मृत्यु (दुर्घटना)	:	75,000.00/- रूपये
(iii)	विकलांगता (स्थाई)	:	75,000.00/- रूपये
(iv)	विकलांगता (आंशिक)	:	37,500.00/- रूपये
(V)	शैक्षिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना)	:	

खादी कारीगरों के दो बच्चे जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहित कक्षा IX और XII में अध्ययन कर रहे हैं, वे 300 रूपये प्रति तिमाही छात्रवृति पाने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) सरकार के पास कुटीर और कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान **पीएमईजीपी** स्कीम के अंतर्गत आवंटित और प्रयुक्त मार्जिन मनी स्थापित ईकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान **वर्कशेड** और **एएबीवाई** के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) कुटीर और कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग के सुधार के लिए केवीआईसी द्वारा कोई स्कीम/कार्यक्रम कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम समान रूप से पूरे देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ङ) केवीआईसी के माध्यम से कुटीर और कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम अनुबंध-III में दिए गए हैं।

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (b)&(c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 2235 for answer on 01.01.2018

Year-wise and State-wise details of Margin Money allocated & utilized, job opportunities (including women)created and number of units set up (including by women)under **PMEGP Scheme** during 2014-15, 2015-16, 2016-17 & 2017-18

Sl. No.	State/UT	2014-15				2015-16			
		Margin money subsidy allocated (Rs.lakh)	Margin money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)	Margin money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu& Kashmir	2919.5	3274.63	1565	11025	4006.80	3781.19	2207	12115
2	Himachal Pradesh	1687.45	2237.73	1244	6352	1721.57	1767.26	1077	5134
3	Punjab	2611.49	3190.88	1153	6438	3026.80	2902.97	966	7762
4	UT Chandigarh	287.99	61.46	36	160	90.00	87.72	43	323
5	Uttarakhand	1882.35	2153.32	1333	7889	1909.93	1740.86	1136	6161
6	Haryana	2716.36	3012.98	1175	7024	3747.40	3112.09	1248	7232
7	Delhi	1061.04	189.24	198	1584	257.35	254.05	256	2048
8	Rajasthan	5369.78	5249.62	1976	15002	4188.14	4384.07	1988	14537
9	Uttar Pradesh	13239.41	16937.53	4891	48604	17535.32	14456.87	4365	43059
10	Bihar	8277.14	4111.32	1639	9240	7118.59	6588.55	2430	19624
11	Sikkim	541.34	33.52	16	54	227.38	186.11	110	397
12	Arunachal Pradesh	1793.42	1004.99	652	2871	200.08	38.85	35	104
13	Nagaland	1563.64	878.59	416	2407	1255.83	1392.81	623	4998
14	Manipur	1403.65	1600.76	747	829	2855.92	1213.98	685	2715
15	Mizoram	1043.39	807.98	817	6736	924.99	1026.35	1134	9072
16	Tripura	985.02	1333.65	787	6333	2748.26	945.84	642	5355
17	Meghalaya	1184.8	971.14	555	3680	1250.62	1056.12	603	4824
18	Assam	5388.74	5397.01	5015	15535	4969.87	2869.74	3483	9026
19	West Bengal	4396.32	6010.11	3397	24646	4765.49	3400.65	1873	12746
20	Jharkhand	4547.06	2871.29	1699	8495	3462.64	3559.74	1839	12873
21	Odisha	5621.47	3945.89	2013	10211	6282.00	5736.32	2876	17629
22	Chhattisgarh	3474.41	2045.68	847	5821	4303.80	2829.38	1277	9496
23	Madhya Pradesh	8182.74	9241.70	2737	21896	7729.40	8117.17	1979	16497
24	Gujarat*	4246.72	6200.52	1289	18107	6536.16	6339.73	1419	14960
25	Maharashtra**	6299.38	7843.81	3469	28311	9718.42	5285.03	2497	20161
26	Andhra Pradesh	2667.87	3492.11	937	12220	4496.85	2262.37	642	7740
27	Telangana	1954.44	1889.35	604	6604	2094.00	2217.57	660	7761
28	Karnataka	4412.99	6479.10	2431	21825	10846.89	5898.01	2140	17284
29	Goa	466.91	141.76	78	406	159.40	165.43	91	500
30	Lakshadweep	704.68	28.61	31	93	90.00	0.00	0	0
31	Kerala	2206.51	2679.28	1344	9738	2731.60	2720.48	1369	9653
32	Tamil Nadu	4824.96	6733.89	2858	36190	7110.80	5497.54	2463	20836
33	Puducherry	749.95	112.10	58	386	100.00	106.37	65	447
34	A&N Islands	593.09	92.32	161	790	158.00	65.11	119	293
	Total	**109306**	**112253.87**	**48168**	**357502**	**128620.30**	**102006.33**	**44340**	**323362**

including un-utilized balance funds of previous year. * including Daman & Diu. ** including Dadra & Nagar Haveli

दिनांक01.01.2018के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.2235 के भाग) ख (और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत आबंटित और प्रयुक्त मार्जिन मनी, सृजित रोजगार के अवसर (महिलाओं सहित) और स्थापित इकाइयों की संख्या (महिलाओं सहित) का वर्षवार और राज्य-वार ब्योरा

क्र. सं.	राज्यवार राज्य क्षेत्र	2014-15				2015-16			
		आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी* (लाख रुपए)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी* (लाख रुपए)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	2919.5	3274.63	1565	11025	4006.80	3781.19	2207	12115
2	हिमाचल प्रदेश	1687.45	2237.73	1244	6352	1721.57	1767.26	1077	5134
3	पंजाब	2611.49	3190.88	1153	6438	3026.80	2902.97	966	7762
4	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	287.99	61.46	36	160	90.00	87.72	43	323
5	उत्तराखंड	1882.35	2153.32	1333	7889	1909.93	1740.86	1136	6161
6	हरियाणा	2716.36	3012.98	1175	7024	3747.40	3112.09	1248	7232
7	दिल्ली	1061.04	189.24	198	1584	257.35	254.05	236	2048
8	राजस्थान	5369.78	5249.62	1976	15002	4188.14	4384.07	1988	14537
9	उत्तर प्रदेश	13239.41	16937.33	4891	48604	17535.32	14456.87	4365	43059
10	बिहार	8277.14	4111.32	1639	9240	7118.59	6588.55	2430	19624
11	सिक्किम	541.34	33.52	16	54	237.38	186.11	110	397
12	अरुणाचल प्रदेश	1793.42	1004.99	652	2871	200.08	38.85	35	104
13	नागालैंड	1563.64	878.59	416	2407	1255.83	1392.81	623	4998
14	मणिपुर	1403.65	1600.76	747	829	2855.92	1213.98	685	2715
15	मिजोरम	1043.39	807.98	817	6736	924.99	1026.35	1134	9072
16	त्रिपुरा	985.02	1333.65	787	6333	2748.26	945.84	642	5355
17	मेघालय	1184.8	971.14	555	3680	1250.62	1056.12	603	4824
18	असम	5388.74	5397.01	5015	15535	4969.87	2869.74	3483	9026
19	पश्चिम बंगाल	4396.32	6010.11	3397	24646	4765.49	3400.65	1873	12746
20	झारखंड	4547.06	2871.29	1699	8495	3462.64	3559.74	1839	12873
21	ओडिशा	5621.47	3945.89	2013	10211	6282.00	5736.32	2876	17629
22	छत्तीसगढ़	3474.41	2045.68	847	5821	4303.80	2829.38	1277	9496
23	मध्य प्रदेश	8182.74	9241.70	2737	21896	7729.40	8117.17	1979	16497
24	गुजरात*	4246.72	6200.52	1289	18107	6536.16	6339.73	1419	14960
25	महाराष्ट्र**	6299.38	7843.81	3469	28311	9718.42	5285.03	2497	20161
26	आंध्र प्रदेश	2667.87	3492.11	937	12220	4496.85	2262.37	642	7740
27	तेलंगाना	1954.44	1889.35	604	6604	2094.00	2217.57	660	7761
28	कर्नाटक	4412.99	6479.10	2431	21825	10846.89	5898.01	2140	17284
29	गोवा	466.91	141.76	78	406	159.40	165.43	91	500
30	लक्षद्वीप	704.68	28.61	31	93	90.00	0.00	0	0
31	केरल	2306.51	2679.28	1344	9738	2731.60	2720.48	1369	9653
32	तमिलनाडु	4824.96	6733.89	2858	36190	7110.80	5497.54	2463	20836
33	पुडुचेरी	749.95	112.10	58	386	100.00	106.37	65	447
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	593.09	92.32	161	790	158.00	65.11	119	293
	कुल	109306	112253.87	48168	357502	128628.30	102406.33	44340	323362

*पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

Sl. No.	State/UT	2016-17				2017-18 [upto 30.11.2017]			
		Margin money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)	Margin money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	3541.26	2621.40	1492	11691	3272.84	2623.82	1355	10840
2	Himachal Pradesh	1970.11	2185.27	941	6916	1785.19	815.97	352	2816
3	Punjab	3504.09	3181.60	1266	9858	3272.84	1887.34	764	6112
4	UT Chandigarh	100	82.84	47	376	100.00	40.12	20	160
5	Uttarakhand	2140.93	2122.33	1345	9890	1933.95	909.46	496	3968
6	Haryana	3371.31	3383.53	1377	11016	3272.84	1940.23	780	6240
7	Delhi	300	182.41	119	952	300.00	58.14	42	336
8	Rajasthan	5500.99	4641.6	1749	13408	4909.26	2129.67	642	5136
9	Uttar Pradesh	12981.52	14271.05	4074	36315	11157.41	7781.12	2615	20920
10	Bihar	6909.77	8336.51	3234	25872	5653.09	2490.50	876	7008
11	Sikkim	200	35.93	27	201	200.00	15.69	15	120
12	Arunachal Pradesh	500	440.34	301	1984	500.00	192.34	133	1064
13	Nagaland	1751.68	2007.48	1018	7783	1728.96	1815.33	722	5776
14	Manipur	1741.7	2162.78	1265	8419	1434.32	684.80	311	2488
15	Mizoram	1253.49	491.96	425	3400	1245.66	107.61	98	784
16	Tripura	1578.62	3734.66	2297	17961	1283.75	757.21	428	3424
17	Meghalaya	1748.1	407.89	329	2632	1720.32	71.69	41	328
18	Assam	5636.41	4910.38	6028	31498	5351.99	1380.27	1503	12024
19	West Bengal	3680.3	6270.32	3528	26604	2975.31	2156.46	790	6320
20	Jharkhand	4165.73	2654.35	1300	10400	3570.37	758.56	337	2696
21	Odisha	5201.65	6848.96	3029	20392	4462.97	2753.41	1195	9560
22	Chhattisgarh	4493.3	4070.73	1598	12856	4016.67	1312.61	504	4032
23	Madhya Pradesh	8527.32	8346.06	1940	15520	7587.04	2802.73	656	5248
24	Gujarat*	5398.45	7561.61	1386	11629	4909.26	7863.74	1148	9184
25	Maharashtra**	6111.29	6001.36	2325	17799	5355.56	4474.27	1693	13544
26	Andhra Pradesh	2336.59	4916.08	1357	14148	1933.95	3298.36	972	7776
27	Telangana	2004.86	2561.72	664	6445	4611.73	2129.40	642	5136
28	Karnataka	4941.62	11609.56	3575	30286	4462.97	4136.10	1309	10472
29	Goa	371.62	191.44	90	660	297.53	65.29	24	192
30	Lakshadweep	50	00	00	00	100.00	00	00	00
31	Kerala	2446.06	3350.68	1584	13068	2082.72	1028.40	445	3560
32	Tamil Nadu	5291.23	8213.92	2941	25764	4760.50	4425.08	1877	15016
33	Puducherry	150	103.65	66	699	100.00	36.80	26	208
34	A&N Islands	100	193.46	195	1398	100.00	129.87	107	856
	Total	**110000**	**128093.86**	**52912**	**407840**	**100449**	**63072.39**	**22918**	**183344**

including un-utilized balance funds of previous year * including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17				2017-18 [30.11.2017 तक]			
		आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख रुपए)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख रुपए)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	3541.26	2621.40	1492	11691	3272.84	2623.82	1355	10840
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916	1785.19	815.97	352	2816
3	पंजाब	3504.09	3181.60	1266	9858	3272.84	1887.34	764	6112
4	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	100	82.84	47	376	100.00	40.12	20	160
5	उत्तराखंड	2140.93	2122.33	1345	9890	1933.95	909.46	496	3968
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016	3272.84	1940.23	780	6240
7	दिल्ली	300	182.41	119	952	300.00	58.14	42	336
8	राजस्थान	5500.99	4641.6	1749	13408	4909.26	2129.67	642	5136
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315	11157.41	7781.12	2615	20920
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872	5653.09	2490.50	876	7008
11	सिक्किम	200	35.93	27	201	200.00	15.69	15	120
12	अरुणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984	500.00	192.34	133	1064
13	नागालैंड	1751.68	2007.48	1018	7783	1728.96	1815.33	722	5776
14	मणिपुर	1741.7	2162.78	1265	8419	1434.32	684.80	311	2488
15	मिजोरम	1253.49	491.96	425	3400	1245.66	107.61	98	784
16	त्रिपुरा	1578.62	3734.66	2297	17961	1283.75	757.21	428	3424
17	मेघालय	1748.1	407.89	329	2632	1720.32	71.69	41	328
18	असम	5636.41	4910.38	6028	31498	5351.99	1380.27	1503	12024
19	पश्चिम बंगाल	3680.3	6270.32	3528	26604	2975.31	2156.46	790	6320
20	झारखंड	4165.73	2654.35	1300	10400	3570.37	758.56	337	2696
21	ओडिशा	5201.65	6848.96	3029	20392	4462.97	2753.41	1195	9560
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856	4016.67	1312.61	504	4032
23	मध्य प्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520	7587.04	2802.73	656	5248
24	गुजरात*	5398.45	7561.61	1386	11629	4909.26	7863.74	1148	9184
25	महाराष्ट्र**	6111.29	6001.36	2325	17799	5355.56	4474.27	1693	13544
26	आंध्र प्रदेश	2336.59	4916.08	1357	14148	1933.95	3298.36	972	7776
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445	4611.73	2129.40	642	5136
28	कर्नाटक	4941.62	11609.56	3575	30286	4462.97	4136.10	1309	10472
29	गोवा	371.62	191.44	90	660	297.53	65.29	24	192
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00	100.00	00	00	00
31	केरल	2446.06	3350.68	1584	13068	2082.72	1028.40	445	3560
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764	4760.50	4425.08	1877	15016
33	पुडुचेरी	150	103.65	66	699	100.00	36.80	26	208
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	193.46	195	1398	100.00	129.87	107	856
	कुल	110000	128093.86	52912	407840	100449	63072.39	22918	183344

#पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियाँ सहित

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to part (b)&(c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 2235 for answer on 01.01.2018

State/UT-wise Number of beneficiaries benefitted under **Workshed Scheme** during the last three years and current year

Sl.No.	Name of State/UT	2014-15	2015-16	2016-17(P)	2017-18(P)
1	Delhi	0	0	0	0
2	Jammu	0	0	0	0
3	Himachal Pradesh	160	0	20	120
4	Haryana	225	55	220	51
5	Chandigarh (UT)	30	10	20	65
6	Rajasthan	0	10	115	0
7	Madhya Pradesh	90	20	20	20
8	Chhattisgarh	210	236	120	0
9	Uttarakhand	18	25	25	0
10	Uttar Pradesh	1104	310	1385	1300
11	Karnataka	90	0	115	380
12	Tamil Nadu	250	57	70	100
13	Telangana	0	0	65	80
14	Andhra Pradesh	110	50	200	113
15	Maharashtra	60	34	45	20
16	Kerala	110	25	280	245
17	Gujarat	200	50	200	0
18	Goa	0	0	0	0
19	West Bengal	565	140	100	100
20	Bihar	200	0	20	0
21	Jharkhand	0	30	50	0
22	Odhisha	100	25	80	80
23	Assam	380	193	183	170
24	Nagaland	0	0	0	30
25	Tripura	0	0	0	0
26	Manipur	0	0	0	0
27	Meghalaya	0	0	0	0
28	Sikkim	0	0	0	0
29	Arunachal Pradesh	0	0	0	0
30	Mizoram	0	0	0	0
Total		**3902**	**1270**	**3333**	**2874**

P-Provisional

अनुबंध-II

दिनांक 01.01.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2235 के भाग ख और ग के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17(अ.)	2017-18(अ.)
1	दिल्ली	0	0	0	0
2	जम्मू	0	0	0	0
3	हिमाचलप्रदेश	160	0	20	120
4	हरियाणा	225	55	220	51
5	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	30	10	20	65
6	राजस्थान	0	10	115	0
7	मध्यप्रदेश	90	20	20	20
8.	छत्तीसगढ़	210	236	120	0
9	उत्तराखंड	18	25	25	0
10	उत्तरप्रदेश	1104	310	1385	1300
11	कर्नाटक	90	0	115	380
12	तमिलनाडु	250	57	70	100
13	तेलंगाना	0	0	65	80
14	आंध्रप्रदेश	110	50	200	113
15	महाराष्ट्र	60	34	45	20
16	केरल	110	25	280	245
17	गुजरात	200	50	200	0
18	गोवा	0	0	0	0
19	पश्चिमबंगाल	565	140	100	100
20	बिहार	200	0	20	0
21	झारखंड	0	30	50	0
22	ओडिशा	100	25	80	80
23	असम	380	193	183	170
24	नागालैंड	0	0	0	30
25	त्रिपुरा	0	0	0	0
26	मणिपुर	0	0	0	0
27	मेघालय	0	0	0	0
28	सिक्किम	0	0	0	0
29	अरुणाचलप्रदेश	0	0	0	0
30	मिजोरम	0	0	0	0
	कुल	3902	1270	3333	2874

अ.- अनंतिम

State/UT-wise Number of artisans covered under **Aam Admi BimaYojona Scheme** during the last three years and current year

Sl. No.	State	2014-15	2015-16	2016-17(p)	2017-18*(p)
1.	Jammu & Kashmir	3814	2718	2718	4200
2.	Himachal Pradesh	1194	1077	1077	57
3.	Punjab	4777	4118	4118	2532
4.	UT Chandigarh	-	0	-	-
5.	Haryana	29438	29932	29932	9456
6.	Delhi	926	930	930	817
7.	Rajasthan	16959	13327	13327	14827
8.	Uttarakhand	10310	10239	10230	3022
9.	Uttar Pradesh	127767	127767	127656	84940
10.	Chhattisgarh	2339	2339	2339	4881
11.	Madhya Pradesh	1315	1296	1296	165
12.	Sikkim	-	0	0	0
13.	Arunachal Pradesh	18	16	16	8
14.	Nagaland	180	180	180	54
15.	Manipur	71	153	153	248
16.	Mizoram	-	0	0	0
17.	Tripura	-	0	0	0
18.	Meghalaya	16	29	29	34
19.	Assam	3973	3767	3656	4908
20.	Bihar	6736	6614	6614	2486
21.	West Bengal	23517	23517	22207	17227
22.	Jharkhand	1588	1588	1588	1568
23.	Odisha	2817	2492	2491	2639
24.	A&N Islands	-	0	0	0
25.	Gujarat	10314	10267	10167	8375
26.	Maharashtra	950	950	950	746
27.	Goa	-	0	0	0
28.	Andhra Pradesh	6421	7786	7686	4885
29.	Telangana	1381	1238	1234	1194
30.	Karnataka	15634	15634	15620	10749
31.	Lakshadweep	-	0	0	0
32.	Kerala	9760	9760	9764	11770
33.	Tamil Nadu	10332	10264	10200	9679
34.	Puducherry	-	0	0	0
	Total	**292547**	**287998**	**286178**	**201467**

(P) Provisional

*AABY is under convergence in Pradhan Mantri Jeevan Jyoti BimaYojana (PMJJBY)/Pradhan Mantri Suraksha BimaYojana (PMSBY), as of now 201467 artisans are given their details to local LIC offices for the year 2017-18.

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कारीगरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17 (अ.)	2017-18* (अ.)
1.	जम्मू और कश्मीर	3814	2718	2718	4200
2.	हिमाचल प्रदेश	1194	1077	1077	57
3.	पंजाब	4777	4118	4118	2532
4.	यूटी चंडीगढ़	-	0	-	-
5.	हरियाणा	29438	29932	29932	9456
6.	दिल्ली	926	930	930	817
7.	राजस्थान	16959	13327	13327	14827
8.	उत्तराखंड	10310	10239	10230	3022
9.	उत्तर प्रदेश	127767	127767	127656	84940
10.	छत्तीसगढ़	2339	2339	2339	4881
11.	मध्य प्रदेश	1315	1296	1296	165
12.	सिक्किम	-	0	0	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	18	16	16	8
14.	नागालैंड	180	180	180	54
15.	मणिपुर	71	153	153	248
16.	मिजोरम	-	0	0	0
17.	त्रिपुरा	-	0	0	0
18.	मेघालय	16	29	29	34
19.	असम	3973	3767	3656	4908
20.	बिहार	6736	6614	6614	2486
21.	पश्चिम बंगाल	23517	23517	22207	17227
22.	झारखंड	1588	1588	1588	1568
23.	ओडिशा	2817	2492	2491	2639
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	0	0	0
25.	गुजरात	10314	10267	10167	8375
26.	महाराष्ट्र	950	950	950	746
27.	गोवा	-	0	0	0
28.	आंध्र प्रदेश	6421	7786	7686	4885
29.	तेलंगाना	1381	1238	1234	1194
30.	कर्नाटक	15634	15634	15620	10749
31.	लक्षद्वीप	-	0	0	0
32.	केरल	9760	9760	9764	11770
33.	तमिलनाडु	10332	10264	10200	9679
34.	पुडुचेरी	-	0	0	0
	कुल	292547	287998	286178	201467

(अ.) अनंतिम

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में अभिसरण के अंतर्गत एएबीवाई है। अब तक 201467 कारीगरों को वर्ष 2017-18 के लिए स्थानीय एलआईसी कार्यालयों का ब्यौरा दिया है।

Annexure-III

Annexure-III referred to in reply to part (e) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 2235 for answer on 01.01.2018

To promote Cottage and Agro-based Rural Industries in the country, following steps have also been taken by the Government through KVIC:

i) The handholding support is being provided to the Khadi Institutions and Village Industries Units for availing financial assistance from the Banks under the Scheme namely Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and SFURTI.

ii) Under the PMEGP Scheme, any individual can avail credit from Banks to set up micro-enterprise in the non-farm sector. General category beneficiaries can avail of margin money (MM) subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SCs, STs, OBCs, minorities, women, ex-servicemen, physical handicapped, beneficiaries belonging to NER, hill and border areas, etc., the MM subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of project is ₹ 25 lakh in the manufacturing sector and ₹ 10 lakh in the service sector.

iii) Ministry through the KVIC has also been implementing a cluster-based scheme named Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) under which khadi and village industries clusters have been taken up for development by providing them with improved equipments, common facilities centres, business development services, training, capacity building and design and marketing support, etc.

iv) To overcome the marketing challenges of Khadi and Village Industries Units, KVIC organize exhibitions at District level, State level and National level and invites beneficiaries to exhibit and sale their products.KVI Units are also supported by the KVIC with the financial assistance to participate in International Exhibitions.

v) Under the Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme the Khadi Institutions can avail loan to cater the working capital need on the concessional Interest Rate. Under this scheme interest @ 4% Per annum is to be paid by the Khadi institution and balance i.e. actual lending rate minus 4% is to be paid by KVIC from budgetary source provided by Government of India.

vi) Financial assistance being provided for the renovation/modernization of Sales Outlets of institutions and State Khadi and Village Industries Boards under the scheme of "Assistance for Marketing Infrastructure".

vii) To start Khadi Programme by new entrepreneurs, an online portal for obtaining "Khadi Certificate" has been launched. One can apply online for obtaining Khadi Certificate.

viii) To overcome the marketing challenges of Khadi and Village Industries Units, KVIC organized exhibitions at district level, State level and National level and also invites beneficiaries to exhibit and sale their products. KVI Units are also supported with financial assistance to participate in International Exhibitions.

ix) In addition, the Ministry aims to promote the cottage industries in the country by encouraging and providing the artisans a platform to showcase their products in various forums such as District level, State level and National level exhibitions and fairs. The best products and processes are also being supported to be performed outside the country through schemes such as Market Promotion and Development Assistance (MPDA). Ministry through KVIC also provides different skill training to the potential entrepreneurs through the 39 Multi-Disciplinary Training Centres (MDTC) of KVIC and RSETIs. The enterprises can also avail benefits of other schemes of the Ministry such as assistance for ISO Certification, Bar Codes, etc.

दिनांक01 .01. 2018के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं .2235 के भाग) इ (.के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

देश में कुटीर और कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केवीआईसी के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) पीएमईजीपी (और स्फूर्ति नामक स्कीम के अंतर्गत बैंकों से वित्तीय सहायता लेने के लिए खादी संस्थाओं एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को पथप्रदर्शन सहायता दी जा रही है।

ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)के अंतर्गतक्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित -कृषि-कोई भी व्यक्ति गैइ , करने के लिए बैंकों से ऋण ले सकता है।सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 (एमएम) प्रतिशत मार्जिन मनी 15 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग ,संख्यकों-अल्प/महिलाओंशारीरिक रूप से विकला/पूर्व सैनिकों/ंगपहाड़ी एवं ,र क्षेत्रपूर्वोत्त/ प्रतिशत तथा शहरी 35 आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी ,सीमावर्ती क्षेत्रों लाख 10 लाख रूपए तथा सेवा क्षेत्र में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 क्षेत्रों में रूपए है।

iii) केवीआईसी के माध्यम से मंत्रालय परम्परागत उदयोगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम नामक क्लस्टर (स्फूर्ति) ग्रामोद्योग एवं कयर क्लस्टरों को उन्नत ,आधारित स्कीम भी कार्यान्वित करता रहा है जिसके अंतर्गत खादी व्यवस ,सामान्य सुविधा केन्द्र ,उपकरणाय विकास सेवाएंक्षमता निर्माण एवं डिजाइन तथा विपणन ,प्रशिक्षण , आदि उपलब्ध कराकर विकास शुरू किया गया है। ,सहायता

iv) खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों की विपणन चुनौतियों के समाधान के लिएखादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जिला , राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्- ,स्तरशनियां आयोजित करता है एवं लाभार्थियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने एवं बेचने के लिए आमंत्रित भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता से केवीआई इकाइयों की भी सहायता की जाती है।

v) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स (आईसेक)ेकीम के अंतर्गत खादी संस्थाएं रियायती ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी आवश्यकता पूरी करने के लिए ऋण ले सकती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत खादी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिशत की 4 प्रतिशत को भारत सर 4 दर से भुगतान किया जाता है और शेष अर्थात् वास्तविक देनदारी दर माइनसकार द्वारा प्रदत बजटीय स्रोत से केवीआईसी द्वारा चुकाया जाता है।

vi) स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के बिक्री "विपणन अवसंरचना के लिए सहायता" आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।/केन्द्रों के नवीकरण

vii) नए उद्यमियों द्वारा खादी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरु 'खादी प्रमाण पत्र' किया गया है। कोई भी खादी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकता है।

viii) खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों की विपणन चुनौतियों के समाधान के लिएखादी और ग्रा ,मोद्योग आयोग ने जिला स्तरराज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित कीं एवं लाभार्थियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने एवं , बेचने के लिए आमंत्रित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता से केवीआई इकाइयों की भी सहायता की जाती है।

ix) इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का लक्ष्य कारीगरों को प्रोत्साहित करना तथा जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां एवं मेलों जैसे विभिन्न मंचों में उनके उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्लेटफॉर्म उपलबध कराकर देश में कुटीर उद्योगों को संवर्धित करना है। बेहतर उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को बाजार संवर्धन तथा विकास सहायता (एमपीडीए) दित किए जाने के लिए सहायता भी दी जा रही है। केवीआईसी के म से देश के बाहर निष्पामों के माध्यजैसी स्की के) म से मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोगमाध्यवीआईसी बहुविधा प्रशिक्षण केन्द्रों 39 तथा आरसेटी के (कराता है। उद्यम आईएसओ कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्धम से संभावित उद्यमियों को विभिन्नके माध्य (एमडीटीसी) प्रमाणन, बार कोर्डो आदि के लिए सहायता जैसी मंत्रालय की अन्य स्कीमों का लाभ भी ले सकते हैं।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2274
TO BE ANSWERED ON 01.01.2018

SUBSIDY TO MSMEs

2274. SHRI RAJESH RANJAN:
SHRI KAUSHALENDRA KUMAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government provides any subsidy to set up Micro and Small industries in the country;
(b) if so, the details thereof and the norms prescribed for its eligibility;
(c) whether said subsidy is provided by the Union Government or the State Governments and if so, the details thereof;
(d) whether any enquiry centre has been set up for the said facility; and
(e) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) &(b): Yes, Madam. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), which is a major credit-linked subsidy programme, aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth.

General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC /Minorities/Women, Ex-serviceman, Physically Handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas.

Any individual above 18 years of age is eligible. For setting up of projects costing above Rs.10 lakh in the manufacturing sector and above Rs. 5 lakh in the business /service sector, the beneficiaries should possess at least VIII standard pass educational qualification. The maximum cost of projects is Rs. 25 lakh in the manufacturing sector and Rs. 10 lakh in the service sector. Benefit can be availed under PMEGP for setting up of new units only.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2274

उत्तर देने की तारीख 01.01.2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु राजसहायता

2274. श्री राजेश रंजनः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में सूक्ष्म, लघु औरमध्यम उद्यमों को स्थापित करने हेतु कोई राजसहायताप्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइसकी पात्रता हेतु क्या मानक निर्धरित किए गएहैं;

(ग) क्या उक्त राजसहायता केन्द्र सरकार याराज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त सुविधा हेतु कोई पूछताछ केन्द्रस्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और(ख) जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है जो एक प्रमुख ऋण सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर कृषि - क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।

सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाडी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पात्र है। परियोजना स्थापित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपए से अधिक हो और लाभार्थियों की शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। लाभार्थी केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभ ले सकता है।

(c): Subsidy under PMEGP Scheme is provided by the Union Government. The PMEGP Scheme was launched during 2008-09. Since its inception, a total of 4.47 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money subsidy of Rs 9326.01 crore providing employment to an estimated 37.32 lakh persons from inception till 2017-18 (up to 30.11.2017).

(d) & (e): Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is the nodal agency at the national level. At the State/District level, State offices of KVIC, KVIBs and District Industry Centres(DIC) are the implementing agencies in the States in the ratio of 30:30:40.

An online **PMEGP-e portal** has been introduced from 1st July 2016. Entire process is made real time and online. Applicant has to apply on the online portal and he can track the status of his application on the PMEGP-e-portal. There is an online feedback mechanism for providing feedbacks by the beneficiaries, which has been encouraging.

*****

(ग) पीएमईजीपी स्कीमके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान पीएमईजीपी स्कीम शुरू की गई थी। इसकीशुरुआत से,कुल 4.47 लाख सूक्ष्म उद्यमों को9326.01 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी सब्सिडी सहायता प्रदान की गई है जिसकी शुरूआत से2017-18 तक (30.11.2017 तक) अनुमानित 37.32 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध हुआ है।

(घ) और (ङ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी है। राज्य/जिला स्तर/केवीआईसी के राज्य कार्यालय, केवीआईबी और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) में 30:30:40 के अनुपात मेंराज्यों मेंकार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

1 जुलाई, 2016 से एक ऑनलाइन पीएमईजीपी-ई पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया वास्तविक समय(रीयल टाइम) और ऑनलाइन बनाई गई है। आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है और वह पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। लाभार्थियों द्वारा फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन फीडबैक मैकेनिज्म है जिसे प्रोत्साहित किया गया है।

*****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 244th Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 03.01.2018

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Financial assistance to the entrepreneurs	JS (ARI)	*179	*14	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	MSMEs facing difficulty due to implementation of GST	ADC (PS)	1877	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.*179
TO BE ANSWERED ON 03.01.2018

Financial assistance to the entrepreneurs

*179. SHRI RONALD SAPA TLAU:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government is providing financial assistance to the entrepreneurs opening and using new technology in the country;

(b) if so, what is the maximum amount available per project;

(c) what is the criteria to avail the incentive scheme;

(d) for how many years, the scheme has been in force; and

(e) how many entrepreneurs have benefited from the scheme and its total amount paid to them?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *179
उत्तर देने की तारीख 03.01.2018

उद्यमियों को आर्थिक सहायता दिया जाना

*179. श्री रोनाल्ड सपा लाउः

क्या सूक्ष्म, लघुऔर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में नईप्रौद्योगिकी शुरू करने और इसका उपयोग करने वालेउद्यमियों को वितीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रति परियोजना उपलब्धअधिकतम धन राशि कितनी है;

(ग) इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने कीप्रक्रिया क्या है;

(घ) यह योजना कितने वर्षों से लागू है; और

(ङ) कितने उद्यमियों ने इस योजना का लाभउठाया है और उनको कुल कितनी धनराशि प्रदान कीगई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (e) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION No.*179 FOR ANSWER ON 03.01.2018

(a): Yes Sir. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is providing financial assistance for setting up of new micro enterprises and to use new technology through the following programmes/Schemes:

(i). **Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP):** This is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth.

(ii) **Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS)**: This is credit linked subsidy scheme for Technology Upgradation of Micro and Small Enterprises.

(iii) **Technology and Quality Upgradation Support to Micro, Small and Medium Enterprises (TEQUP):** This Scheme aims at enhancing competitiveness of MSME Sector through adoption of Energy Efficient Technology (EET) so as to reduce cost of production and to encourage MSMEs to acquire Product Certification Licenses from National/ International bodies so as to become globally competitive.

(b): Under PMEGP Scheme general category beneficiaries can avail margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe/OBC /minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs. 25 lakh in the manufacturing sector and Rs. 10 lakh in the service sector.

Under CLCSS Schemes subsidy is provided at the rate of 15% of the capital expenditure (limited to maximum Rs.15.00 lakhs) for purchase of Plant & Machinery. Maximum limit of eligible loan for calculation of subsidy under the scheme is Rs.100.00 lakhs.

Under TEQUP Scheme subsidy to MSME units is provided to the extent of 25% of the project cost for implementation of EET. The maximum amount of subsidy is Rs. 10 Lakhs for project cost of Rs. 40 Lakhs. Further, for obtaining Product Certification Licenses, assistance allowed per MSME is Rs. 1.5 Lakhs for national standards and Rs. 2 Lakhs for international standards.

(c): **Criteria to availing the incentives**: Under PMEGP; any individual above 18 years of age is eligible. For setting up of projects costing above Rs.10 lakh in the manufacturing sector and above Rs. 5 lakh in the business /service sector, the beneficiaries should possess at least VIII standard pass educational qualification. Assistance under PMEGP is available **only for new projects.** Existing units and the units that have already availed Government subsidy under any other scheme of Government of India or State Government are not eligible. Only one person from one family is eligible for assistance.

CLCSS Scheme is applicable for prospective as well as existing MSEs. Presently, 51 well established and improved technologies/sub-sectors have been approved under the Scheme (**Annexure-I**).

TEQUP scheme is applicable for MSME units.

दिनांक 03.01.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *179 के भाग (क) और (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा नई प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) का प्रयोग करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है:

i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):यह एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों तथा बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।

ii. ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस): यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है।

iii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) तथा गुणवत्ता उन्नयन सहायता (टीईक्यूयूपी): इस स्कीम का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी (एनर्जी एफिशियंट टेक्नोलॉजी) को अपनाकर एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है ताकि उत्पादन लागत कम की जा सके तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों से उत्पादन प्रमाणन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित किया जा सके जिससे कि वे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन जाए।

(ख) पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसी विशेष श्रेणियों से सम्बन्धित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25%मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

सीएलसीएसएस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी के क्रय के लिए पूँजीगत व्यय (अधिकतम 15.00 लाख रुपये तक सीमित) की 15% की दर से उपलब्ध कराईजाती है। स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी की गणना के लिए ऋण पात्रता की अधिकतम सीमा 100.00 लाख रुपये है।

टेकअप (टीईक्यूयूपी) स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों की सब्सिडी ईईटी के कार्यान्वयन के लिए परियोजना लागत की 25% तक उपलब्ध कराई जाती है। 40 लाख रुपये की परियोजना लागत के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानकों के लिए 1.5 लाख रुपये तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए 2 लाख रुपये प्रति एमएसएमई स्वीकार्य सहायता है।

(ग) प्रोत्साहन लेने के लिए मानदंड

पीएमईजीपी के अंतर्गत, 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति पात्र है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता केवल नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। विद्यमान इकाइयां एवं वे इकाइयां जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम का लाभ पहले ही ले लिया है वे पात्र नहीं हैं। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति सहायता के लिए पात्र है।

सीएलसीएसएस स्कीम भावी एवं विद्यमान एमएसई के लिए लागू है। वर्तमान में, 51 सुस्थापित एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजी)/उप क्षेत्रों को इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है(अनुबंध I)।

टेकअप (टीईक्यूयूपी) स्कीम एमएसएमई इकाइयों के लिए लागू है।

(d) & (e): The PMEGP Scheme was launched during 2008-09. Since its inception, a total of 4.47 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money subsidy of Rs 9326.01 crore providing employment to an estimated 37.32 lakh persons, till 2017-18 (up to 30.11.2017).

The CLCSS Scheme was launched in October 2000 and revised in 29.09.2005. Since inception and upto 30.11.2017 a total of 48618 units have been assisted utilizing subsidy of Rs. 2904.53 crore.

TEQUP scheme was launched in February, 2010, 439 MSMEs have been benefited by adoption of Energy Efficient Technology till 28.12.2017.

*****

(घ) और (ङ):

पीएमईजीपी स्कीम 2008-09 के दौरान शुरू की गई थी। इसके आरंभ से कुल 4.47 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 9326.01 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से सहायता दी गई है एवं 2017-18 तक (30.11.2017 तक)अनुमानित 37.32 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

सीएलसीएसएस स्कीम को अक्तूबर, 2000 में शुरू किया गया एवं इसे दिनांक 29.09.2005 से संशोधित किया गया। आरंभ से तथा 30.11.2017 तक कुल 48618 इकाइयों को 2904.53 करोड़ रुपये की सब्सिडी का उपयोग कर सहायता दी गई है।

टेकअप (टीईक्यूयूपी) स्कीम फरवरी, 2010 में शुरू की गई। 439 एमएसएमई को 28.12.2017 तक ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी (एनर्जी इफिशयंट टेक्नोलॉजी) को अपनाकर लाभान्वित किया गया है।

*****

Annexure I

Annexure I referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Starred Question No. 179 for answer on 03.01.2018.

List of approved Sub-sectors Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS)

i) Bio-tech Industry
ii) Common Effluent Treatment Plant
iii) Corrugated Boxes
iv) Drugs and Pharmaceuticals
v) Dyes and Intermediates
vi) Industry based on Medicinal and Aromatic plants
vii) Plastic Moulded/ Extruded Products and Parts/ Components
viii) Rubber Processing including Cycle/ Rickshaw Tyres
ix) Food Processing (including Ice Cream manufacturing)
x) Poultry Hatchery & Cattle Feed Industry
xi) Dimensional Stone Industry (excluding Quarrying and Mining)
xii) Glass and Ceramic Items including Tiles
xiii) Leather and Leather Products including Footwear and Garments
xiv) Electronic equipment viz test, measuring and assembly/ manufacturing, Industrial process control; Analytical, Medical, Electronic Consumer & Communication equipment etc.
xv) Fans & Motors Industry
xvi) General Light Service(GLS) lamps
xvii) Information Technology (Hardware)
xviii) Mineral Filled Sheathed Heating Elements
xix) Transformer/ Electrical Stampings/ Laminations /Coils/Chokes including Solenoid coils
xx) Wires & Cable Industry
xxi) Auto Parts and Components
xxii) Bicycle Parts
xxiii) Combustion Devices/ Appliances
xxiv) Forging & Hand Tools
xxv) Foundries – Steel and Cast Iron
xxvi) General Engineering Works
xxvii) Gold Plating and Jewellery
xxviii) Locks
xxix) Steel Furniture
xxx) Toys
xxxi) Non-Ferrous Foundry
xxxii) Sport Goods
xxxiii) Cosmetics
xxxiv) Readymade Garments
xxxv) Wooden Furniture
xxxvi) Mineral Water Bottle

दिनांक 03.01.2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *179 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- I

अनुमोदित उपक्षेत्र ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) की सूची

i) जैव तकनीक उद्योग

ii) कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

iii) कॉरूगेटेड बक्से

iv) ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स

v) डाइज और इंटरमेडिएट्स

vi) औषधीय और सुगंधित पौधों पर आधारित उद्योग

vii) प्लास्टिक मोल्डेड / एक्सट्रूडेड उत्पाद और पार्ट्स / अवयव

viii) साइकिल / रिक्शा टायर सहित रबड़ प्रसंस्करण

ix) खाद्य प्रसंस्करण (आइस क्रीम निर्माण सहित)

x) पोल्ट्री हैचरी और कैटल फ़ीड इंडस्ट्री

xi) आयामी पत्थर उद्योग (उत्खनन और खनन को छोड़कर)

xii) टाइलें सहित ग्लास और सिरेमिक आइटम

xiii) जूते और गारमेंट्ससहितचमड़े और चमड़े के उत्पाद

xiv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अर्थात् परीक्षण, मापने और जोड़ने / निर्माण, औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण; विश्लेषणात्मक, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता और संचार उपकरण आदि

xv) फैंस और मोटर्स उद्योग

xvi) जनरल लाइट सर्विस (जीएलएस) लैंप

xvii) सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर)

xviii) मिनरल फिल्ड शिदेड हिटिंग एलीमेंट्स

xix) ट्रांसएफ़ॉर्मर / इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग / लैमिनेशन / क्वायल / चोक्स, जिसमें सोलनॉयड क्वायल भी शामिल हैं

xx) तार और केबल उद्योग

xxi) ऑटो पार्ट्स और अवयव

xxii) साइकिल पार्ट्स

xxiii) कमबशन डिवाइस / उपकरण

xxiv) फोर्जिंग और हैंड टूल्स

xxv) फाउंड्रीज - स्टील और कास्ट आयरन

xxvi) जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स

xxvii) सोना चढ़ाना और आभूषण

xxviii) ताले

xxix) इस्पात फर्नीचर

xxx) खिलौने

xxxi) नॉन-फेरस फाउंड्री

xxxii) खेल के सामान

XXXIII) प्रसाधन सामग्री

xxxiv) रेडीमेड गारमेंट्स

xxxv) लकड़ी के फर्नीचर

xxxvi) मिनरल वाटर बोतल

xxxvii) Paints, Varnishes, Alkyds and Alkyd products
xxxviii) Agricultural Implements and Post Harvest Equipment
xxxix) Beneficiation of Graphite and Phosphate
xl) Khadi and Village Industries
xli) Coir and Coir Products
xlii) Steel Re-rolling and /or Pencil Ingot making Industries
xliii) Zinc Sulphate
xliv) Welding Electrodes
xlv) Sewing Machine Industry
xlvi) Industrial Gases
xlvii) Printing Industry
xlviii) Machines Tools
xlix) Copper Strip Industry:
l) Ferric and Non-Ferric Alum
li) Pesticides Formulation

xxxvii) पेंट्स, वार्निश, अलकिड्स और अल्कीड उत्पाद

xxxviii) कृषि इम्प्लीमेंट्स और पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट

xxxix) ग्रेफाइट और फास्फेट का बेनिफिशिएशन

xl) खादी और ग्रामोद्योग

xli) कयर और कयर उत्पाद

xlii) इस्पात रि-रोलिंग और / या पेंसिल इनगॉट बनाने का उद्योग

xliii) जस्ता सल्फेट

xliv) वेल्डिंग इलेक्ट्रोड

xlv) सिलाई मशीन उद्योग

xlvi) औद्योगिक गैस

xlvii) प्रिंटिंग उद्योग

xlviii) मशीन उपकरण

xlix) कॉपर पट्टी उद्योग:

l) फेरिक और गैर-फेरिल एलम

li) कीटनाशक संरचना

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1877
TO BE ANSWERED ON: 03.01.2018

MSMEs facing difficulty due to implementation of GST

1877. SHRIMATI RAJANI PATIL:
SHRI P. BHATTACHARYA:
SHRI DARSHAN SINGH YADAV:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are reportedly facing difficulties due to various reasons after implementation of the Goods and Services Tax (GST) and if so, the details thereof, State-wise:

(b) whether the small and medium entrepreneurs have raised concern over the impact of the GST on MSMEs and if so, the details thereof; and

(c) the corrective steps taken/proposed to be taken by Government in this regard to boost the growth of MSMEs in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): There have been some reports of micro, small and medium enterprises facing difficulties after implementation of Goods & Services Tax (GST). Industry Associations and other stakeholders have expressed concern about some aspects of GST such as; GST on Khadi, many items in 28% tax bracket, low ceiling of Composition Levy Scheme, reverse charge mechanism, etc. The Ministry of MSME has not only been taking up these concerns with Ministry of Finance, it has also taken several steps for awareness creation, registration and facilitation.

(c): Government has taken several pro-active measures for smooth implementation of GST for MSMEs including:

i. Exemption to Khadi fabric sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions/outlets;
ii. Majority of items produced by the MSMEs in the band of 28% tax slab brought to lower slabs;
iii. Composition levy extended upto turnover worth Rs. 150 lakh per annum;
iv. Quarterly return to be filed by GST registered units having turnover of Rs. 150 lakh per annum or less.
v. Reverse Charge Mechanism kept in abeyance till March 2018.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1877

उत्तर देने की तारीख : 03.01.2018

वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पेश आ रही कठिनाई

1877. श्रीमती रजनी पाटिलः
श्री पि. भट्टाचार्यः
श्री दर्शन सिंह यादवः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद विभिन्न कारणों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईज़) कथित तौर पर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लघु और मध्यम उद्यमियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर वस्तु और सेवा कर के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा मुश्किलों का सामना करने की कुछ जानकारी है। उद्योग संघों और अन्य स्टेकहोल्डर ने जीएसटी के कुछ पहलुओं जैसे कि खादी पर जीएसटी, 28% की कर सीमा में कई वस्तुएं, कंपोजीशन लेवी योजना की कम सीमा, रिवर्स चार्ज प्रणाली, आदि पर चिंता व्यक्त की है। एमएसएमई मंत्रालय न केवल इन चिंताओं को वित्त मंत्रालय के सामने उठाता रहा है, बल्कि उसने जागरूकता बढ़ाने, पंजीकरण और सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं।

(ग) : सरकार ने एमएसएमई के लिए जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं; जिसमें-

i. खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केवीआईसी से प्रमाणित संस्थानों/बिक्री केंद्रों के जरिये बेचे जा रहे खादी कपड़ों पर छूट।
ii. एमएसएमई द्वारा उत्पादित 28% कर स्लैब समूह वाली अधिकांश वस्तुओं को निचले स्लैब पर लाना।
iii. कंपोजीशन लेवी को 150 लाख रुपये प्रतिवर्ष के टर्नओवर तक बढ़ाना।
iv. 150 लाख रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम टर्नओवर वाली जीएसटी पंजीकृत इकाइयों द्वारा तिमाही रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था करना।
v. रिवर्स चार्ज प्रणाली को मार्च 2018 तक रोक देना - शामिल है।

******